हडको गृह ई-पत्रिका (अर्द्धवार्षिक)

पाँचवां अंक (2024-2025)

आवास ध्वनि

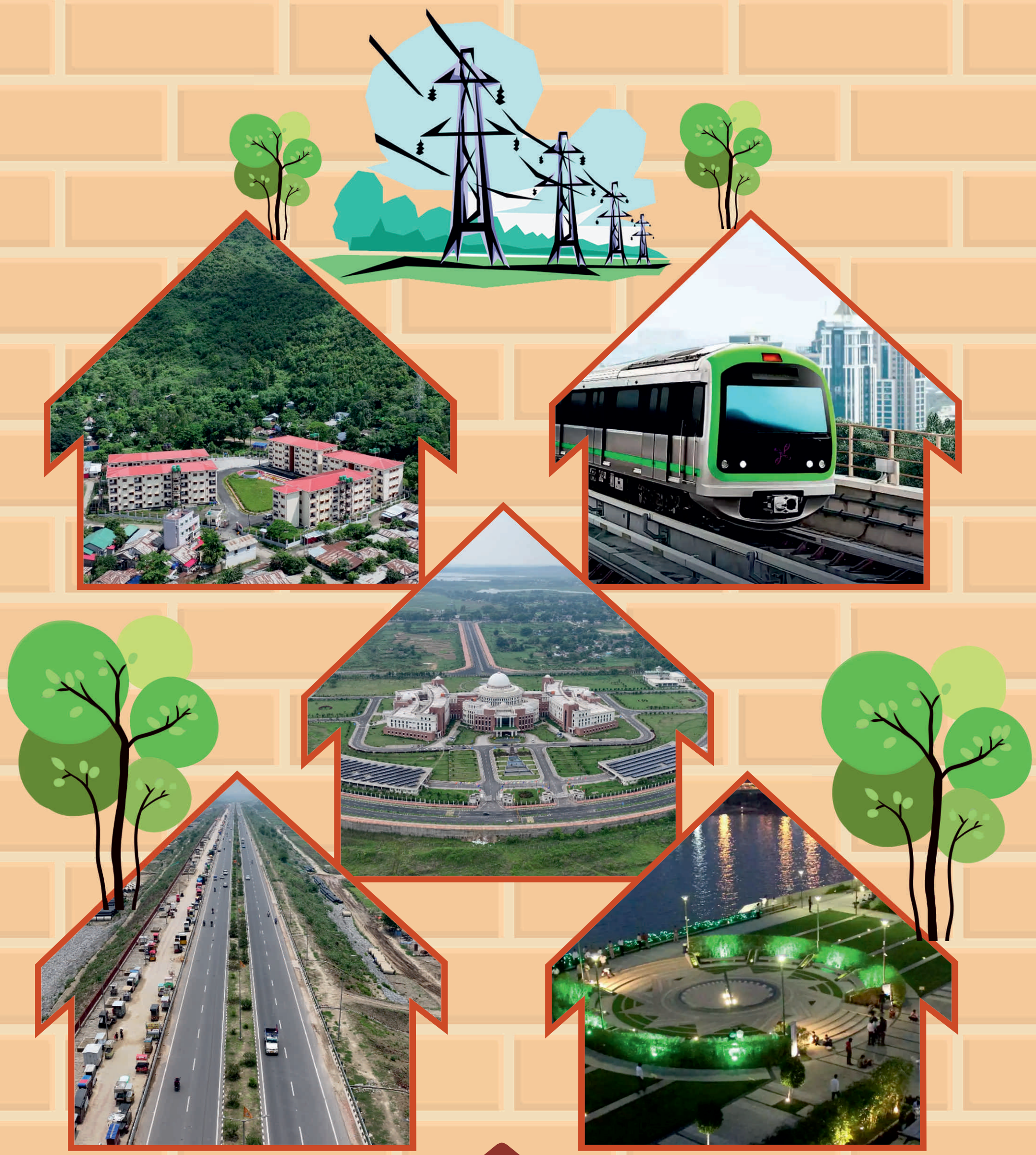

हडको
hudco

A NAVRATNA CPSE

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिन्दी पखवाड़ा
14 सितम्बर – 29 सितम्बर 2023
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)
नई दिल्ली-110003
हडको
hudco

वर्ष 2023 के दौरान 14 सितम्बर से 29 सितम्बर 2023 तक हडको में हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। श्री एम नागराज, निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग, हडको की अध्यक्षता में पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर श्री डी. गुहन, निदेशक (वित्त), श्री राजीव शर्मा, कार्यकारी निदेशक (रा.भा.), श्री सुरेंद्र कुमार, पूर्व कार्यकारी निदेशक (रा.भा.), डॉ. रेखा चंदोला, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.) के साथ-साथ हिन्दी अनुभाग के अन्य अधिकारी, हडको के हिन्दी नोडल अधिकारी, हिन्दी नोडल सहायक तथा विजेता प्रतिभागी भी उपस्थित थे।

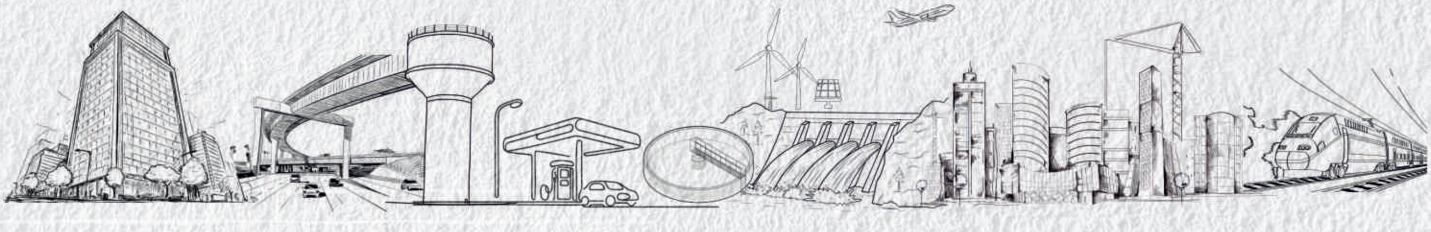

हडको
hudco
A NAVRATNA CPSE

आवास ध्वनि

विषय सूची

पृष्ठ सं.	विषय
5-8	संदेश
09	भाषाई दृष्टि से हिंदी की समृद्धता
12	साहित्यिक अनुवाद और भारतीय संस्कृति का वैश्विक विस्तार
16	मीडिया में अनुवाद: रोजगार के अवसर
21	आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य में नारी-सशक्तिकरण के विविध आयाम
29	वित्तीय संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक की उपयोगिता
31	हिन्दी का राष्ट्रीय स्वरुप
34	साइबर धोखाधड़ी की घटनाएँ
36	मातृभाषा व्यक्ति निर्माण की भाषा है
38	भारत में महिला सशक्तिकरण
40	विरुद्ध आहार
41	हडको में डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से कागज के उपयोग में दृश्यमान कमी
44-45	हडको की प्रमुख गतिविधियाँ एवं राजभाषा संबंधी उपलब्धियाँ
46	स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी लोकगीतों का योगदान
50	ब्रह्म में भ्रम
53	हिंदी की समृद्धि में मातृभाषाओं की भूमिका
56	हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम
60	काश...
61	आत्मनिर्भर नारी
62	गणतन्त्र दिवस – मेरा अनुभव
66	जीवन में खेलों का महत्त्व
68	राजभाषा उत्कर्ष योजना: वर्ष 2023 में पुरस्कृत विजेता
70	कंप्यूटर का जादू
71	सावन महीने का महत्व
73	हमारे बुजुर्ग
76	जलवायु परिवर्तन
79	अनुवाद की भूमिका
81	हिन्दी भाषा का विकास
83	सुन्दरकाण्ड की महिमा
85	मेरी भाषा मेरा गौरव
87	संसार में क्या लाये थे

संपादकीय

हडको की अर्द्धवार्षिक गृह ई-पत्रिका
(वर्ष 2024-2025 पाँचवां अंक)

संरक्षक

श्री संजय कुलश्रेष्ठ
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

उप संरक्षक

श्री एम नागराज
निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग)

श्री दलजीत सिंह खतरी
निदेशक (वित्त)

संपादक

श्री राजीव शर्मा
कार्यकारी निदेशक (राजभाषा)

उप संपादक

डॉ. रेखा चंदोला
वरि. प्रबंधक (राजभाषा)

विशेष सहयोग

श्रीमती डौली जोशी
प्रबंधक (आई.टी.)

श्रीमती गीता कुमारी
उप प्रबंधक (आई.टी.)

मयंक मोहन
(हिंदी प्रशिक्षु)

विशेष आभार
(कमेटी सदस्य)

श्री राहुल पी. माने संयुक्त महाप्रबंधक (प्रशा.)
श्री गोपाल प्रसाद वरि. प्रबंधक एचआर

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं की मौलिकता एवं आंकड़ों के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं।

हडको भवन, कोर 7ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

लक्ष्य

"जनमानस के आजीविका बदलाव के लिए सुदृढ़ पर्यावास विकास को बढ़ावा देते हुए अग्रणी तकनीकी-वित्तीय संगठनों में स्थान बनाना"

उद्देश्य

"जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सुदृढ़ पर्यावास विकास को बढ़ावा देना"

संदेश

प्रिय साथियों,

हिन्दी दिवस एवं पखवाड़ा समारोह के अवसर पर हडको की हिन्दी गृह ई-पत्रिका **'आवास ध्वनि'** का पाँचवां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष अनुभूति हो रही है। अपने कार्यालयी दायित्वों के साथ-साथ भाषा के कल्याण के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करना वास्तव में एक महत्वपूर्ण कार्य है। **'आवास ध्वनि'** में सृजनात्मक विधाओं में रचनाएं प्राकशित होती हैं, जो यह दर्शाती हैं कि हमारी पत्रिका विचार-विमर्श का एक ऐसा मंच है जहाँ सभी वर्गों और श्रेणियों से आप लेखकों का समन्वय होता है।

गृह पत्रिका का प्रकाशन हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार से जुड़ा कार्य है। भाषा का अर्थ मैं अपनी माटी, अपनी जन्मभूमि से समझता हूँ। एक नन्हे से शिशु को अपने समाज एवं परिवार से जो अमूल्य विरासत मिलती है, वह भाषा ही होती है जिसे वह सहजता से नैसर्गिक रुप से ग्रहण करता है और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपता है। यदि हम व्यक्तिगत पर भी अपनी भाषा के लिए सकारात्मक कार्य करेंगे तो वह निश्चित रुप से हमारा अपनी जन्मभूमि को वंदन करने का एक प्रयास ही होगा।

'आवास ध्वनि' पत्रिका के संपादक मंडल तथा बहुमूल्य नवोन्मेषी विचार प्रस्तुत करने वाले लेखकों को भी मेरी शुभकामनाएं। आप सभी ऐसे ही हिंदी में लिखते और पढ़ते रहें और अपनी माटी से जुड़े रहें।

शुभकामनाओं सहित,

संजय कुलश्रेष्ठ

संजय कुलश्रेष्ठ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संदेश

हडको मुख्यालय द्वारा अपनी गृह ई-पत्रिका **"आवास ध्वनि"** के पांचवें अंक का प्रकाशन अत्यंत गर्व का विषय है। इस पत्रिका में राजभाषा हिन्दी के साथ-साथ हडको की संपूर्ण गतिविधियों को समेकित रूप से एक सूत्र में पिरोया गया है। राजभाषा के माध्यम से अनेक विषयों को एक भाषा में प्रस्तुत करना एक अनुपम प्रयास है।

हडको एक सुगठित संगठन है। हडको का दृष्टिकोण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आश्रय एवं इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, विशेष रूप से कंसलटैंसी ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिलिडंग के क्षेत्र में नेटवर्किंग को सुदृढ़ करना है। सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाओं को सुनिश्चित करने की दृष्टि से हडको ने अपनी गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया है। यद्यपि हडको का अपना कॉर्पोरेट कार्यालय होने के साथ-साथ देशभर में 21 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 11 विकास कार्यालय भी हैं तथापि विभिन्न राज्यों में एजेंसियों के साथ घनिष्ठ एवं मजबूत संबंध बनाने की दृष्टि से हडको अपने संपर्क साधनों में हिन्दी का विस्तार करता रहा है।

इसी क्रम में हिन्दी गृह ई-पत्रिका का प्रकाशन एवं महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अपनी रचनाओं के माध्यम से योगदान देने वाले सभी लेखकों एवं राजभाषा अनुभाग के सभी अधिकारियों की मैं सराहना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

एम. नागराज
निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग)

संदेश

यह गर्व का विषय है कि हडको मुख्यालय अपनी हिन्दी ई-पत्रिका **"आवास ध्वनि"** के पांचवें अंक का प्रकाशन कर रहा है। इस अंक में सहज, सरल एवं सशक्त भाषा का प्रयोग करते हुए विभिन्न विषयों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

हडको में आवास एवं शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को वित्तपोषित करने के क्रम में शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवरेज, जलन निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़कें, बिजली, स्मार्ट शहर, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर आदि से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हडको नए-नए निवेशों के साथ देश की प्रगति में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए अग्रसर है।

वित्तीय संस्थान होने के साथ-साथ हडको ने राजभाषा संबंधी दिशा-निदेशों का अनुपालन करते हुए हिन्दी के प्रचार-प्रसार में भी गहरी पैठ बनाई है। जिसका एक उदाहरण हमारी गृह ई-पत्रिका का प्रकाशन है। इस अभूतपूर्व प्रयास के लिए राजभाषा अनुभाग एवं लेखन से जुड़े सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं।

शुभकामनाओं सहित।

दलजीत

दलजीत सिंह खतरी
निदेशक (वित्त)

संदेश

राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए कार्यालय में गृह ई-पत्रिकाओं का प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि निभाता है। इसी क्रम में हडको मुख्यालय अपनी गृह पत्रिका **"आवास ध्वनि"** के पांचवें अंक का प्रकाशन किया जाना प्रशंसनीय है। यह प्रयास राजभाषा के व्यावहारिक पक्ष की नींव को मजबूत करने में सफल सिद्ध होगा।

हडको मुख्यालय में सतर्कता विभाग (सीवीडी), केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, समय-समय पर सिस्टम और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्रयासरत है। इसके साथ-साथ वित्तीय अनियमितताओं वाले क्षेत्रों में सुधारात्मक उपायों की सलाह देना, ई-भुगतान, अधिकारियों के बीच सतर्कता जागरूकता पैदा करना, सत्यनिष्ठा, समझौते को अपनाना, माननीय हस्तक्षेप आदि से बचने के लिए प्रणाली/प्रक्रिया का डिजिटलीकरण इत्यादि भी इसमें शामिल हैं।

इसी क्रम में राजभाषा अनुभाग भी गृह ई-पत्रिका का प्रकाशन डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयत्नशील है। मैं राजभाषा अनुभाग एवं प्रकाशन से जुड़े सभी सदस्यों को इस प्रशंसनीय प्रयास के लिए बधाई देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित!

विनीत गुप्ता
10.9.2024.

विनीत गुप्ता
प्रमुख सतर्कता अधिकारी

भाषाई दृष्टि से हिंदी की समृद्धता

भारत देश भौगोलिक दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है, इस लिहाज से भारत की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त, भारत में दुनिया के सभी धर्माम्बलंबी अर्थात् हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में मिल-जुलकर रहते हैं। इसी प्रकार भारत में विभिन्न जातियों के लोग भी खुशहाल जिंदगी गुजर-बसर करते हैं।

कुल मिलाकर, भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। चाहे बात धर्म, आस्था, विश्वास और पंथ की हो, चाहे बात संस्कृति की हो और चाहे बात भाषा की हो या रहन-सहन, खान-पान की हो, भारत हर मामले में समृद्ध देश है।

जहां तक राजभाषा हिंदी का सवाल है, हिंदी कोई एक भाषा नहीं है बल्कि यह भारतीय भाषाओं का एक समूह है। हिंदी भाषा की समृद्धता में जितना योगदान भारतीय भाषाओं का है, लगभग उतना ही योगदान विदेशी भाषाओं का भी है। यहां इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि भारत देश पर समय-समय पर विभिन्न विदेशी आक्रांताओं का शासन रहा है इसका विवरण इस प्रकार है:

(I) मुगल शासन काल 1526 ई. से 1858 ई. तक रहा (331 साल)

(II) ईस्ट इंडिया कंपनी 1785-1858 ई. तक रहा (73 साल)

(III) ब्रिटिश शासन काल 1757 ई. से 1947 ई. तक रहा (190 साल)

यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि किसी भौगोलिक प्रदेश की भाषा उस पर शासन करने वाले साम्राज्य की भाषा होती है। इस लिहाज से भारत में समय-समय पर अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व रहा है। अत: स्वाभाविक रूप से हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति में इन भाषाओं के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, आज की हिंदी भाषा में संस्कृत, पालि, पाकृत, अवधि, भोजपुरी, मैथिली, बंगाली, असमी, उड़िया, शौरसैनी, मागधी, उर्दू, राजस्थानी, मैणी, भीली, सिंधी, हरियाणवी, पंजाबी, गढ़वाली, कुमाउँनी, नेपाली आदि भाषाओं

और बोलियां के शब्द शामिल हैं। अत: आज की हिंदी भाषा दुनिया की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है। आपको विदित है कि भारत देश वर्ष 1947 में विदेशी आक्रांताओं से आजाद हुआ। भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 343 (1) में उल्लेख किया गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी ही संघ सरकार की राजभाषा होगी। इसके अलावा, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की 22 भारतीय भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में सूचीबद्ध किया है। इससे यह स्वत: सिद्ध होता है कि हिंदी भाषा न केवल संघ सरकार की राजभाषा है बल्कि 14 राज्यों की भी राजभाषा है। वैसे भारत देश में 121 भाषाएं और 270 मात्रभाषाएं बोली जाती हैं। यहां यह उल्लेख करना उतना भी प्रासंगिक होगा कि हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा हिंदी हमारे देश की सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और यह देश की संपर्क भाषा भी है।

तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे ध्वनि, स्वरुप, रंग, व्यक्ति नाम, स्थान नाम, कार्य आदि के आधार पर शब्द जन्मते या बनते हैं। हिंदी में ‘सैंडो’ उस बनियान या गंजी को कहते हैं जिसमें बांह या आस्तीन नहीं होती है। सैंडो मूलत: एक पहलवान का नाम था, जिसने पहली बार इस प्रकार का बनियान पहना था। बाद में उस पहलवान के नाम पर ही इस विशेष प्रकार के बनियान का नाम चल पड़ा। जैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के नाम पर नेहरू जैकेट और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नाम पर मोदी कुर्ता का चलन भारत में खासा प्रसिद्ध है। सैंडो तो मर गया लेकिन उसका नाम इस रुप में अमर है। गुजरात के प्रसिद्ध शहर सूरत को कभी पुर्तगालियों ने अपना केंद्र बनाया था। पुर्तगाली सूरत से ही भारत के कई क्षेत्रों में खाने की तम्बाकू भेजते थे। पुर्तगालियों के तम्बाकू का व्यापर बढ़ने के साथ ही बहुत से स्थानों पर ‘सूरत’ से आने वाली ‘तम्बाकू’ को ‘सुरती’ या ‘सुर्ती’ कहा जाने लगा। हिंदी प्रदेश के कई पूर्वी क्षेत्रों में आज भी खाने की तम्बाकू को सुर्ती कहते हैं। ऐसे ही ‘चीनी’ शब्द चीन पर आधारित है। चीनी आज जिस रुप में मिलती है, वह पहले-पहल चीन में ही बनी थी। इसी प्रकार, ‘मिस्त्री’ का संबंध मिस्त्र देश से है। मिस्त्री शब्द भारत में वहीं से आया है। ‘एटलस’ शब्द हिंदी का न होते हुए भी हिंदी का अपना हो गया है। नक्शों की किताब को एटलस कहते हैं। इसकी उत्पत्ति की कथा बड़ी विचित्र है। ‘एटलस’ एक दैत्य था, जिसका नाम यूनानी पौराणिक कथाओं में मिलता है। कथाओं के मुताबिक ‘एटलस’ उन खम्भों का रक्षक था जिस पर स्वर्ग टिका है। नक्शे की पुस्तक के लिए इसके नाम के प्रयोग में प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जान मरकेटर (1512-1596) का हाथ है। उन्होंने अपने नक्शों की किताब के कवर पर एक फोटो लगवाई थी जिसमें एक दैत्य ने अपने कंधों पर विश्व को उठा लिया था। उसके नीचे एटलस शब्द छपा था। उसी को लेकर नक्शें की पुस्तकों के लिए यह शब्द प्रचलित हो गया और उस शब्द का प्रयोग प्रायः नक्शों की किताब के अर्थ में ही होता है।

हिंदी भाषा ने अपना विकास ही अनेक देशी और विदेशी भाषाओं और बोलियों के शब्दों को बड़े पैमाने पर अपनाने से किया है। शब्दों का विस्तार भाषा को ताकतवर और लंबे समय तक जीने के साथ ही लोकप्रिय भी बनाता है। हिंदी में उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। ये भेद तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज कहलाते हैं। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी या विदेशज कहलाते हैं। तदनुसार अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी के ऐसे अनेक शब्द हिंदी में आए और इसमें रम गए हैं।

अंग्रेजी- आमतौर पर अंग्रेजी दुनियाभर में बोली और समझी जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी के कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, टिकट, मशीन, कम्प्यूटर, सिगरेट, साइकिल और स्टेशन जैसे असंख्य शब्द अब हिंदी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं।

फारसी- आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी भाषा का नाम हिंदी भी फारसी का शब्द है। सांस्थानिक तौर पर अभी यह भाषा काफी असरदार रही है। फारसी भाषा के शब्द अनार, चश्मा, जमींदार, कुरान, नमक, नमूना, बीमार, रुमाल, आदमी, गंदगी आदि सैकड़ों शब्द भी हिंदी को सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं।

अरबी- अरबी इस्लाम मजहब की भाषा है और विश्व प्रसिद्ध कुरान-ए-शरीफ अरबी भाषा में ही लिखी गई है। अरबी भाषा के शब्द औलाद अमीर, कत्ल, कलम, रिश्वत, आदत, कैदी, मालिक, गरीब हिंदी को तहजीब सिखाते प्रतीत होते हैं।

उर्दू- उर्दू दक्षिण एशिया के मुसलमानों द्वारा बोली जाती है। उर्दू अधिकांशतः नस्तालीक लिपि में लिखी जाती है जो अरबी-फारसी लिपि का एक रूप है। उर्दू दाएँ से बाएँ लिखी जाती है। भारत में उर्दू देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू तर्जुमा के अखबार, आवाज, आराम, अंदर, अफसोस, आदत, इन्कलाब, इमारत, गजल, जवान जैसे हजारों शब्द हिंदी में घुलमिलकर इसकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं।

चीनी भाषा से चाय, लीची, कारतूस, सिंदूर, चीकू और चीनी शब्द जिनसे हमारे चीन के साथ आपसी संबंद्धों को दर्शाते हैं। इसी प्रकार तौलिया, तंबाकू, आला, अलमारी, इस्पात और गोदाम जैसे पुर्तगाली शब्द भी हिंदी ने आत्मसात कर लिए हैं। इसी तरह, तोप, कुरान, बादाम, बाजार, लश्कर, हफ्ता जैसे तुर्की भाषा शब्द और ताजा, गुलाब, जाम, दिमाग, हुनर और चरागाह जैसे पर्शियन शब्द हिंदी जुबान के अभिन्न अंग हो गए है।

हिंदी अपनी इसी लचीलता की विशेषता के कारण आज बोलचाल से लेकर मीडिया (प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक) व्यवसाय, फिल्म और बाजार की बड़ी भाषा बन गई है। अतः हिंदी आज विश्व की सबसे समृद्ध भाषा बन गई है। वह दिन दूर नहीं जब हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा होगी। भौगोलिक क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से भारत दुनिया में अपना निश्चित स्थान रखता है लेकिन आजादी के अमृतकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ संस्कृति और भाषा के आधार पर देश-दुनिया में अपना परचम लहराएगा।

■ मोहन लाल मीणा
उप निदेशक (राजभाषा)
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

भारतीय
भाषा
मंच
नई दिल्ली
क
ख
k

साहित्यिक अनुवाद और भारतीय संस्कृति का वैश्विक विस्तार

प्रस्तावित विषय पर विचार करते समय हमें इस विषय में प्रयुक्त तीन पदबंधों पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए| सबसे पहले साहित्यिक अनुवाद, दूसरा - भारतीय संस्कृति और तीसरा - वैश्विक विस्तार। इन तीनों अवधारणाओं को समझ लेने से इस विषय का सांगोपांग वर्णन एवं विश्लेषण सहज एवं स्वाभाविक ढंग से हो पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

साहित्यिक अनुवाद का एक विशेष रूप होता है, इसमें किसी साहित्यिक रचना को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनूदित किया जाता है। अनुवाद वास्तव में एक अत्यंत जटिल किंतु महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है और अनुवाद का सबसे जटिल रूप है - साहित्यिक अनुवाद। अनुवाद संस्कृत मूल का एक तत्सम शब्द है, जो 'वद' धातु से पहले 'अनु' उपसर्ग जुड़ने से बना है। इसका शब्दार्थ है – 'किसी कही हुई बात के बाद कहना' या 'बोले गए कथन के बाद किया गया भाषांतरण', भाषांतर, उल्था, तर्जुमा, फिर कहना।

अनुवाद का स्वरूप

प्रोफेसर पूरन चंद टंडन का मानना है कि भारतीय संस्कृत साहित्य में अनुवाद शब्द के संबंध में स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलते, किंतु वैयाकरणों और काव्यशास्त्र चिंतकों द्वारा काव्य के स्वरूप, काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु आदि के संबंध में जो विस्तृत विश्लेषण-विवेचन किया गया, उसी में प्रकारांतर से अनुवाद का भी संबंध दिखाई देता है।

अनुवाद की परिभाषा में कुछ विद्वानों द्वारा कहा गया है कि अच्छा अनुवाद वह है, जो अनुवाद न लगे। इस परिभाषा में ही अपने आप में एक विरोधाभास विद्यमान है। साहित्य की किसी अन्य विधा के संबंध में हम ऐसी अपेक्षा नहीं रखते। हम कभी यह नहीं कहते कि कहानी ऐसी हो जो कहानी न लगे या कविता ऐसी हो जो कविता न लगे। ऐसे में अनुवाद से इस प्रकार की अपेक्षा करना आकाश से चाँद-तारे तोड़ लाने के समान ही कहा जा सकता है।

अनुवाद को यदि सांस्कृतिक सेतु कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में अनुवाद एक बहुआयामी और बहुदिशागामी सेतु है| अनुवाद पूरी दुनिया में निर्बाध आवागमन सुलभ कराने वाला माध्यम है। अनुवाद दो देशों, दो समाजों, दो संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचित कराने, उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने और उनमें आपसी सद्भाव पैदा करने का एक सशक्त माध्यम है।

अनुवाद का स्वरूप
Français
Deutsch
Español
Русский
한국어
Polskie
Português
Український
中文
italiano
Translate
bahasa Indonesia
English
Tiếng Việt
Türk

भारत में अनुवाद कार्य को साधन नहीं, अपितु साध्य माना गया, जिसे साधने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। आज के दौर में विभिन्न मशीनें अनुवाद करने लगी हैं, किंतु ध्यान देना होगा कि मशीन हमारी सहायता के लिए है, एक साधन मात्र है, मशीन द्वारा किया अनुवाद साध्य नहीं हो सकता। मशीन कभी मानव का स्थान नहीं ले सकती। अनेक शब्द ऐसे होते हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ उस भाषा में होते हैं और वहाँ उपयुक्त शब्द का चयन करना मानव मस्तिष्क का ही कमाल होता है; वहाँ मशीन प्राय: असफल हो जाती है। इसका परिणाम होता है भ्रष्ट, अशुद्ध और हास्यास्पद अनुवाद।

मात्र तथ्य या शब्दों का अनुवाद वास्तविक अनुवाद नहीं है, अपितु शब्दों में निहित अर्थ छटाओं का अनुवाद, सांस्कृतिक प्रतीकों, मिथकों-बिंबों और अलंकारों का अनुवाद, मुहावरे-लोकोक्तियों और शब्द-शक्तियों का अनुवाद सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होता है। अनुवाद वास्तव में डूबकर पार उतरने की कला है, इसमें जो पूर्णत: डूब जाते हैं, वही पार लग पाते हैं।

अनुवाद के प्रकार एवं साहित्यिक अनुवाद का महत्त्व

अनुवाद अनेक प्रकार का होता है। जैसे शब्दानुवाद जिसमें शब्द के स्थान पर दूसरी भाषा के शब्द को रख दिया जाता है। इसे संस्कृत में 'मक्षिका स्थाने मक्षिका' याने मक्खीके स्थान पर मक्खी रखना कहते हैं। इस अनुवाद का महत्त्व विशेष रूप से उन स्थानों पर होता है, जहाँ शब्द पर आधारित रचना होती है। दूसरा अनुवाद भावानुवाद कहा जाता है, जिसमें पूरे वाक्य के भाव को समझकर लक्ष्य भाषा में उसी भाव को व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। यह अनुवाद प्राय: साहित्यिक रचनाओं के लिए अनिवार्य होता है और मेरे विचार में साहित्यिक अनुवाद विशेष रुप से चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि साहित्य में केवल शब्द और वाक्य ही नहीं होते, अपितु उसमें उस समाज की सोच, जीवन मूल्य, सांस्कृतिक चिंतन अभिव्यक्ति पाता है, जिस समाज में मूल लेखक रहता है।

साहित्यिक अनुवाद का स्वरूप एवं महत्त्व बताते हुए अपने लेख – 'साहित्यिक अनुवाद : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ' में प्रो. अरुण होता लिखते हैं, "किसी भी भाषा के साहित्य की विविध विधाओं की अन्य भाषा में अनूदित रचना को साहित्यिक अनुवाद कहा जाना चाहिए। काव्यानुवाद, कथानुवाद, नाट्यानुवाद आदि साहित्यिक अनुवाद की विविध कोटियाँ हैं। XXX साहित्यिक अनुवाद भाषिक प्रक्रिया मात्र नहीं है। न ही यह स्रोत-भाषा के शब्दों को लक्ष्य-भाषा के शब्दों में तब्दील कर देना है। साहित्य का मूलाधार संवेदना है। अनुवादक को उस संवेदना को परत-दर-परत खोलना पड़ता है। साहित्यिक अनुवाद कलात्मक तो है ही, वह सांस्कृतिक झरोखा भी है। संदर्भ-ज्ञान की क्षमता भी है।"

मेरे विचार में सांस्कृतिक सेतु का कार्य वस्तुतः साहित्यिक अनुवाद ही करता है। इसका कारण भी स्पष्ट है। जैसा कि सभी जानते हैं कि साहित्य को समाज का दर्पण इसी अर्थ में कहा जाता है कि वह लेखक के समसामयिक सामाजिक परिवेश को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अनुवाद के अनेक सकारात्मक पक्ष हैं, वहीं इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। असावधानी, लापरवाही या षड्यंत्र के अंतर्गत किया गया अनुवाद न केवल उस रचना और रचनाकार के साथ अन्याय करता है, उसकी गलत छवि प्रस्तुत करता है, अपितु देश और उस संस्कृति को भी हानि पहुँचाता है, जिससे उस रचना का, उस भाषा का संबंध होता है।

भारतीय संस्कृति का वैश्विक विस्तार

साहित्यिक अनुवाद के स्वरुप और महत्त्व को समझ लेने के पश्चात भारतीय संस्कृति और वैश्विक विस्तार शब्दों पर भी चर्चा कर लेनी आवश्यक है। संस्कृति अर्थात् सम्यक रूप से रची गई कृति। भारतीय संस्कृति का उल्लेख करते ही हमारे सम्मुख संस्कृत का विश्व स्तरीय साहित्य साक्षात हो जाता है। वैदिक और लौकिक संस्कृति में रचे गए विपुल साहित्य को ही भारतीय संस्कृति का मूलाधार माना जाता है। भारतीय संस्कृति सत्यमेव जयते; वसुधैव कुटुंबकम; मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव; परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपीडनम; तेन त्यक्तेन भुंजीथा; सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया; असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय, जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसी जैसे जीवन मूल्यों का दूसरा नाम है।

तीसरा बिंदु है - वैश्विक विस्तार। 'विश्व' शब्द में 'इक' प्रत्यय लगाने से 'वैश्विक' शब्द बनता है, जिसका अर्थ है - पूरे विश्व में, और विस्तार का अर्थ है - फैलाव। इसी 'विश्व' शब्द में 'करण' लगाने से 'वैश्वीकरण' शब्द भी बनता है, जिसके समानांतर 'भूमंडलीकरण' शब्द भी कुछ समय तक प्रचलित हुआ। ये दोनों शब्द अंग्रेजी के 'ग्लोबलाइजेशन' के समानांतर गढ़े गए। अब इनमें से 'वैश्वीकरण' शब्द ही अधिक प्रचलित एवं स्वीकार्य हो गया है। भारतीय जीवन दृष्टि, जीवन दर्शन, जीवन मूल्य अर्थात भारतीय संस्कृति के विश्व भर में प्रचार-प्रसार का आधार साहित्यिक अनुवाद ही है।

विषय में आए तीनों पदबंधों को समझ लेने के पश्चात अब हम मुख्य विषय के अंतर्गत साहित्यिक अनुवाद की वस्तुस्थिति का वर्णन संक्षेप में करेंगे।

साहित्यिक अनुवाद द्वारा भारतीय संस्कृति का वैश्विक विस्तार

संस्कृत और हिंदी साहित्य ने सदा ही विदेशी विद्वानों को बहुत

आकृष्ट किया है। इसी कारण बड़ी संख्या में संस्कृत और हिंदी की श्रेष्ठ रचनाओं का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह कार्य निरंतर जारी है| कुछ प्रमुख अनुवादों पर अब यहाँ चर्चा करेंगे।

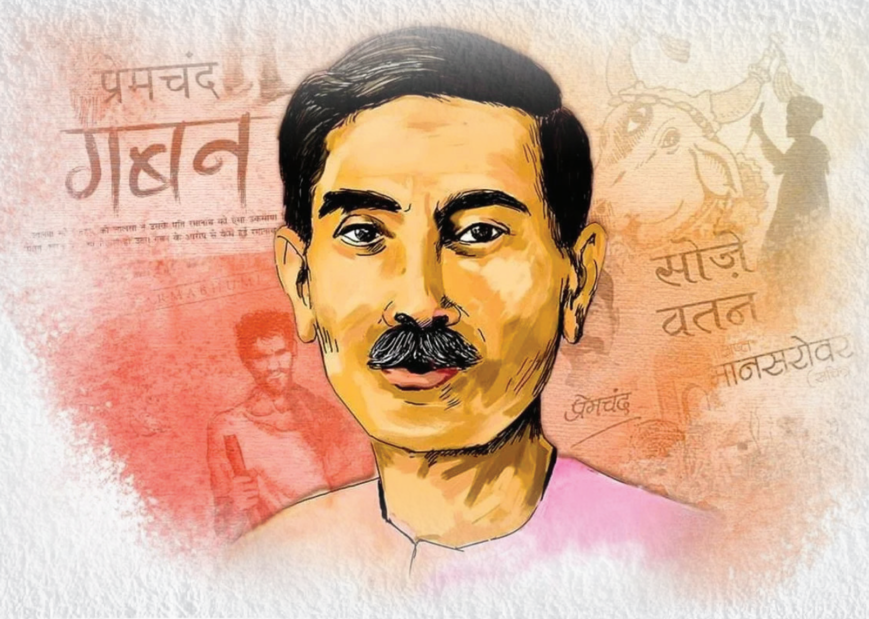

संस्कृत के वेदों पुराणों उपनिषदों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य का विविध भाषाओं में साहित्यिक अनुवाद होता रहा है, जिनमें से कुछ चर्चित अनुवाद इस प्रकार हैं - आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित 'वाल्मीकि रामायण' का प्रोफेसर चिनतिंग हॉन ने चीनी भाषा में अनुवाद किया| मनुस्मृति, वात्सायन रचित कामसूत्र, और मृच्छकटिकम् जैसी संस्कृत की महत्त्वपूर्ण कृतियों का प्रोफेसर क्रिस्टोफर ब्रिस्की ने पोलिश भाषा में अनुवाद किया। संस्कृत के दूसरे महाकाव्य 'महाभारत' के कुछ अंश तथा 'बेताल पचीसी' का पोलिश भाषा में अनुवाद हेलेना बिलमानोवा ने किया।

भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्वरुप प्रदान करने में जिस रचना की सर्वाधिक भूमिका रही है, वह है - महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित - रामचरितमानस। इसका अंग्रेजी में अनुवाद फ्रेडरिक सैमुअल ग्राउज ने किया, तो चीनी में अनुवाद प्रोफेसर चिनतिंग हॉन ने किया।

हिंदी के 'उपन्यास सम्राट' या 'कलम के सिपाही' जैसे अलंकरणों से विभूषित मुंशी प्रेमचंद की अनेक कहानियों और उपन्यासों का विभिन्न विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रेमचंद का लेखन अपने समय के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्नों से निरंतर जूझता रहा है। प्रेमचंद का साहित्य तत्कालीन भारतीय समाज का दर्पण कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके द्वारा लिखे 12 उपन्यासों में सर्वाधिक चर्चित एवं प्रसिद्ध उपन्यास है - गोदान। 'गोदान' को भारतीय किसान और खेती की महागाथा भी कहा जाता है। इसमें ग्रामीण और शहरी भारतीय जीवन के विविध रंग दिखाई देते हैं। प्रेमचंद के इस कालजयी महाकाव्यात्मक उपन्यास 'गोदान' का विश्व की 20 से अधिक भाषाओं में अनुवाद होना स्वयं इसकी महत्ता का परिचायक है।

हिंदी के सुप्रसिद्ध आँचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ 'रेणु' के सर्वाधिक चर्चित उपन्यास 'मैला आँचल' का इतालवी भाषा में डॉक्टर चिपीलिया और पोलिश भाषा में यूल्यूष पारनोवस्की ने अनुवाद किया| इसके अतिरिक्त रोमानियन, चीनी और फ्रांसीसी भाषा में भी 'मैला आँचल' का अनुवाद हो चुका है। यशपाल द्वारा रचित 'झूठा सच' तथा हिमांशु जोशी द्वारा रचित 'कगार की आग' का चीनी भाषा में अनुवाद प्रोफेसर चिनतिङ् हॉन ने किया। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ और कृष्ण चंद्र की 'दादर पुल के बच्चे' का बल्गारियन भाषा में अनुवाद कॉलचो कोवाचेव ने किया| प्रसिद्ध रूसी विद्वान पी. ए. वारान्निकोव ने उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यास 'गिरती दीवारें' विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित 'हिमालय की बेटी' तथा हिंदी के प्रख्यात व्याकरण आचार्य कामता प्रसाद गुरु द्वारा रचित 'हिंदी व्याकरण' का रूसी में अनुवाद किया। मोहन राकेश के चर्चित नाटक 'आषाढ़ का एक दिन' का पोलिश भाषा में अनुवाद यूल्यूष पारनोवस्की ने किया। प्रोफेसर क्रिस्टोफर ब्रिस्की ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित 'बकरी' और लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित 'तोता मैना' के अतिरिक्त प्रेमचंद की कहानी 'गरीब की हाय' का हिंदी से पोलिश भाषा में अनुवाद किया।

डॉक्टर एवा अरदी ने धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, जैनेंद्र कुमार, मन्नू भंडारी तथा राजेंद्र यादव की कुछ कहानियाँ, कबीरदस, तुलसीदास, हरिवंश राय बच्चन, मैथिलीशरण गुप्त और वीरेंद्र मिश्र की कुछ कविताएँ और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' के महाकाव्य 'उर्वशी' के कुछ भाग का अनुवाद हंगेरियन भाषा में किया है। कविवर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य

'कामायनी' का फ्रांसीसी और चीनी भाषा में अनुवाद किया जा चुका है।

आधुनिक काल के चर्चित कवि कुंवर नारायण की रचना 'आत्मजयी' का इतालवी भाषा में अनुवाद मरियोला अरादी ने किया है। 200 से अधिक हिंदी की साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद बल्गारियन भाषा में किया जा चुका है, जिनमें उदय प्रकाश, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण डॉ अजय नावरिया आदि प्रमुख हैं।

भारतीय संस्कृति जिस अनेकता में एकता को समाहित किए हुए हैं, विश्व से उसका परिचय हम अनुवाद के माध्यम से ही करवा सकते हैं। इसी प्रकार विश्व में जो भी श्रेष्ठ चिंतन हुआ है, जो भी महत्त्वपूर्ण साहित्य सृजन हुआ है, जो भी वैज्ञानिक-तकनीकी उन्नति हुई है, उसे हम हिंदी में अनुवाद के माध्यम से अपने देश के लिए उपयोगी बना सकते हैं।

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस 'निज भाषा की उन्नति' की बात की थी, वह भी अनुवाद के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए भारतेंदु और द्विवेदी युग के अनेक साहित्यकारों ने श्रेष्ठ विदेशी साहित्य और ज्ञान के विषयों के महत्त्वपूर्ण ग्रंथों को हिंदी में अनूदित किया, जिससे हिंदी समृद्ध हुई। इन सब से यह सिद्ध है कि साहित्यिक अनुवाद भारतीय संस्कृति के वैश्विक विस्तार में सहायक है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति के वैश्विक विस्तार में साहित्यिक अनुवाद की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

संदर्भ

1. रामचंद्र वर्मा, संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर, पृष्ठ 43
2. प्रो. पूरन चंद टंडन, 9-7-2020 को ई संगोष्ठी में वक्तव्य
3. वही
4. राजभाषा भारती, अंक 129 अप्रैल-जून 2010, पृष्ठ 12-13
5. डॉ. रवि शर्मा, ग्लोकल हिंदी, पृष्ठ 213-215

संदर्भ ग्रंथ

1. **संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर -** रामचंद्र वर्मा, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी संस्करण 1987
2. **ग्लोकल हिंदी -** डॉ. रवि शर्मा 'मधुप' किताबघर, नई दिल्ली संस्करण 2006
3. **विदेश में हिंदी :** स्थिति और संभावनाएँ संपा. ओमप्रकाश केजरीवाल, नेहरु स्मारक संग्रहालय, तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली संस्करण 2004
4. **हिंदी : दशा और दिशा –** संपा. डॉ. महेश दिवाकर, विश्व पुस्तक प्रकाशन, दिल्ली संस्करण 2014
5. **हिंदी : राजभाषा, विश्वभाषा, जनभाषा –** संपा. वीरेंद्र परमार, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली संस्करण 2013
6. **राजभाषा भारती, गृह मंत्रालय, भारत सरकार,** अंक 129 अप्रैल-जून 2010

■ **प्रो. रवि शर्मा 'मधुप'**
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
हिंदी विभाग, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स
दिल्ली विश्वविद्यालय

मीडिया में अनुवाद: रोजगार के अवसर

भाषा व्यवहार के व्यापक परिप्रेक्ष्य में अनुवाद की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है। भाषा, हमारे मनोगत भावों एवं संवेदनाओं को दूसरे के समक्ष प्रकट करने का सार्थक और सशक्त माध्यम है। लेकिन, विश्व की तमाम मानव जातियों के बीच पारस्परिक संप्रेषण के इस (भाषा) माध्यम में व्याप्त भेद को दूर करने में अनुवाद, महत्वपूर्ण संपर्क सेतु का काम करता है। विभिन्न समाजों/देश-विदेश के स्तर पर भाषाओं की विविधता एवं मनुष्य के भाषा-ज्ञान की सीमा से पार पाकर सार्थक संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन है - अनुवाद। ऐतिहासिक तथ्य है कि पारस्परिक संपर्क की स्थिति का संदर्भ चाहे सिकंदर और पोरस के बीच संवाद कायम करने से जुड़ा रहा था और चीनी यात्रियों एवं भारतीय मनीषा के बीच पारस्परिक संवाद हो या फिर वास्को डि गामा और दक्षिण भारतीयों में संवाद रहा हो - अनुवाद ही माध्यम बना था। अनुवाद: अनिवार्य आवश्यकता एवं स्थिति भाषा नहीं जानने वालों के बीच परस्पर संवाद-संपर्क की स्थिति में यदि अनुवाद आवश्यक है तो सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापारिक-व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संबंध स्थापना के लिए भी इसकी विशेष प्रासंगिकता है। भिन्न भाषाओं की साहित्यिक-सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का गहन एवं व्यापक अध्ययन-विवेचन अनुवाद से ही संभव हो पाता है। इसके अलावा, मानविकी और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में देश-विदेश में हो रहे अनुसंधान और विकास के बारे में अद्यतन और अधुनातन जानकारी को प्राप्त करके अपने देश-समाज के ज्ञान-विज्ञान जगत में उपलब्ध जानकारी को समृद्ध-संपन्न एवं अद्यतन करने के लिए भी अनुवाद जरूरी होता है। ज्ञान के अनुशासन, शास्त्र और विद्याएँ अनेकानेक हैं और उन्हें अर्जित करने एवं समय की कहीं न कहीं सीमितता है। संबंधित भाषा को जानकर-समझकर उसमें रचित ज्ञानादि का अर्जन-आस्वादन करना समस्त मानव जाति के किसी भी प्राणी के लिए एक सीमा के बाद तो बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है। इसलिए भिन्न भाषाओं में रचित ज्ञानादि को अपनी भाषा में लाकर उस ज्ञानराशि को अर्जित करना एवं अपने भाषा-

EXPRESS
NBT
नवभारत टाइम्स
hindustan times
THE TIMES OF INDIA
DECCAN Chronicle
दैनिक भास्कर
सकाळ
लोकमत
दैनिक जागरण
DECCAN HERALD
Jacko is back
अमर उजाला
राजस्थान पत्रिका

समाज को उपलब्ध कराना, वास्तव में, अनुवाद से ही संभव हो पाता है। भूमंडलीकरण के आज के दौर में तो अनुवाद की अनिवार्य आवश्यकता एवं स्थिति है। भूमंडलीकरण, 'ग्लोबल विलेज' की अवधारणा का पक्षधर है। लेकिन, उसका मूल उत्स 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भारतीय विचार दृष्टि में निहित है। मूलतः विश्व बंधुत्व की यह पुनीत भावना अनुवाद से पुष्ट हो पाती है, सार्थक सिद्ध हो पाती है। व्यवसाय के रूप में अनुवाद: अनुवाद की आवश्यकता के मूल में अनुवादक की स्वेच्छा अर्थात सर्जनात्मक प्रेरणा ने शक्ति-स्रोत का काम किया है। इस दृष्टि के आधार पर किए जाने वाले अनुवाद-कर्म के लिए न तो अनुवादक से किसी विशेष प्रकार के औपचारिक अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा रहती थी और न ही भाषा के सूक्ष्म-अतिसूक्ष्म ज्ञान या अद्यतन अनुवाद सिद्धांतों के बोध की। दूसरी भाषा में रचित नए और स्वयं में विशिष्ट साहित्य - भले ही वह सर्जनात्मक साहित्य हो या फिर ज्ञानात्मक साहित्य - को अपनी भाषा के लोगों तक स्वेच्छा से पहुँचाने का काम अनुवादक कर दिखाता रहता है। स्वाभाविक है कि इस स्तर पर या इस प्रकार किया जाने वाला अनुवाद वह 'व्यक्तिगत कार्य' है जो अनुवादक से अपने भाषा-ज्ञान के आधार पर लक्ष्य भाषा में पुनःसृजन का काम कराता है। पुनःसृजन की इस स्वैच्छिक क्रिया से अनुवादक को एक विशिष्ट सर्जनात्मक सुख की अनुभूति होती है। विशेष यह भी है कि यह अनुभूति, मौलिक सृजन के सुख की तुलना में कतई कमतर नहीं होती। इसीलिए अनुवाद रूपी साधना-कर्म को 'स्वांतःसुखाय' माना जाता रहा है। भारत में अनुवाद कर्म को एक लंबे समय तक इसी 'स्वांतः सुखाए' दृष्टि से व्यवहार में लाया जाता रहा है। इस संदर्भ में मध्यकालीन विश्व-कवि गोस्वामी तुलसीदास का नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय है, जिन्होंने 'स्वांतःसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा' की घोषणा करते हुए 'रामचरितमानस' जैसी अपनी कालजयी रचना लिखी जो मूलतः सर्जनात्मक पुनःसृजन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह, अनुवादक के द्वारा सामाजिक दायित्वों को गंभीरता से निभाने का संकेत भी करता है। लेकिन, समय के साथ-साथ आत्म-संतोष पर व्यावहारिकता और व्यावसायिकता हावी होती चली गई। परिणामस्वरुप, स्वैच्छिक क्रिया से आगे बढ़कर अनुवाद व्यावसायिक रुप धारण करता चलता गया; रोजगार प्राप्ति का जरिया बनने लगा। व्यवसाय के रुप में अनुवाद के प्रारंभिक विकास की प्रवृत्ति साहित्यिक अनुवाद के क्षेत्र में नजर आती है। अमेरिका और यूरोप में इस प्रवृत्ति और प्रक्रिया का व्यवहार बहुत तेजी से विकसित होना शुरु हुआ था। भारत में भी देखें तो यहाँ 1960 के बाद अनुवाद साहित्यिक-सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सीमाओं से बढ़कर भाषा व्यवहार के प्रयोजनमूलक क्षेत्रों के लिए अपरिहार्य हो गया। इसके साथ-साथ ज्ञान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी जगत के विकास ने जीवन व्यवहार को बहुआयामी रुप प्रदान कर दिया है। इन क्षेत्रों में भाषा की अनिवार्य उपस्थिति ने अन्य भाषा-भाषियों के साथ संप्रेषण-संवाद में अनुवाद की अनिवार्यता बढ़ा दी है। शासन-प्रशासन, बैंक, वाणिज्य-व्यापार, ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा, पर्यटन, चिकित्सा, साहित्यिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जनसंचार (मीडिया) आदि क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता ने इसे रोजगार के माध्यम के रुप में प्रतिष्ठित किया। वास्तविकता यह है कि स्वैच्छिक क्रिया से ऊपर उठकर मानव-जीवन के कमोबेश समस्त व्यावहारिक कार्यों के निष्पादन के लिए अनुवाद हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है; इसके बिना व्यक्ति असहाय है। सूचना और संचार क्रांति के विकास के कारण जीवन के हर क्षेत्र में आई क्रांति, अनुवाद की इस अनिवार्य आवश्यकता को 'अपरिहार्यता' में बदल रही है। इस स्थिति ने संचार माध्यमों के प्रसार और गुणवत्ता में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इसके कारण, आज समूचा विश्व 'एक गाँव' में बदल गया है; भौगोलिक दूरियाँ समाप्त हो गई हैं। सूचना का तीव्र गति से संचार हो रहा है। व्यावहारिकता के स्तर पर देखें तो जनसंचार के प्रकारों में लगातार हो रही वृद्धि से यह क्षेत्र निरंतर व्यावसायिकता की नई-नई ऊँचाइयों को छूट रहा है, रोजगार के नए-नए और सुनहरे अवसर उपलब्ध करा रहा है। इसके कार्य-क्षेत्र की बढ़ती व्यापकता और भाषायी दूरियों को पाटने का काम अनुवाद के बिना संभव नहीं। जनसंचार की इस विश्व-व्यापकता के साथ-साथ उसका 'स्थानीय' होना जरूरी होता है। तभी वह सही अर्थों में अपनी आवश्यकता को सिद्ध कर पाता है और यह जुड़ाव अपनी भाषा के बिना संभव नहीं है। देश-विदेश के संचार को अपनी भाषा में अनुवाद के द्वारा लाया जा पाता है; जो अनुवादकर्मियों की उपलब्धता और सक्रियता से ही संभव हो

पाता है। इस परिदृश्य ने जनसंचार में रोजगार के साधन के रूप में अनुवाद की आवश्यकता और क्षेत्र विस्तार का संवर्धन किया है, उसे बढ़ावा दिया है। जनसंचार में अनुवाद की अनिवार्यताजन्य रोजगार के अवसर: अगर हम विशेष तौर पर जनसंचार के क्षेत्र में रोजगार के रूप में अनुवाद पर विचार करें तो सबसे पहले यही परिदृश्य नजर आता है कि अनुवाद के जरिए जनसंचार माध्यमों का तीव्र गति से विकास हो रहा है। स्थिति यह है कि अनुवाद के बिना इन माध्यमों का अस्तित्व में रह पाने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जनसंचार में अनुवाद की अनिवार्यता ने अनुवाद संबंधी रोजगार के अनेक अवसर पैदा किए है। सच्चाई यह है कि जीवन-व्यवहार के विविध औपचारिक क्षेत्रों की तुलना में जनसंचार के क्षेत्र में अनुवादकों के लिए रोजगार के अवसर सर्वाधिक हैं। विशुद्ध रुप से अनुवाद कर्म के अलावा, सहायक संपादक से लेकर प्रधान संपादक तक; तथा संवाददाता-पत्रकार से लेकर समाचार एजेंसियों तक में अनुवाद कार्य की ही प्रधानता नजर आती है। मीडिया जगत में वस्तुस्थिति यह है कि किसी भी स्तर पर और रूप में संपादन-कर्म करने वालों को अनुवाद-कर्म भी करना पड़ता है। समाचार और अनुवाद: वैसे, अगर हम भारत जैसे किसी बहुभाषिक समाज की बात करें, यहाँ के जनसंचार माध्यम अलग-अलग भाषाओं का व्यवहार करने वाले लोगों के लिए होते हैं। स्वाभाविक है कि उन सभी माध्यमों में प्रकाशित अथवा प्रसारित होने वाले समाचारों और सूचनाओं का संबंध भी बहुभाषा-भाषी लोगों से होता है। वे सूचनाओं और घटनाओं के स्रोत भी होते हैं, जिन्हें एकत्रित करने का काम संवाददाता आदि करते हैं। बहुभाषिकता के इस परिवेश में अनुवाद, वहाँ के समाज के जनसंचार माध्यमों का अनिवार्य अंग होता है। मीडिया जगत में मुख्य रूप से समाचार एजेंसियों, संवाददाताओं और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इन जानकारियों की भाषा संबंधी बाधा अनुवाद के जरिए ही दूर की जाती है। समाचार एजेंसियों में ही अनुवादकों के लिए रोजगार के अवसरों पर विचार करने पर हम पाते हैं कि इन्हें अपने संवाददाताओं आदि के माध्यम से समाचार प्राप्त होते हैं। समाचार संकलित करने वाली एजेंसियाँ स्थानीय समाचारों को प्रमुख भाषाओं में एकत्र करते समय अनुवाद को ही माध्यम बनाती हैं क्योंकि किसी भी देश के समाचार मूल रुप से उसकी भाषा या भाषाओं में ही प्राप्त होंगे। उन्हें अपनी (अथवा लक्षित) भाषा में प्रस्तुत करने के लिए अनुवाद ही एकमात्र सहारा बचता है जिससे उस या उन समाचारों को दूसरी भाषाओं में भी दिया जा सके। यही स्थिति स्थानीय भाषाओं के समाचार को भी मीडिया की प्रमुख भाषा में लाने के मामले में भी बनती है। इस कार्य के लिए भी अनुवाद को ही माध्यम बनाया जाता है। इस आधार पर यह कह सकते हैं कि आज समाचार एजेंसियाँ पूरी तरह अनुवाद ही निर्भर हैं तथा अनुवाद से संबंधित रोजगार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा रही हैं। यहाँ हम उदाहरण के लिए यह उल्लेख कर सकते हैं कि देश-विदेश की विभिन्न समाचार एजेंसियाँ अपने संवाद (समाचार आदि) अंग्रेजी में ही भेजती हैं और उनका अनुवाद करके हिंदी-भाषी लक्षित वर्ग अथवा देश की अन्य भाषा-भाषियों तक उनकी भाषा में पहुँचाया जाता है। समाचार-पत्रों आदि तक पहुँचकर देश-विदेश की भाषाओं के इन समाचारों को, पत्र-पत्रिकाओं की अपेक्षित भाषाओं में अनुवाद करके प्रकाशित किया जाता है। इसी प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण होता है। इस मीडिया के लिए भी समाचारों और सूचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। समाचार-पत्रों जैसे मुद्रित माध्यमों और रेडियो-टेलीविजन जैसे दृश्य-श्रव्यात्मक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के संदर्भ में भी अनुवाद अपनी जरूरत को बनाए रखता है। वास्तव में मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए समाचारों आदि का अनुवाद और भाषा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। समाचारपत्र-पत्रिकाओं का क्षेत्र: मुद्रित माध्यमों के स्तर पर समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में अनुवादकर्मियों की आवश्यकता बनी होती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनकी बड़ी भारी माँग है क्योंकि देश-विदेश के समाचारों को स्थानीय बनाना अनुवादकों के बिना संभव नहीं कहा जा सकता। समाचार-पत्रों के अतिरिक्त, प्रकाशन जगत में विभिन्न प्रकार की पत्र-पत्रिकाओं में भी अनुवादकर्मियों की माँग है। अनेक पत्रिकाएँ अपने अनूदित संस्करणों के जरिए अखिल भारतीय स्वरुप प्राप्त करके अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी हैं। इनके द्विभाषी और बहुभाषी समांतर संस्करण निकालने की परिपाटी विकसित हो रही है। हालाँकि इस प्रवृत्ति के मूल में निहित

कारण व्यावसायिक दृष्टि ही है। इंडिया टुडे, स्टार कॉमिक्स, चंदामामा, नंदन, इंद्रजाल कॉमिक्स आदि अनेक पत्रिकाएँ न केवल अंग्रेजी और हिंदी में साथ-साथ प्रकाशित हो रही हैं, बल्कि एकाधिक भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित किए जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस-जनसत्ता, टाइम्स ऑफ इंडिया-नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स-हिंदी हिंदुस्तान जैसे दैनिक समाचार-पत्र अंग्रेजी और हिंदी में समांतर प्रकाशित हो रही हैं। इसी प्रकार, रीडर डाइजेस्ट-सर्वोत्तम और ब्लिट्ज़ आदि पत्रिकाओं के नामों का भी उल्लेख किया जा सकता है, जो अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में समांतर प्रकाशित हो रही हैं। ऐसी ही स्थिति अंग्रेजी/ हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन की भी है। वस्तुस्थिति यह है कि इस प्रकार के विभिन्न द्विभाषी अथवा बहुभाषी समाचार पत्र-पत्रिकाएँ या फिर संवाद एजेंसियाँ - अनुवादकर्मियों के बिना कार्य कर ही नहीं सकतीं। मुद्रित रूप में उपलब्ध साहित्यिक कृतियाँ और अनुवाद: मुद्रित रूप में उपलब्ध होने वाली साहित्यिक कृतियाँ भी अनुवादकों के लिए रोजगार प्राप्ति का एक विशेष क्षेत्र है। वस्तुस्थिति यह भी है कि अनुवाद संबंधी रोजगार में, सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तर पर कराए जाने वाले इनके अनुवाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्रीय साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत सरकार का प्रकाशन विभाग, राज्य साहित्य अकादमियाँ, ग्रंथ अकादमियाँ, विश्वविद्यालयों के प्रकाशन विभाग आदि में अनुवाद की अनिवार्य उपस्थिति दर्ज है। इस प्रकार के प्रयासों का नतीजा यह रहा है कि हिंदी, अनुवाद की केंद्रीय (मध्यस्थ) भाषा के रुप में प्रतिष्ठित होती चली जा रही है। इनके योगदान का उल्लेखनीय पक्ष यह भी है कि इन्होंने भारतीय भाषाओं में रचे जा रहे साहित्य को क्षेत्रीयता की परिधि से निकालकर राष्ट्रीय - अखिल भारतीय - स्तर पर स्थापित एवं प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के क्षेत्र: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी अनुवाद कर्म पर आधारित हैं। दृश्य-श्रव्यात्मक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत मुख्य रूप से रेडियो या टेलीविजन की बात की जाती है। इन माध्यमों से प्रसारित होने वाले समाचार और अन्य कार्यक्रमों की सफलता अनुवाद कर्म पर ही टिकी होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण किया जाता है, जिसके लिए समाचारों और सूचनाओं आदि का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। टेलीविजन के जरिए प्रसारित कार्यक्रम अब दिनोंदिन ज्यादा बहुभाषिक होते जा रहे हैं। रामायण, महाभारत, जय हनुमान या फिर कार्टून आदि अनेक टी.वी. सीरियल एक से अधिक भारतीय भाषाओं में दिखाए जा रहे हैं। दृश्य-श्रव्यात्मक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रुप में फिल्मों का अपना विशेष स्थान है। फिल्मों के मामले में भी अनुवाद की स्थिति लगातार चलती है। मीडिया में फिल्मों की डबिंग या सबटाइटलिंग के रूप में नए भाषायी व्यवहार और वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंटरी) आदि के तौर पर पाश्र्व वाचन (वॉयस ओवर) के रूप में भी अनुवाद नए रुप-रंग में प्रस्तुत किया जाता है। प्रादेशिक भाषाओं में बनी फिल्मों को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का काम हो या फिर विदेशी फिल्मों या कार्यक्रमों को टेलीविजन और सिनेमा पर देखना हो, अनुवाद सार्थक जरिए बनता नजर आता है। भारत में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में बनी फिल्में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से डबिंग करके हिंदी जैसे अन्य भाषायी मीडिया में दिखाई जाती हैं। 'टाइटनिक' जैसी असंख्य विदेशी फिल्मों का आनंद भी हम अनुवाद (डबिंग) के जरिए बड़े पैमाने पर ही लेते हैं।

डबिंग का क्षेत्र: डबिंग, फिल्म के साउंड ट्रेक पर रिकॉर्ड किए गए एक भाषा के संवादों और गीतों आदि को दूसरी भाषा में बदलने से संबंधित है। इसमें मूल फिल्म के संवादों और गीतों आदि का दूसरी भाषा (लक्ष्य भाषा) में अनुवाद करके, उन अनूदित संवादों-गीतों आदि को मूल भाषा के संवादों के स्थान पर रिकॉर्ड करके फिल्म में शामिल कर लिया जाता है। इस तरह, फिल्म (यानी मूल चित्र) तो वही बनी रहती है, किंतु अनुवाद के माध्यम से भाषा परिवर्तित हो जाती है और वह दूसरी भाषा के दर्शकों तक पहुँचने का जरिया बन जाती है। डबिंग का फिल्मों के अलावा, आम तौर पर टेलीविजन सीरियलों, कार्टूनों और देश-विदेश में बनी एनीमेटिड फिल्मों में भी उपयोग किया जाता है। विज्ञापन जगत भी डबिंग के व्यापक पैमाने पर व्यवहार के बाहर नहीं है। डबिंग का फिल्म और टेलीविजन जगत में जो व्यवहार नजर आता है, वह विशिष्ट तकनीकी ज्ञान, योग्यता एवं अपेक्षा रखने वाले कर्मठ अनुवादकर्मियों के महत्ती योगदान के बिना संभव नहीं। सबटाइटलिंग में अनुवाद: दृश्य-श्रव्यात्मक इलेक्ट्रॉनिक

माध्यम में डबिंग के साथ-साथ सबटाइटलिंग की भी बात की जा सकती है, जो फिल्मों (और टेलीविजन) के संवादों को पर्दे पर दूसरी भाषा में लिखित रूप में प्रस्तुत करने का आधार सिद्ध होता है। सबटाइटलिंग, सिनेमा और टेलीविज़न जैसे दृश्य माध्यम में पर्दे अथवा स्क्रीन पर नज़र आ रहे दृश्य के दौरान पात्रों द्वारा बोले गए संवादों-गीतों के शब्दों या फिर संवाद-रहित श्रव्य को लिखित रूप में दर्शाई जाने वाली सामग्री होती है। जैसे-जैसे दृश्य चलता नजर आता है, वैसे उसके संवादों आदि का मुद्रित रूप पर्दे (स्क्रीन) के निचले हिस्से में लिखा हुआ नज़र आता है। वैसे, यदि पर्दे के निचले भाग में पहले से ही अगर कोई लिखा हुआ हो तो यह पर्दे के शीर्ष भाग पर भी प्रदर्शित किया हुआ हो सकता है। इससे दर्शकों को उच्चरित संवाद या श्रव्य की जानकारी मिलती है और साथ ही भाषा ज्ञान अर्जन भी विकसित होता है।

विज्ञापन का क्षेत्र: जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञापन अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। जनसंचार के सभी माध्यमों से प्रसारित होने वाले विज्ञापन वास्तव में अनुवादकों के लिए रोजगार का बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सामान्य रूप से सभी प्रकार के विज्ञापनों का और खास तौर पर वाणिज्य-व्यापार संबंधी विज्ञापनों का अनुवाद विशिष्ट प्रकार के सर्जनात्मक अनुवाद कर्म की अपेक्षा रखते हैं। अनुवाद के डबिंग जैसे नए भाषायी रूप ने सिनेमा और टेलीविजन जैसे माध्यमों पर विज्ञापनों के अनुवाद को अत्यधिक विस्तार प्रदान किया है। एक मूल भाषा में तैयार विज्ञापन को देश-विदेश के अनेकानेक भाषा-भाषियों तक उनकी भाषा में पहुँचने का जरिया बन जाता है, अनुवाद। विज्ञापन के अनुवाद के लिए अनुवादक से विशेष कौशल तक की अपेक्षा बनी रहती है। वास्तविकता यह है कि विशिष्ट ज्ञान-कौशल संपन्न अनुवादकर्मियों के लिए विज्ञापन और फिल्म जगत रोजगार की व्यापक संभावनाओं का वह क्षेत्र है, जहाँ इनकी बड़ी भारी माँग है। ये सभी आयाम दर्शाते हैं कि इस प्रकार के नए रूप-रंग में अनुवाद कार्य एक बहुत बड़ा व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है, रोजगार-प्राप्ति का जरिया बन चुका है।

नव-इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और अनुवाद: सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ही नहीं, आज अनुवादकर्मियों की आवश्यकता नव-इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों तक भी विस्तार प्राप्त कर चुकी है। वेब सुगमित माध्यम या फिर सामुदायिक मीडिया जैसे माध्यमों में स्थानीयता, प्रांतीयता, राष्ट्रीयता एवं अंतरराष्ट्रीयता के आयामों को प्रयोक्ता वर्ग की भाषा के जरिए परोसने का काम अनुवाद और अनुवादकर्मियों के बिना संभव नहीं। वेबसाइट निर्माण के काम में या उसे दूसरी आधिकारिक भाषा में भी तैयार करने के लिए अनुवाद की बैसाखी लेकर ही आगे बढ़ा जाता है। मीडिया में अनुवाद की भिन्न एवं व्यापक भूमिकाएँ: जिस प्रकार मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक और नव-इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के रूप में जनसंचार के प्रकार-उपप्रकार नजर आते हैं, उसी प्रकार संचार के इन सभी साधनों में अनुवाद एवं अनुवादकर्मियों की भूमिकाएँ भी भिन्न और व्यापक हो रही हैं। वे जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में भिन्न-भिन्न स्तरों पर एवं अलग-अलग रूप में अनुवाद कर्म करते हैं। मुद्रण और प्रसारण के लिए सामग्री का अनुवाद, और विशेष तौर पर साहित्यिक रचनाओं का फिल्म-टी.वी. कायक्रमों के रूप में अनुवाद के एक रूप-विशेष 'रूपांतरण' बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा, सीधे (लाइव) अनुवाद , निर्वचन (इंटरप्रिटेशन) अथवा आँखों देखा हाल जैसे सीधे प्रसारण में राष्ट्रीय-सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजन, खेल, सामाजिक-सांस्कृतिक त्यौहारों अथवा आयोजनों, आपदाओं, विदेशी अति-विशिष्ट विभूतियों के आगमन एवं जनसभाओं को संबोधन, अंतरराष्ट्रीय समझौतों एवं प्रोटोकोल और इसी तरह के अन्य अनेक घटनाओं के विवरण आदि में अनुवाद की उपस्थिति एवं भूमिका किसी न किसी न रूप में बनी नजर आती ही है। कुल मिलाकर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जनसंचार के क्षेत्र में अनुवादकर्मियों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएँ हैं। लगातार और तीव्र गति से विकसित हो रहे इस क्षेत्र में अनुवाद कार्य न केवल दिन-प्रतिदिन ज्यादा प्रतिष्ठित और महत्व प्राप्त करता जा रहा है, बल्कि डबिंग-सबटाइटलिंग और वॉयस ओवर आदि नए-नए रूप ग्रहण कर या रूपांतरण जैसे माध्यम/ विधा परिवर्तन के रूप में विशिष्ट प्रकार के अनुवाद कर्म के द्वारा विस्तार भी पाता जा रहा है।

■ **डॉ. हरीश कुमार सेठी**
निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण
विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य में नारी-सशक्तिकरण के विविध आयाम

आज समाज में चारों और एक बात की सर्वाधिक चर्चा हो रही है, वह है - नारी-सशक्तिकरण, हमारा संविधान, हमारी सरकार, सरकारी, अर्द्धसरकारी और गैरसरकारी, सभी संस्थायें हर संभव प्रयास से नारी को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। सभी की एक ही इच्छा है कि नारी की दमित, शोषित एवं पतित स्थिति में सुधार हो, वह आर्थिक रुप से स्वावलम्बी हो, वह भी पुरुष के समान अपनी अस्मिता को पहचाने, उसमें अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता आये, उसमें शिक्षा का प्रसार हो तथा उसमें उन परम्परागत मूल्यों के विरुद्ध संघर्ष करने की शक्ति आये जो अभी तक उसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर रहे थे, नारी में अपने प्रति एक विश्वास रहे तथा उसे अबला और आश्रिता समझने की प्रवृत्ति समाप्त हो।

जब समूचा तंत्र इस दिशा में प्रयासरत हो तब साहित्य इस तथ्य से अछूता कैसे रह सकता है? साहित्य भी नारी-सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि वह साहित्य ही है जिसमें नारी-जीवन के छुए-अनछुए पहलुओं को उठाया जा सकता है, जिसमें उसके जीवन के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक आदि सभी क्षेत्रों की समस्याओं को विचारार्थ उठाकर उनके निवारणार्थ समाधान प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसमें पितृसचात्मक समाज तथा पितृसत्तात्मक मूल्यों का स्त्री के सन्दर्भ में पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है और वह साहित्य ही होता है जिसमें भारतीय परिवेश के अनुरुप नारी के सर्वागीण विकास के लिए मार्ग प्रशास्त किया जा सकता है।

इस बात से तो सभी सहमति रखते है कि नारी सदा से साहित्य के केन्द्र में रही है। हाँ, यह बात अवश्य है कि सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरुप साहित्य में उसकी स्थिति बदलती रही। उसका वर्णन कहीं देवी के रुप में, कहीं रमणी के रुप में, कहीं दासी के रुप में, कहीं वस्तु के रुप में, कहीं भोग्या के रुप में, कहीं पुरुष के सम्मान के प्रतीक के रुप में, कहीं अवहत्ता और बलात्कृता के रुप में होता रहा, किन्तु नारी का नारी के रुप में, मान के रुप में वर्णन कहीं नहीं हुआ।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस कारण जब समाज ने करवट बदली, तब विश्व के अनेक देशों के साथ भारत में पुनर्जागरण (रेनेसॉ) ने दस्तकदी पुनर्जागरण अर्थात् दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न ऊर्जा, पुनर्जागरण के विषय में श्री रामधन मीना ने कहा है, “पुनर्जागरण व्यक्ति को मध्ययुगीन अंधविश्वासों, रुढ़ियों, वर्ण, एवं धर्मशास्त्रों के बंधन से मुक्त करके, स्वतंत्र चिंतन द्वारा अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर देने वाला तथा प्राचीन यूनानी एवं रोमन संस्कृति के आधार पर एक नई संस्कृति के निर्माण का प्रयास था। इसकी मुख्य विशेषतायें थीं -स्वतंत्र चिन्तन, वैज्ञानिक व्याख्या एवं तर्क बुद्धि की प्रधानता, अंधविश्वासों, रुढ़ियों एवं बंधनों से मुक्ति के लिए छटपटाहट, अस्तित्व वादी भावना, मानवतावादी विचारधारा एवं स्वतंत्र चहुँमुखी विकास (पुनर्जागरण के आरव्याता-मैथिली शरण गुप्त)

19वीं शताब्दी पुनर्जागरण (रेनेसॉ) के भारत में आने का परिणाम यह हुआ कि हमारे समाज के पुरुषों ने अनुभव किया कि भारत की नारी तो परदे में लिपटी अपने अस्तित्व के मान से सबको अनभिज्ञ रखने का प्रयास करती है, उसकी स्थिति तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, तब राजा राममोहनराय,

ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बहराम जी मलबारी, महादेव गोविन्द राना डे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्रवती, ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों ने नारी-जीवन की विविध समस्याओं के प्रति ध्यान केन्द्रित किया तथा उनसे नारी को मुक्ति मिले, इसके लिए प्रयास प्रारम्भ किए। परिणाम स्वरुप अनेक कानून बने जिसका प्रभाव नारियों पर पड़ने लगा, स्वतंत्रता आन्दोलन में नारियाँ बढ़-चढ़ कर भाग लेने लगी, राजनीतिक आह्वान नारी के व्यक्तित्व विकास के लिए एक युगान्तरकारी घटना के रुप में सामने आया। उनमें अपनी अस्मिता तथा अपने अधिकारों के प्रति जागृति आने लगी, स्वतंत्रता आन्दोलन मे महात्मा गांधी के कूद पड़ने के बाद तो नारियों की स्थिति में और भी सकारात्मक परिवर्तन आया, अब वे अपने अस्तित्व की सारगर्भिता को पहचानने लगीं।

जब देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय संघर्ष में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ने लगी, तब धीरे-धीरे एक नई नारी का जन्म होने लगा। अपनी बौद्धिक चेतना के कारण उसने घर से बाहर निकल कर सब कुछ देखा-परखा और फिर वह उसमें हस्तक्षेप करने लगी। 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हमारे देश में नारी-जागृति की जो लहर आई थी, उसे दूसरे दशक में ऐनी बेसेन्ट, मागरिट काज़ीन्स, सरोजिनीनायडू जैसी नेत्रियों ने बल प्रदान किया। नारी संगठन बनने लगे और जब भारत को आजादी मिली, तब नारी-सशक्तिकरण के लिए संविधान में महत्वपूर्ण संवैधानिक उपबंधों को स्थान मिला। आज तक भी नारी सशक्तिकरण के लिए हमारे देश की सरकार तथा महत्वपूर्ण संस्थाओं द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, जैसा समाज, वैसा साहित्य। जब समाज में नारी की स्थिति बदली तो साहित्य में भी नारी का परिवर्तित रुप दिखाई पड़ने लगा। अभी तक साहित्य में पतिव्रता नारी, आर्थिक रुप से परावलम्बी नारी, पारम्परिक मूल्यों के नाम पर कष्ट भोगती नारी, देवी, गृहलक्ष्मी, त्यागमयी जैसे मनलुभावने विशेषणों से लुब्ध नारी, पारिवारिक दायित्वों को निभाते-निभाते अपने अस्तित्व को मिटा देने वाली नारी, अशिक्षित नारी, अपनी अस्मिता के प्रति उपेक्षा भाव रखने वाली नारी, अपने अधिकारों के प्रति चेतना शून्य नारी आदि जैसे रुपों का वर्णन हो रहा था। साहित्यकार साहित्य में नारी के इस प्रकार के रुपों का वर्णन करना ही अपना कर्तव्य मान रहे थे। पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण साहित्यकारों का ध्यान भी नारी की दमित, शोषित एवं दोयम दर्जे की स्थिति पर गया, उन्होंने भी कविता के साथ साहित्य की आधुनिक विविध विधाओं एकांकी, नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि में नारी के नवीनरुप को अभिव्यक्त करना प्रारम्भ किया, सभी विधाओं में नारी-सशक्तिकरण के लिए प्रयास प्रारम्भ हुए, किन्तु बदली हुई परिस्थितियों के अनुरुप हिन्दी कथा साहित्य में नारी-सशक्तिकरण पर पर्याप्त बल दिया गया और आज भी दिया जा रहा है क्योंकि कथा साहित्य ही मानव जीवन के सर्वाधिक निकट होता है। यह घटनाक्रम का द्रष्टा और संग्राहक ही नहीं होता वरन् जीवन की व्याख्या को भी लेखन में भर देता है। एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हिन्दी कथा साहित्य कर रहा है, वह है - नारी की मानव रुप में प्रतिष्ठापना।

हिन्दी कथा साहित्य में नारी-सशक्तिकरण के विविध आयामः-हिन्दी कथा साहित्य में नारी सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि हिन्दी कथा साहित्य नारी-सशक्तिकाण की दिशा में ऐसा क्या कर रहा है जिससे नारी सशक्त हो। वह किन-किन बातों पर बल दे रहा है जो पुरातनपंथी नारी को आधुनिक मंच पर प्रतिष्ठित कर सके? उसके उत्तर में कहा जा सकता है कि प्रेमचन्द्र पूर्व से प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग तथा स्वातंत्र्योत्तर युग से आज तक हिन्दी कथा साहित्य नारी को सशक्त बनाने के लिए इन बातों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है - नारी अस्मिता की तलाश एवं उसकी सार्थकता, उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक बनने वाले परम्परागत मूल्यों के प्रति विद्रोह, जीवन द्वन्द्व एवं स्वतंत्रता, अमानवीय अनाचारों के प्रति विद्रोह, समाज में व्याप्त रुढ़ियों एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए संघर्ष, सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक अव्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हिन्दी कथा साहित्य के प्रारम्भिक युग अर्थात् प्रेमचंद युग में जब कथा साहित्य का सृजन प्रारम्भ हुआ, उस समय के साहित्यकारों ने नारी की जस की तस स्थिति का वर्णन किया तथा कट्टर सनातनी परम्परा में अपनी आस्था व्यक्त की अपने कथा साहित्य के माध्यम से उन्होंने यह मान्यता भी प्रस्तुत की कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति विष की खान है जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर घातक प्रभाव छोड़ रही है, भारतीय नारी को उसके धर्म-कर्म से च्युत कर पथभ्रष्ट कर रही हैं लेकिन अनेक कथा साहित्यकारों में एक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपने अनुदित उपन्यास 'पूर्वीप्रकाश' और चन्द्रप्रभा के माध्यम से

अनमेल विवाह का विरोध किया और नारी को सशक्त बनाने के लिए स्त्री-शिक्षा का समर्थन किया। साथ ही ‘बालाबोधि’ नामक पत्रिका भी निकाली। किशोर लाल गोस्वामी ने अपने केरल एक उपन्यास ष्मालती माधव वा भुवन मोहिनीष में नारी की स्थिति के सुधार पर बल देते हुए कहाए ष्अपने देश के भाइयों से इस बात के लिए सविनय अनुरोध करना हूँ कि सबसे पहले कन्याओं के सुधार का प्रयत्न करें क्योंकि सुकन्या समय पर सुगृहिणी होगीए तो वही एक दिन सुमाता भी होगी और पुत्र सुपुत्र अवश्य ही होगाष् इस वाक्य के माध्यम से उन्होंने स्वस्थ समाज के मूल पाई जाने वाली स्वस्थ स्त्री के विकास के प्रति समाज को सचेत किया है, (भारतेन्दु तथा किशोरी लाल गोस्वामी के अतिरिक्त श्री निवास दास, गोपाल राम गहमरी, महेता लज्जा राम शर्मा, गंगाप्रसाद गुप्त, अयोध्यासिंह उपाध्याय, हरिऔध कृष्ण लाल वर्मा, व्रजनन्दन सहाय, मन्नन द्विवेदी जैसे उपन्यासकारों ने नारी-सशक्तिकरण हेतु कोई प्रयास नहीं किया।)

जन-जन के मन के हर्ष, उल्लास और व्यथा को सजीवता से उकेरने वाले प्रेमचंद का जब कथा साहित्य जगत में प्रवेश हुआ, तब भारत में पुनर्जागरण का प्रभाव जोरों पर था। समाज में स्त्री को सशक्त बनाने के प्रयास चहुँओर किए जा रहे थे जिसका प्रभाव प्रेमचंद जैसे संवेदनशील मन वाले व्यक्ति पर भी पड़ा, हिन्दी कथा साहित्य में प्रेमचंद ने नारी को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा नारी सशक्तिकरण के विविध आयामों को अपने कथा साहित्य का केन्द्र बनाया, इस दिशा में प्रेमचंद ने जो परम्परा प्रारम्भ की, वह आज के साहित्य में भी देखी जा सकती है, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग तथा स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य के आधार पर अब नारी सशक्तिकरण के विविध आयामों पर चर्चा की जायेगी।

नारी अस्मिता की तलाश एवं उसकी सार्थकता:- नारी सशक्त तब हो सकती है जब उसे अपने ष्स्वष् की पहचान हो जाये, इस ष्स्वष् की पहचान करवाने में हिन्दी कथा साहित्य ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेमचंद ष्कुसुमष् कहानी में नारी-अस्मिता की पहचान करवाते हैं ‘अगर पुरुष स्त्री का मोहताज नही: तो स्त्री भी पुरुष की मोहताज क्यों हो? ईश्वर ने पुरुष को हाथ दिए हैं तो क्या स्त्री को उनसे वंचित रखा है? पुरुष के पास बुद्धि है तो क्या स्त्री अबोध है? ‘सेवा सदन’ की सुमन अपने ‘स्व’ के प्रति सचेत है वह पति की अनुभति के बिना अपनी सखी के यहाँ कार्यक्रम में जाती है परिणाम स्वरुप उसका पति उसे रात्रि में ही निकाल देता है तब निडर होकर अपने पति से कहती है, हाँ, यों कहो कि मुझे रखना नहीं चाहते। मेरे सिर पर पाप क्यों लगते हो? क्या तुम्हीं मेरे अन्नदाता हो? जहाँ मजूरी करूँगी, वहीं पेट पाल लूंगी निर्मला की सुधा, ‘रंगभूमि’ की इन्दु, ‘अन्तिम शांति’ कहानी को गोपा, ‘प्रतिज्ञा,’ उपन्यास की सुमित्रा अत्यन्त गरिमावान और अपनी अस्मिता पर आँच नहीं आने देने वाली नारियां है।

प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में जैनेन्द्र के ‘सुखदा’ उपन्यास की स्त्री में यह भावना गहराई से व्याप्त है, श्वह पत्नी है, पर नारी है। वह पति में नहीं, स्वयं भी है, उसके बुद्धि भी होती है और वह निर्णय भी कर सकती है, तथा इलाचंद ‘जोशी विवेचना’ में अपनी साहित्यिक स्त्रियों के विषय में स्वंय कहते हैए ऐसी सबल और सचेत नारियों की सृष्टि कर मैंने आज के युग की संघर्षशील नारी का चित्र मनोवैज्ञानिक ढ़ग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उनको साहित्यिक स्त्रियां पुरुष की पिछलग्गू न बन उनके समकक्ष आने को तत्पर रहती हैए सन्यासी की शांति और जयन्ती, ‘प्रेत और छाया’ की मंजरी और नंदिनी, निर्वासित की नीलिमा, शारदा तथा प्रतिमा, ‘मुक्तिपथ’ की सुनंदा आदि सभी में अस्मिता बोध कूट-कूट कर भरा है। अरोय की स्त्रियों का ष्अहंष् इतना प्रभावशाली है कि उनका कोई भी उपन्यास एवं कहानी उससे बच नहीं सके हैं। यशपाल के उपन्यास ‘पार्टी कामरेड’ की गीता भी चाहती कि उसे केवल विलास और सौन्दर्य की गुड़िया न समझा जाये, उसके प्रति संवेदनशील भावना रखी जाये, ‘झूठा सच’ को तारा विषम परिस्थितियों से घबराती नहीं, उनसे संघर्ष कर अपने ष्स्वष् का निर्माण करती है, स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य में तो स्त्रियां अपनी अस्मिता को लेकर बहुत चिन्तित नजर आती है, अमृतलाल नागर तो ‘बूंद और समुद्र’ में स्त्री अस्मिता को विषय में गंभीर चिन्तन के पश्चात् यह निष्कर्ष प्रस्तुत कर देते हैं कि जिस दिन स्त्री जाति अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का अन्त करने के लिए खड़ी हो जायेगी, उसी दिन से हर तरह के अत्याचार मिट जायेगे। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जब तक शोषित व्यक्ति शोषण के विरुद्ध प्राण देने की सीमा तक आवाज नहीं उठाता है तब तक वह अपना अस्तित्व कायम नहीं कर पाता है, मोहन राकेश के ‘अंधेरे बंद कमरे’ की सुषमा श्रीवास्तव भी यही चाहती है, ‘मैं इन्सान हूँ तो ठीक से जीऊँ क्यों नहीं? राजेन्द्र यादव के ‘सारा आकाश’ की प्रभा तो बहुत स्वाभिमानी है। वह अपने प्रति पति समर की नापसन्दशी का कारण भी नहीं जानना चाहती, वरन् उसके मार्ग

से हटने को भी तैयार हो जाती है; मैं तुम्हें पसन्द नहीं हूँ, तुम शौक से दूसरी शादी कर लो' शिंव प्रसाद सिंह ने 'औरत' में बंसल और चंदा जैसी स्त्रियों का सृजन कर नारियों को यह सन्देश प्रेषित किया है कि विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष किए बिना अस्मिता की रक्षा नहीं की जा सकती, उषा प्रियम्वदा के की 'शेषयात्रा' 'रुकोगी नहीं राधिका उपन्यासों की दिव्या, अनुका, राधिका भी अस्मिता के प्रति जागरुक स्त्रियां हैं 'शेष यात्रा' में उषा प्रियम्वदा ने ऐसे गुर भी सिखाये है जो नैराश्य से भरी नारियों में अपनी अस्मिता के प्रति चेतना जाग्रत कर सकते है; "1 अपने को देखो तो जरा। मैं मन की अच्छी हूँ। 2. चेहरा। बुरा नहीं। 3. मैं खाना अच्छा पकाती हूँ। 4. मैं हाईस्कूल और इंटर में फस्र्ट आई थी" आदि। कृष्णा सोबती को 'मित्रो मरजानी' की मित्रो अपनी अस्मिता के लिए सतत् संघर्ष करती है। चित्रा मुद्गल के 'एक जमीन अपनी' की अकिता पति द्वारा उसे शरीर माने जाने को अपनी बेंइज्जती समझती है, 'मैं घर को जीना चाहती हूँ बरदाशत करना नहीं3 मैं सिर्फ गृहिषी ही नहीं हूँ, एक स्त्री भी हूँ" नासिरा शर्मा के 'शाल्मली' की नायिका शाल्मली एक विशिष्ट व्यक्तित्व की स्वामिनी है। जब उसका आई.ए.एस में चयन हो जाता है तब वह ट्रेनिंग लिए दूर जाती है उसका पति उसे ट्रेनिंग छोड़ने के लिए कहता है किन्तु वह यह कर 'इतनी दूर जिस चीज को खींचकर लाई हूँ उसे बीच में छोड़ दूँ। ऐसी नौकरियाँ क्या सबके भाग्य में होती है' पति नरेश को मिरुत्तर कर देती है।

मंजुल भगत के 'आनारो' उपन्यास की अनारो यद्यपि झाडू-पोछा, बरतन माँजने का कार्य करती है, कर्ज के बोझ से दबी है, मन से टूटी एवं तन से थकी है, तथापि आत्मसम्मान की रक्षार्थ बिना पैसे लिए काम छोड़ने तक को तैयार हो जाती है; 'शोशा फुआ' मृदुला सिन्हा एक ऐसी विधवा स्त्री की कहानी है जो विधवा होकर भी अबला नहीं बनती, अधिकार के प्रति जागरुक रहते हुए वह ससुर से कह कर अपने हिस्से की जमीन ले लेती है। कमलेश्वर के सभी उपन्यासों की स्त्रियाँ, चाहे किसी भी वर्ग सम्बद्ध हैं, अपनी अस्मिता को हर कीमत पर बचाये रखना चाहती हैं। 'एक सड़क सत्तावन गलियां' की बंसिरी, 'तीसरा आदमी' की चित्रा, 'डाक बंगला' की इरा, 'काली आंधी' की मालती, 'आगामी अतीत' की चंदा और चांदनी, 'वही बात' की समीरा आदि सभी बहुत स्वाभिमानी एवं स्वं अस्मिता बोध से सम्पन्न है, ' वही बात' की समीरा तो अकेलेपन से ऊबती हुई तथा अपनी अस्मिता खो जाने से भयभीत हो पति प्रशान्त को छोड़ नकुल से विवाह करने में संकोच नही करती है। कमलेश्वर की कहानियों की नारियाँ भी अस्मिता बोध-से भरपूर है; 'जन्म कहानी में चंदु की पत्नी एवं अस्मि, के खातिर ही सातवें बच्चे को जन्म देने की पीड़ा चुपचाप सह लेती है, "घबराकर वह एक बार उठी, जाकर उसने कहना चाहा कि अब नही सहा जाता। तुम लोग कैसे हो, जो पड़े हो, पर भीतर का संकोच और सब कुछ सहन कर सकने के गौखमय दर्प ने उसे रोक लिया" 'तलाश' की सुमी विधवा होने पर भी अपने शरीर की पूर्ण देखभाल करती है,'इतिहास-कथा' की जूलिया मकसूद के तानाशाही व्यवहार के प्रत्युत्तर में मकसूद जैसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करती है।

इस प्रकार स्वतंत्र्योत्तर अन्य कथा साहित्यकरों की साहित्यिक स्त्रियां भी स्व-अस्मिता के प्रति जागरुक हैं। समाज को यही सन्देश देती हैं कि स्व-अस्मिता के प्रति जागृति के बिना नारी-सशक्तिकरण संभव नहीं।

परम्परागत मूल्यों के प्रति विद्रोह - पितृसत्त ने मूल्यों का निर्माण भी अपने ही पक्ष में किया था। उन मूल्यों का पालन करते-करते नारी स्वअस्तित्व ही खो बैठो, जब उसमें स्व-अस्मिता के प्रति जागृति आई, तब वह समझ पाई कि कौन से परम्परागत मूल्य उसके विकास में साधक हैं और कौन से मूल्य बाधक हैं। स्त्री की इस मानसिकता को हिन्दी कथा साहित्य ने भी गम्भीरता से समझा तथा प्रेमचंद के युग से स्वतंत्र्योत्तर कथा साहित्य तक में उन मूल्यों के प्रति विरोध प्रगट किया जा रहा है जो नारी के व्यक्तित्व के विकास में बाधक बन कर खड़े हैं हिन्दी कथा साहित्यकारों ने इस तथ्य को भलीभांति समझ लिया है कि इन परम्परागत मूल्यों के प्रति विद्रोह व्यक्त किए बिना नारी सशक्तिकरण संभव नहीं इस बात की शुरुआत भी प्रेमचन्द युग से हो गई थी।

प्रेमचन्द पहले तो संयुक्त परिवार के प्रति कोमल भाव रखते थे लेकिन जब उन्होंने देखा कि संयुक्त परिवार नारी का शोषण करता है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था इसके प्रति उत्तरदायी कारण है, तब वे उसके विरुद्ध चले जाते हैं उपन्यास 'गबन' को रतन के माध्यम से संदेश प्रेषिम करते है कि संयुक्त परिवार स्त्री के लिए फूलों की सेज न होकर इसे निगलने वाला जन्तु है। अतः किसी स्त्री का संयुक्त परिवार मैं विवाह हो भी जाता है तब भी उसे तब तक चैन नहीं लेना चाहिए, जब तक वह अलग घर न

बसा ले। वे अनमेल विवाह के प्रश्न को भी बार-बार उठाते है; ‘नया विवाह’ कहानी में वे अनमेल विवाह के कारण हुई समस्या पर प्रकाश डालते हैं, युवती आशा का विवाह अधेड़ उम्र के गांगामल हो होता है जिससे आशा की समस्त उमंगें, कामनायें कुंठित हो जाती है, गंगामल उससे बाहर चलने के लिए कहते हैं लेकिन काफी टालमटोल के बाद आशा उसके साथ कैसे जाती है, “आशा गई लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली वेश में थी, उसी तरह चल खड़ी हुई। नसजीली साड़ी, ने जड़ाऊ गहने, न कोई सिंगार जैसे कोई विधवा चल रही हो’। ‘अन्तिम शांति, में उन्होंने परम्परा के विरुद्ध विधवा स् त्री के स्वाभिमानी रुप का वर्णन किया है। उनकी साहित्यिक स्त्रियां पुलिस तथा जमीदारों के अन्याय और अत्याचार का डटकर विरोद्ध करती है जैसे ‘प्रेमाश्रम’ की विलामी, ‘गबन’ की जालपा, ‘कर्मभूमि’ की सुखदा, साथ ही वे देश प्रेमी नारियों के रुप में भी चित्रित की गई हैं जों नारी के सशक्त रुप का ही परिचायक बनती हैं।

प्रेमचंन्दोत्तर कथा साहित्य में चित्रित नारी वह पहली नारी है जो परम्परागत नैतिकता की सीमा का अतिक्रमण कर अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सदियों से कैद अपने नारीत्व की मुक्ति की आवाज उठाती हैं जैनेन्द्र अपने कथा साहिता में स्त्री के यौन सम्बन्धी प्रश्नों और उनसे उत्पन्न होने वाली ‘कुठाओं’ द्वन्द्वों एवं तनावों को प्रमुखता देते हैं, उनके उपन्यासों की सुनीता, सुखदा, भुवनमोहिनी, अनिता आदि सभी नारियां, पत्नीत्व और स्त्रीत्व, विवाह और प्रेम के द्वन्द्व से विकल नारियां है अज्ञेय को साहित्यिक स्त्रियां सामाजिक विधि-विधानो, मान-मूल्यों, परम्परा एवं पूर्वाग्रहों के पूर्णतया विरुद्ध है, वे स्वतंत्रता की आकाक्षी हैं, विवाह जैसे मूल्य के प्रति उपेक्षा का भाव रखती हैं। यशपाल तो आधुनिक पूंजीवादी समाज की जर्जर मान्यताओं और खोखले आदर्शों पर कठोर प्रहार कर स्त्री को सशक्त बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास करते हैं। वे तो स्त्री के मातृत्व पर कंव्यात्मक शैली में कहते हैं “ स्त्री का स्थान माता का जरुर है, वह पूजा की पात्र है, परन्तु पूजा के पात्र जितने भी देवी देवता होते है वे सब मन्दिर में बंद रहते हैं और चाबी पुजारी की जेब में होती है।” इस प्रकार परम्परागत मातृत्व पर कठोर प्रहार किया है। वे भी विवाह का विरोध कर स्वच्छन्द प्रेम और अवैध काम सम्बंधों को मान्यता देते हैं, उनकी साहित्यिक स्त्रियां नैतिकता के घिसे-पिटे बंधनों को तोड़ परम्परागत पति निष्ठ प्रेम की पवित्रता तथा सतीत्व को होली जला, परिस्थिति सापेक्ष नये मूल्यों का निर्माण कर अपनी सशक्तता का परिचय देती हैं।

स्वांतत्र्योत्तर कथा साहित्यकारों में अमृत लाल नागर में ‘बूंद और समुद्र’ राजेन्द्र यादव ने ‘सारा आकाश’, शिवप्रसाद सिंह ने ‘औरत’ मैं परिवार नामक मूल्य को स्त्री का दूश्मन माना है, राजेन्द्र यादव मानते हैं कि नव विवाहिता वधू की तो संयुक्त परिवार में बड़ी दयनीय स्थिति होती है। ‘सारा आकाश’ की प्रभा परदा नहीं करती, इससे परिवार में उपद्व मच जाता है,“फिर बेटी और बहू मैं फर्क ही क्या रह गया। बेटी भी मुँह खोले, बाल बिखेरे घूमती रहे और बहू को भी चिन्ता नहीं कि पल्ला किधर जा रहा है”

स्वांतत्र्योत्तर साहित्यकार ‘विवाह’ नामक मूल्य का भी विरोध करते हैं, अमृतलाल नागर के ‘बूंद और समुद’ की बड़ी स्पष्ट ‘शब्दों’ में विवाह के विरोध में अपनी बात कह देती है कि विवाह के कारण ही स्त्री को पूरे परिवार का घंघा पीटना पड़ता है; बच्चे जनने पड़ते हैं और उनका पालन-पोषण भी करना पड़ता है, उषा प्रियंवदा परम्परागत विवाह के स्वरुप के विषय में अपना विरोधी मत व्यक्त करती है, ‘यह होगी बराबर की साझेदारी, न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न सुपीरियर, न इन्फीरियर” (शेष यात्रा, उषा प्रियंवदा) राजेन्द्र यादव तो विवाह को नारी के लिए गुलामी मानते है और गुलामी में किसी का स्वस्थ विकास नहीं हो सकता, ‘सारा आकाश’ में विवाहोपरान्त मुन्नी की स्थिति का वर्णन समर के शब्दों में, ‘सास और पति मिलकर जो-जो अत्याचार करते, उन्हें किसी से कह तो नहीं सकती थी33 नौकरानी की तरह अपनी और अपनी रखैल की सेवा करवाना और दो-दो, तीन दिन खाना नहीं देती था” उषाप्रियवंदा’ प्रतिध्वनियां कहानी में विवाह को दो आत्माओं का मिलन नही मानतीं। ‘मित्रो मरजानी’ में कृष्णा सोबती में मित्रो के माध्यम से सामन्ती मूल्यों की बखिया उधेड़ी है, कृष्णा सोबती की मित्रो पहली बार परम्परागत मूल्यों के विरुद्ध जाकर र्वहिक आवश्यकता की संतुष्टि की गुहार लगाती है, ‘एक जमीन अपनी’ में चित्रा मुद्गल नीता के माध्यम से पत्नी विषयक विचार रखती हैं, ‘मैं पत्नी नहीं, सहचरी बनना चाहती हूँ33पत्नी में मुझे दासीत्व की बू आती है। इस शब्द ने हमारे समाज में अपनी गरिमा खो दी है’ ‘बेघर’ उपन्यास में ममता कालिया, संजीवनी का विवाह पूर्व विपिन के साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना, उसके द्वारा ढुकराये जाने पर द्वन्द्व पूर्ण जीवन जीते हुए बैंक में नौकरी करना और फिर संजीवनी का परमजीत की ओर आकृष्ट हो पुनः उससे

स्वांतत्र्योत्तर कथा साहित्यकारों ने भी नारी मुक्ति का समर्थन किया, साथ ही उसके द्वन्द्वों को भी सजीवता से उकेरा है, राजेन्द्र यादव के सारा आकाश की प्रभा जीवन द्वन्द्वों से मुक्त होने के लिए संघर्षरत रहती है, शिवप्रसाद सिंह के 'औरत' उपन्यास की नायिका कल्पना लोक में न जीकर, स्वाभिमानी जीवन जीने के लिए अनेक प्रकार के द्वन्द्वों एवं तनावोः का सामना करती है। उषा प्रियंवदा के शेषयात्रा में अनुका को जब उसका पति प्रणव त्याग देता है, थोड़े समय तक तो द्वन्द्वग्रस्त रहती है, बाद में दिव्या द्वारा समझाये जाने पर तनावों एवं द्वन्द्वों का सामना कर डॉक्टर बन कर ही द्वन्द्वमुक्त हो स्वतंत्र जीवन-यापन करती है। कृष्णा सोबती के 'मित्रो मरजानी' की मित्रो हिन्दी कथा साहित्य के इतिहास की पहली स्त्री है जो शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के विषय में खुलकर कहती है, इसी तरह उनके उपन्यास 'सूरजमुखी अंधेरे के' की बलात्कृत स्त्री बलात्कार के बाद के द्वन्द्व को सहती है किन्तु थोड़े समय के उसे दिपाकर के माध्यम से पता चल जाता है कि "सभी कुछ अपनी जगह पर है। कुछ भी खंडित नहीं हुआ है। सब समूचा है" कृष्णाजी इस उपन्यास में स्पष्ट कर देती हैं कि योनि खंडन व्यक्तित्व खंडन नहीं है, चित्रा जी के उपन्यास 'एक जमीन अपनी' की अंकिता सालों-साल द्वन्द्वपूर्ण जिन्दगी जीने के बाद पति से अलग रह स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जीती है, उन्हीं की कहानी 'भूख' में उस बेरोजगार स्त्री के द्वन्द्व को उकेरा गया है जो जिजीविषा की खातिर अपने छोटे बच्चे को भिखारिन को देने को विवश है। मृदुला सिन्हा ने 'ज्यों मेहदी को रंग' में पांव कटी शालिनी के द्वन्द्वों को उभारा है और बाद में उसे आत्मनिर्भर दिखाकर उसे द्वन्द्वमुक्त कर स्वतंत्र जीवन जीते दिखाया है।

हिन्दी कथा साहित्य में कथा साहित्यकारों ने नारी के आर्थिक रुप से स्वावलम्बी रुप का चित्रण कर उसे सशक्त रुप में दिखाया है। मेहरुन्निसा परवेश के 'अकेला पलाश' की तहमीना कामकाजी नारी है, स्वावलम्बी है किन्तु नपुंसक पति की पत्नी होने के कारण स्त्री-देह के द्वन्द्व को सहने को विवश है। तुषार के जीवन में आ जाने के पश्चात वह अपनी देह की मांग को उससे पूरा कर लेती है। इसप्रकार का तुषार के साथ का सम्बंन्ध तहमीना को एक बार को द्वन्द्वग्रस्त कर देता है, फिर यह सोचकर, "यह पाप नहीं, आदमी की जरुरत है" अपराध बोध से मुक्त हो जाती है। कमलेश्वर के 'तीसरा आदमी' की चित्रा समय तो आर्थिक आभाव से उत्पन्न द्वन्द्वों को सहती है और पति के शक का शिकार भी बनती है, स्थिति हे विषम हो जाने पर पति को मात्र सूचना देकर एक विद्यालय में नौकरी कर लेती है और जब पति नरेश उसे छोड़कर चला जाता है तो सुमन्त के साथ निस्संकोच रहने लगती है 'समुद्र में खोया हुआ आदमी' की तारा भी आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए हरबंस के यहाँ नौकरी करती है। 'काली आंधी' की मालती तो बहुत महत्वाकांक्षी है जो सफलता के नशे में चूर हो पति और पुत्री को छोड़ देती है, कहानी 'सफेद तितलियां' में सुमन का पति नहीं चाहता की वह गर्भ धारण करे, बाद में पति की मृत्यु हो जाती है लेकिन सुमन का द्वन्द्व अपनी जगह विद्यमान है किन्तु वह लम्बे समय तक द्वन्द्वग्रस्त नहीं रहती, वह कुछ सोचकर निर्णय करती है। प्रेमी वेदप्रकाश को जसवन्त की आत्मा के रुप में प्रचारित करती है। बाद में गर्भवती हो जाने के बारे में जान लेने पर एकाएक वह गुम हो जाती है। यहाँ कमलेश्वर विधवा स्त्री को द्वन्द्व मुक्त करने का हर संभव प्रयास करते है, उनकी कहानी 'धूल उड़ जाती हैं,। की नसीबन पुरुष वर्ग द्वारा चोरी का इल्जाम लगाये जाने पर द्वन्द्वग्रस्त न होकर उसका डटकर मुकाबला करती है। हिन्दी कथा साहित्यकारों ने अपने कथा साहित्य में अधिकांशतः नारी को द्वन्द्वों से मुक्त कर स्वतंत्र जीवन जीते हुए वर्णित किया है।

अमानवीय आचारों के प्रति आक्रोश:- अब स्त्री इतनी सशक्त हो चुकी है कि वह अपने प्रति होने वाले अमानवीय आचारों के प्रति विद्रोह दर्ज कराने की सामथ्र्य रखती है। समाज में अब बहुत से पुरुष भी स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार का विरोध करते हैं, राजेन्द्र यादव के 'सारा आकाश' के पुरुष पात्रों की यह विशेषता है कि वे नारी के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, जब भाई द्वारा भावी पर हाथ उठाया जाता है तब समर अपने भाई को इस कुकृव्य पर धिक्कारता है। यदि पुरुष अपने पुरुषत्व पर गर्व करे तो गौरव की बात मानी जाती है लेकिन स्त्री अपने स्त्रीत्व की बात करे तो समाज इसे अनैतिक मानता है लेकिन कृष्णा सोबती के 'मित्रो मरजानी' की मित्रो इस अमानवीयता के प्रति विद्रोह प्रगट करती है, उसे माँ बनने की हौंस है लेकिन उसका पति उसे माँ बनाने में अक्षम है जिस पर वह खुले आम प्रहार करती है। कमलेश्वर ने अपने पहले उपन्यास 'एक सड़क सत्तावन गलियां' में एक ऐसे

नारीपात्र बंसिरी का सृजन किया जा पुरुष के द्वारा किए गये अमानवीय आचरण पर आक्रेश व्यक्त करती है। बंसिरी सराय में बिकने के लिए ले जाई जाती है उसे सरनाम द्वारा रंगीले के लिए खरीद लिया जाता है, यह वही सरनाम है जिसे बंसिरी ने अपना सर्वस्व समर्पित किया था, सरनाम के इस अमाननीय आचरण पर बंसिरी के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगती है। जब शिवराज सरनाम के साथ न रहने का निर्णय करता है तब से वह “खुश है। उस सरनाम से पिंड छुटेंगा, अकेलेपन की मार से वह बेहाल हो जायेगा, तड़पेगा, पछतायेगा और तब वह लस्त पड़े शेर को देखेगी। कितना अनिर्वचनीय आनन्द होगा’ वह सरनाम से डरती नहीं है उन्हीं के ‘लौटे हुए मुसाफिर’ की सलमा को जब पता चलता है कि उसके पतिमकसूद और यासीन के बीच समलेंगिक सम्बन्ध हैं, तो वह उसे छोड़कर अपने पिता के घर आ जाती है, कमलेश्वर के ‘आगामी अतीत’ में चांदनी के साथ बेटी-बेटी कहने वाले व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया जाता है। इस अमानवीय स्थिति को सहने वाली चांदनी पुरुष वर्ग के प्रति हिंसात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। वह निराश हताश न होकर वेश्या कर्म को स्वाभिमानपूर्वक करती है। कमलेश्वर तो स्त्री से अमानवीय बात कहने वालों के प्रति भी आक्रोश व्यक्त करते है। ‘वही बात’ में जब तहसीलदार अपनी रौ में समीरा के लिए ‘यार हमें पता होता तो हम ही जीत लेते इस हूर को। मौका चूक गये’ का प्रयोग करता है तब कमलेश्वर खजांजी बाबू से विरोध दर्ज करवा देते हैं, कमलेश्वर के अनबीता व्यतीत’ की समीरा पशुपक्षियों के प्रति किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार का विरोध अपनी जान देकर करती है

समाज में व्याप्त रुढ़ियों एवं कुरीतियों के प्रति संघर्ष:- जब से नारी जगत में शिक्षा और आधुनिकता का प्रचार-प्रसार हुआ है, तब से रुढ़ियों एवं कुरीतियों का डटकर मुकाबला करने लगी हैं। प्रेमचंद के ‘गोदान’ की सोना, जो अशिक्षित तो है लेकिन परिवेश के प्रति जागरुक भी है, नहीं चाहती कि उसका विवाह कर्ज़ लेकर हो। अतः वह अपने होने वाले पति को संदेश भिजवाती है, “यदि तुमने एक पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगी।” प्रेमचंद में फुरीति से लड़ने वाली सोना जैसा स्त्री पात्र की सृष्टि की है उन्होंने ‘कायाकल्प’ में चक्रधर के द्वारा दहेज प्रथा जैसी कुरीति को दूर करने का निदान भी सुझाया है। हमारे युवा वर्ग को चक्रधर के समान अपने माता-पिता के समक्ष यह घोषणा करनी होगी ‘अगर तुम मेरे सामने लेन-देन का नाम लोगी तो मैं ज़हर खा लूंगा’ उन्हीं की ‘कुसुम’ कहानी की कुसुम भी दहेज प्रथा के खिलाफ स्वयं आवाज उठाती है और अपनी सशक्तता का परिचय देती है। राजेन्द्र यादव के ‘सारा आकाश’ की प्रभा समाज में व्याप्त रुढ़ियों और कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करती है, परिवार द्वारा परदे की चाहना रखने पर भी वह परदा नहीं करती। बाल विवाह जैसी कुप्रथा के दुष्परिणाम भी यादवजी ने दिखाये हैं। नारी-शिक्षा की वकालत करके वे यह बताते हैं कि आज के समय में शिक्षा ही नारी को शक्ति शाली बना सकती है। कृष्णा सोबती के ‘मित्रोमरजानी’ की मित्रो अपने को पति से बेहतर मानती है, स्त्रैण इन्द्रियों पर गर्व करती है, वह न घूधट की परवाह करती है और न शर्म-लज्जा से युक्त दृष्टि की। “सरदारी ने कड़क कर पूछा-नजर नीचे करती है या नहीं, मंझली बहू ने ऐसा सब कुछ नहीं किया। बड़ी-बड़ी भूरी औखें घरवालों का सामना किए रहीं” इसी प्रकार उनके सूरजमुखी अंधेरे के’ की बालत्कृत रत्ती कुछ समय तक सामाजिक नैतिकता के बोध के कारण पीड़ित रहती है, बाद में सामाजिक नैतिकता के गर्भ मे छिपे मर्म को समझ, इससे छुटकारा पा, नया जीवन चुनने के लिए तैयार हो जाती है। चित्रा मुद्गल के ‘एक जमीन अपनी’ की अंकिता की माँ समाज में व्याप्त उस रुढ़ि के खिलाफ संघर्ष करती है जिसमें विवाहिता को सारा जीवन, अच्छा या बुरा, ससुराल में ही गुजारना पड़ता है, जब पुत्री अंकिता दुख देने वाले पति को छोड़कर आ जाती है, तब समाज द्वारा अंगुली उठाये जाने पर वृद्धा माँ जवाब देती है, “क्यों घुटती जीवन भर उसके साथ। पढ़ी लिखी है, अपने पाँवों पर खड़ी रह सकती है3ण् यह तो तैयार ही नही होती, वरना कल करवा दूँ दूसरा विवाह, कौन कमी है हमारी बिट्टी में”। कमलेश्वर के ‘एक सड़क सत्तावन गलियां’ की बंसिरी बिना विवाह किए ही रंगीले के साथ रहती है। ‘राजनीति जो केवल पुरुषों के लिए मानी जाती थी, स्त्रियों के लिए नहीं, इस रुढ़ि को तोड़कर कमलेश्वर ‘काली आंधी में’ जग्गी बाबू से कहलवाते हैं, ‘देश के निर्माण में औरतों को भी आगे आना चाहिए। औरते यानी हमारी आधी जनसंख्या, जब तक इस तामीर में हाथ नहीं बँटायेंगी, तब तक हर काम की स्पीड आधी रहेगी3ण् यह बहुत जरूरी है कि हमारे घर की औरतें आगे आयें और हर काम

में मंर्दो का हाथ बँटायें" 'अम्मा' उपन्यास में कमलेश्वर सती प्रथा जैसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाते हैं

आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अव्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष:- यह तो प्रमाण सिद्ध है कि जिसके हाथ में अर्थ की शक्ति होती है, वही भाग्य विधाता होता है। जब से स्त्री ने कमाना प्रारम्भ किया है, वह स्वावलम्बी हुई है और सामाजिक अव्यवस्था के खिलाफ बोलने लगी है। 'गोदान' प्रेमचंद का अन्तिम उपन्यास है, उसकी स्त्री पात्र धनिया अशिक्षित होने के बावजूद पति की झूटी मर्यादा पर कुठाराघात करती हुई अपने पति धनिया से वे रुपए छीन लेती है जो वह परिवार की झूठी मर्यादा की रक्षा के लिए दारोगा तथा गांव के नेताओं को भेंट चढ़ाना चाहता है।

समाज में पाई जाने वाली स्त्री-पुरुष असमानता भी सामाजिक अव्यवस्था का ही एक भाग है जिसे आज की नारी दूर करने के लिए तत्पर है। 'बूँद और समुद्र की कन्या अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संघर्ष को इन स्वरों में अभिव्यक्ति देती है, "जहाँ आप और आपके पति कमाने लगेंगे तब इस तरह का स्वामी-दासपन का नाता तो रह नहीं जायेगा, दोनों बराबरी से बात करेंगे" राजेन्द्र यादव के 'सारा आकाश' में एक पुत्र पिता की सम्पति में अपने बहन के हक की वकालत करता है, "इससे उसे आपकी इच्छा पर जीने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। द्वेष और प्यार आपकी इच्छा पर नहीं होंगे।" उषा प्रियंवदा के 'शेष यात्रा' की अनुका आर्थिक रुप से स्वावलम्बी होकर सामाजिक अव्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने की शक्ति पाती है, कुष्णा सोबती की मित्रो तो उस सामाजिक अव्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करती है जिसमें नैतिकता-अनैतिकता के मानदण्ड केवल स्त्री के लिए है, चित्रा मुद्गल 'एक जमीन अपनी' में अपने नारीपात्र द्वारा सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध विरोध दर्ज करती है, "ऐसे पुरुष, जो किसी स्त्री को मात्र जिन्स समझते हैं, औरत को स्वंय उन्हें ठुकराकर यह जता देना चाहिए कि वह भी आत्मसम्मान रखती है" 'अकेला पलाश' में मेहरुन्निसा परवेन ने कामकाजी स्त्रियों की समस्या को उठाया है और उस अव्यवस्था से नारी कैसे उबरे, इसका निदान भी नाहिदबाजी के माध्यम से सुझाया है, "बातों को उतनी गंभीरता से न लो जो तुम्हें पिंच करती हुई तुम पर हावी हो जायें। सहज बनो और सरलता से जीना सीखो तो सबकुछ आसान लगने लगेगा" कमलेश्वर के 'लौटे हुए मुसाफिर' की नसीबन सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध साईं की चालों पर पानी फेर देती है, 'तीसरा आदमी' में वे आर्थिक अव्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को केन्द्रित करते है। 'समुद्र में खोया हुआ आदमी' मे कमलेश्वर धनार्णित करने वाली तारा को सर्वाधिक सशक्त दिखाते हैं, 'काली आंधी' के माध्यम से कमलेश्वर राजनीतिक सत्ता प्राप्त एवं शक्ति सम्पन्न मालती का वर्णन करते है 'आगामी अतीत' में चांदनी उस सामाजिक अव्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करती है जिसमें वह 'बेटी-बेटी' कहने वाले पुरुष के द्वारा बलात्कृत की जाती है। जब वह वेश्या बन जाती है, तो उसके लिए पुरुष केवल पुरुष होता है। वह किसी रिश्ते में विश्वास नहीं करती। इसी उपन्यास में कमलेश्वर कमल बोस के वेश्या चांदनी को वेश्याजीवन से मुक्त करवाने के लिए प्रयासरत दिखाते हैं, कमलेश्वर स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर हैं, 'वही बात' में खजांची साहब स्त्री-पुरुष असमानता वाली सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध प्रश्न उठाते हैं- "औरत को अपनी जिन्दगी जीने का हक क्यों नहीें है? हम कब तक उसे बेइज्जत करते रहेंगे? आदमी औरत बदल ले तो ठीक! औरत आदमी बदल ले तो गलत! वाह! क्या मैथमेटिक्स है! आदमी एक में एक घटाये तो बचे एक, औरत एक में एक घटाये तो बचे सिफर, वाह!" कमलेश्वर 'वही बात' में पहले पति प्रशान्त को छोड़ नकुल से विवाह करने के समीरा के निर्णय को सही ठहरा नारी सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं।

निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि हिन्दी कथा साहित्य में नारी को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक प्रयास प्रेमचंद युग के कथा साहित्य से आज तक के कथा साहित्य में किए जाते रहे हैं। परम्परागत मूल्यों के विरुद्ध आवाज लगभग सभी कथा साहित्यकार उठाते रहे है, स्त्री अस्मिता की खोज भी सभी के द्वारा की गई है लेकिन अमानवीय आचरण के विरुद्ध जो सशक्त आवाज उठानी चाहिए, वह केवल कुछ ही के कथा साहित्य में मिलती है, इसके खिलाफ भी जोरदार आवाज उठाने की आवश्यकता है।

■ **डॉ. पूरनचंद टंडन**
प्रोफेसर, हिंदी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली-110007

वित्तीय संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक की उपयोगिता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र है जो आमतौर पर मानव बुद्धि से जुड़ी संज्ञानात्मक समस्याओं को हल करने के लिए समर्पित है, जैसे कि सीखना, निर्माण और छवि पहचान इत्यादि । जॉन मैकार्थी ने 1956 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शब्द का प्रयोग किया था, जब उन्होंने डार्टमाउथ सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसे अध्ययन के क्षेत्र के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म माना जाता है। एआई का अंतिम लक्ष्य ऐसे सहयोगियों का निर्माण करना है जो बुद्धिजीवियों और स्वतंत्र रूप से काम कर काम और मानव श्रम और शैक्षणिक कार्यों को कम कर काम करते हैं। यदि आपने कभी अमेज़न के एलेक्सा, एप्पल के फेस आईडी का उपयोग किया है, या किसी चैटबॉट के साथ बातचीत की है, तो आपने एआई तकनीक के साथ बातचीत की है।

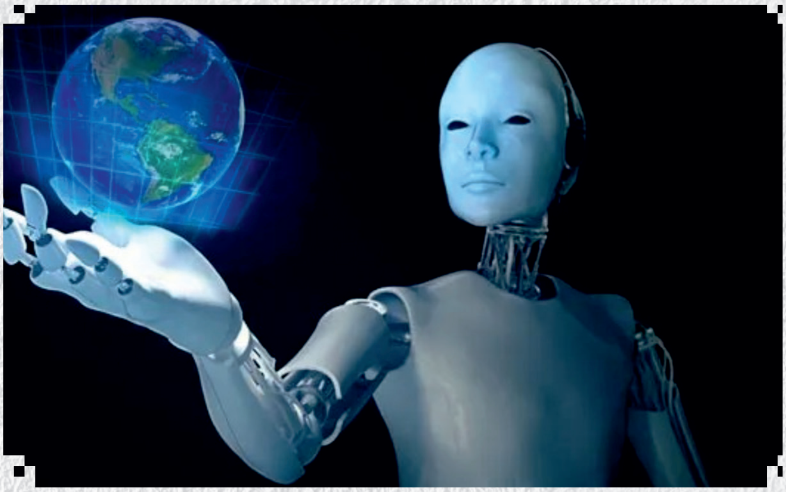

एआई की बहुत सी खोजें और विकास कार्य चल रहे हैं, जिनमें से अधिकांश को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है; जो हमें बता सकता है कि एआई कितनी दूर तक पहुँच गया है, और भविष्य में क्या होने वाला है। एआई के 7 प्रकार होते हैं|

1. **संकीर्ण एआई (Narrow AI):** एआई (AI) बहुत विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
2. **कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता (Artificial General Intelligence) :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मनुष्यों के समान स्तर पर सीखने, सोचने और प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. **कृत्रिम सुपरइंटेलिजेंस (Artificial Superintelligence):** कृत्रिम बुद्धि (AI) जो मानव के ज्ञान और क्षमताओं को पार करने में सक्षम है।
4. **रिएक्टिव मशीन एआई:** एआई वास्तविक समय में बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम है; भविष्य के लिए स्मृति बनाने या जानकारी संग्रहीत करने में असमर्थ है।
5. **सीमित मेमोरी एआई:** एआई जो ज्ञान को संग्रहीत कर सकता है और इसका उपयोग भविष्य के कार्यों के लिए सीखने और प्रशिक्षण के लिए कर सकता है।
6. **माइंड एआई का सिद्धांत (Theory of Mind AI):** एआई जो मानवीय भावनाओं को समझ सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है, साथ ही सीमित मेमोरी वाली मशीनों के कार्य भी कर सकता है।
7. **स्व-जागरूक एआई (Self-aware AI):** वह एआई जो दूसरों की भावनाओं को पहचान सके , साथ ही स्वयं की समझ और मानव-स्तर की बुद्धिमत्ता रखता हो; यह एआई का अंतिम चरण है।

एआई में वित्तीय सेवा उद्योग को बेहतर बनाने की क्षमता है, इसलिये वित्तीय संस्थानों में एआई तकनीक का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया है| जैसे कि :-

a) **जोखिम प्रबंधन (Risk Management):** एआई एल्गोरिदम वास्तविक समय में संभावित जोखिमों और विसंगतियों की पहचान करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है। इससे वित्तीय संस्थानों को ऋण, बाजार में उतार-चढ़ाव और परिचालन चुनौतियों से

संबंधित जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है।

b) **धोखाधड़ी का पता लगाना और रोकथाम (Fraud Detection and Prevention):** एआई सिस्टम असामान्य पैटर्न और व्यवहार का पता लगा सकता है जो धोखाधड़ी गतिविधियों का संकेत दे सकता है। लेनदेन डेटा का विश्लेषण करके, एआई आगे की जांच, वित्तीय संस्थानों में नुकसान को कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए संदिग्ध गतिविधियों को चिह्नित कर सकता है।

c) **ग्राहक सेवा और सहायता (Customer Service and Support):** एआई-संचालित चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट 24/7 ग्राहक सहायता प्रदान कर सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, लेनदेन संसाधित कर सकते हैं और वित्तीय सलाह दे सकते हैं। इससे ग्राहक अनुभव बेहतर होता है और परिचालन लागत कम हो जाती है।

d) **वैयक्तिकृत वित्तीय सेवाएँ (Personalized Financial Services):** वैयक्तिकृत उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिए ग्राहक डेटा का विश्लेषण कर सकता है। ग्राहकों की प्राथमिकताओं और व्यवहारों को समझकर, वित्तीय संस्थान पेशकशों को अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी बढ़ सकती है।

e) **नियामक अनुपालन (Regulatory Compliance):** एआई लेनदेन की निगरानी को स्वचालित करके और अनुपालन मानकों का पालन सुनिश्चित करके वित्तीय संस्थानों को नियमों का अनुपालन करने में मदद कर सकता है। इससे विनियामक जुर्माने का जोखिम कम हो जाता है और परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है।

f) **क्रेडिट स्कोरिंग और अंडरराइटिंग (Credit Scoring and Underwriting):** एआई वैकल्पिक डेटा सहित डेटा स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला का विश्लेषण करके क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल की सटीकता में सुधार कर सकता है। यह अधिक सटीक जोखिम मूल्यांकन और ऋण देने में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

g) **परिचालन दक्षता (Operational Efficiency):** एआई डेटा प्रविष्टि और रिपोर्ट निर्माण जैसे दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकता है, जिससे कर्मचारियों को अधिक रणनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। इससे उत्पादकता बढ़ती है और परिचालन लागत कम होती है।

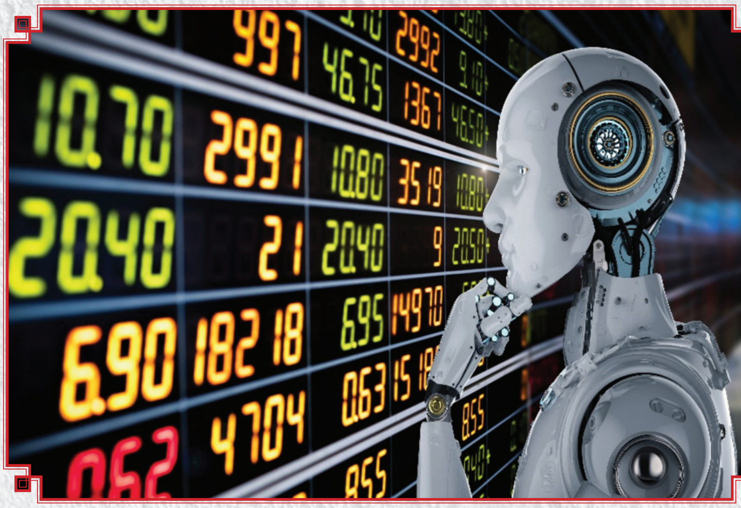

h) **बाजार विश्लेषण और पूर्वानुमान (Market Analysis and Forecasting):** एआई उपकरण अंतर्दृष्टि और पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए बाजार के रुझान और आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण कर सकते हैं। यह बेहतर रणनीतिक योजना और निवेश निर्णयों का समर्थन करता है।

i) **उन्नत सुरक्षा (Enhanced Security):** एआई वास्तविक समय में खतरों का पता लगाकर और उनका जवाब देकर साइबर सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है। मशीन लर्निंग मॉडल नए खतरों को अनुकूलित और सीख सकते हैं, साइबर हमलों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा तंत्र प्रदान करते हैं।

एआई तकनीक दक्षता बढ़ाकर, ग्राहक अनुभव में सुधार करके और अधिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाकर वित्तीय क्षेत्र में क्रांति ला रही है। जैसे-जैसे वित्तीय संस्थान एआई को अपनाना जारी रखेंगे, वित्त का परिदृश्य संभवतः और विकसित होगा, जिससे नवाचार और बेहतर सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

■ संतोष डी देवगिरिकर
संयुक्त महाप्रबंधक, आईटी
हडको

हिन्दी का राष्ट्रीय स्वरूप

भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। इसलिए संप्रेषण के लिए एक संपर्क भाषा अनिवार्य है। अपनी संस्कृति की महान परंपरा और अस्मिता की सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं राजनीतिक दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि देश में कोई एक संपर्क भाषा हो।

भारत में हिन्दी न केवल संघ के सरकारी कामकाज की राजभाषा है बल्कि अखिल भारतीय संपर्क भाषा भी है। राजभाषा के लिए राष्ट्रीय अस्मिता को व्यापक अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। संविधान की अष्टम सूची में शामिल हिन्दी सहित सभी 22 भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। भाषा संस्कृति की वाहक होती है। अतः हिन्दी न केवल हमारी संस्कृति का अविभाजय अंग है अपितु उसकी कुंजी भी है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में प्रावधान है कि संघ (भारत सरकार) का यह कर्तव्य है कि वह राजभाषा हिन्दी का प्रचार, प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करें ताकि वह भारत जैसे मिश्रित संस्कृति वाले विशाल देश की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का मध्यम बन सके। इसलिए यह आवश्यक है कि वह हिन्दुस्तानी भाषा में व्यक्त स्वरूप, शैली, अभिव्यक्ति और संस्कार में कोई व्यवधान न हो। उपरोक्त के साथ सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह 8वीं अनुसूची की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए हिन्दी के शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से ग्रहण करते हुए हिन्दी तथा अन्य सभी भाषाओं की समृद्धि सुनिश्चित करें।

सरकार ने इस संदर्भ में राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प 1968 और राजभाषा नियम 1976 यथासंशोधित 1987 बनाए जिनमें राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास कार्यों को क्रियान्वित करने का आदेश है। सरकार ने उपर्युक्त सभी आदेशों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की, जैसे केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान आदि। क्रियान्वयन के स्तर पर भी कई तरह की प्रोत्साहन योजनाओं का भी विधान किया गया है।

हिन्दी के अखिल भारतीय संपर्क भाषा या राष्ट्रीय स्वरूप के लिए हमें संक्षेप में इतिहास में जाना होगा। मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रजभाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप कवियों ने जहाँ इसे जन भाषा बनाया वही रीतिकाल के कवियों और आचार्यों ने इसे व्याकरण सम्मत रूप दिया। खड़ी बोली हिन्दी का भी सामानांतर विकास हो रहा था। अमीर खुसरो की कविता पहेलियों से निकली, कबीर की वाणी में पली बढ़ी, हिन्दुस्तान के दूर दराज स्थानों में व्यापार, बाज़ार, संस्कृति समाज, धर्म के अलग-अलग लचीलेपन के साथ-साथ कभी दक्खिनी,

कभी हिन्दी, कभी हिन्दुस्तानी और कभी हिन्दी मध्य युग में आम बोल-चाल की भाषा के रूप में उत्तर से दक्षिण तक फैली थी। कुछ समय तक दक्खिनी के नाम से प्रसिद्ध उत्तर भारत की यह भाषा दक्षिण में लम्बे समय तक शासन, साहित्य, व्यापार और जनसंपर्क भाषा बनी रही। मुगल शासन काल में यद्यपि फारसी को राजकाज की भाषा घोषित कर दिया गया परन्तु फिर भी हिन्दी अपने ढंग से राजभाषा के रूप में विकसित होती रही। अकबर, जहाँगीर को हिन्दी का अच्छा ज्ञान था। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा हिन्दी में कविताएं लिखती थी। शेरशाह सूरी काल के सिक्खों पर फारसी/हिन्दी का प्रयोग मिलता है। अधिकांश मराठी राजाओं की राजभाषा हिन्दी ही थी। अंग्रेज जहाँ अंग्रेजी का प्रचार, प्रसार कर रहे थे वहाँ वह यह भी जानते थे कि हिन्दी भारत की प्रतिनिधि भाषा है। अतः उन्होंने इसे विकसित नहीं होने दिया और अंग्रेजी को भारतीय पर लाद दिया। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तक तब अंग्रेजी देश की शिक्षा संस्थाओं, दफ्तरों, अदालतों, विधान सभाओं में अपना प्रभुत्व जमा चुकी थी। अंग्रेजी की भाषा संबंधी जो भी नीति रही हो, हिन्दी ने अपना अस्तित्व बनाए रखा। स्वतंत्रता के लिए जूझने वाले विभिन्न प्रांतों के लोगों के द्वारा विचार विमर्श मिली जुली भाषा में होता था इससे हिन्दी को अत्याधिक बल मिला । स्वतंत्रता आन्दोलन की बागडोर गांधी जी के हाथ में थी, गांधी जी जनमानस की चेतना का पहचान कर दूरगामी दृष्टि रखते थे। इसीलिए उन्होंने हिन्दी और हिन्दुस्तानी का प्रचार किया और हिन्दी को एक राजनीतिक और सामाजिक दर्शन प्रदान किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। धारा 343 (1) में साफ शब्दों में उल्लेख है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। यहाँ यह बता दिया जाना उचित ही होगा कि देवनागरी लिपि न केवल संसार की सरलतम लिपि है बल्कि सर्वाधिक वैज्ञानिक भी है। इसी धारा में प्रावधान है कि भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग किया जाए । ये अंक संसार को भारत की देन है और इन्हें संसार के अधिकतर देशों ने स्वीकार किया है। संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना तार्किक एवं संगत है। भारत जैसे विशाल देश में भाषा के स्वरूप में विविधता मिलना स्वाभाविक है। क्षेत्रीय अवमिश्रण से हिन्दी में सामासिक संस्कृति और शैली के नए आयामों को विकसित होने का अवसर मिलता है। भाषा में भिन्न भिन्न सामाजिक प्रयोजनों के लिए उसमें शैली की भिन्नता भी स्वाभाविक है ।

हिन्दी की इसी प्रकृति के कारण उसमें सार्वदेशिक रूप का विकास हो रहा है। यहाँ एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है भाषा का विकास उसके वास्तविक प्रयोग से ही होता है। भाषा से हम जितनी अधिक मांग करेंगे और उस प्रयोग का जितना अधिक दबाव डालेंगे भाषा उतनी ही जल्दी अपने को समर्थ और समृद्ध बना लेगी। अतः हिन्दी के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमें अपने शिक्षण संस्थानों का माध्यम हिन्दी करना होगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी भावी पीढ़ी अर्थात् बच्चों को बुनियादी शिक्षा के स्तर पर ही राष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ जोड़ें। श्री बी जी खेर की अध्यक्षता में गठित राजभाषा आयोग (1955) की निशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का माध्यम राज्यों की प्रादेशिक एवं अंतः प्रातीय संबंधों के लिए हिन्दी रखने की सिफारिश पर कार्रवाई न करके हमने हिन्दी का बहुत अहित कर दिया है। शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए पीछे एक उच्चस्तरीय आयोग बना था । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कोठारी ही इसके प्रमुख थे। इस आयोग ने अपने विस्तृत प्रतिवेदन में एक जगह यह भी लिखा है “केरल में मलयालम से भी अधिक, युवक युवतियों हिन्दी पढ़ रहे हैं। प्रारंभ में मुझे कुछ अजीब सी बात लगी। भला यह कैसे संभव है कि अपनी मातृभाषा से भी अधिक हिन्दी कहीं पढ़ी जाए। पर वहाँ जाकर जब पता लगाया, तो बात सही थी। राज्य के कुछ वयक्तियों से जब उसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा शिक्षा का प्रतिशत भारत में सब से अधिक हमारे यहाँ है। छोटा राज्य होने से नौकरियाँ कम हैं नौकरी के लिए अधिकांश व्यक्तियों को उत्तर भारत जाना पड़ता है। फिर वह भाषा ही क्यों न हम पढ़ें, जो उधर भी काम दे सके। दूसरे शब्दों में उनका कहना था भाषा वह अधिक चलेगी, जिसका बाजार भाव ऊंचा होगा “ ।

हिन्दी की विडम्बना यही है कि सिद्धांत में यह संघ की राजभाषा है अतएव भारत की प्रशासनिक भाषा है पर व्यवहार में वह “पर शासनिक” भाषा अधिक है। भारतीय कार्यालयी पद्धति में जनता और अधिकारीगण के बीच क्रमशः विकसित होती गई दूरी और जन की अधिकार-वंदना की गाथाओं के पीछे भाषा का समाज-शास्त्र भी है। हिन्दी की “पर शासनिकता” का कारण

कार्यालयी संदर्भों में अनुवाद की भाषा होना है। "प्रशासनिक भाषा के रुप में हिन्दी का स्वरुप" विषय से है, जिस पर व्यापक विषय विचार-विमर्श और विश्लेषण की आज के संदर्भों में बहुत जरुरत है। प्रशासन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण यद्यपि एक ऐसी लचीली राजभाषा नीति को स्वीकार किया गया है, जिससे वर्तनी की भूलों से आतंकित होकर कोई कर्मचारी हिन्दी के प्रयोग के प्रति निरुत्साहित न हो। यहाँ ध्यान देने की बात यही है कि प्रोत्साहन की दृष्टि से तो यह नीति सही है परन्तु प्रयोगकर्ता को थोड़ा सावधान तो रहना ही होगा क्योंकि वर्तनी अथवा उच्चारण का थोड़ा-सा अंतर कई बार अर्थ में भारी उलट-फेर कर देता है। प्रशासन का मंत्रालय से लेकर निम्नतर विभागों तक एक संरचनात्मक ढाँचा होता है। उसमें सप्रेषण के अनेक संदर्भ आते हैं। कहीं वे मौखिक होते हैं और कहीं लिखित कहीं वे चल पत्र के रूप में होते हैं, कहीं-कहीं कुछ सूचनाएं एवं निर्देश स्थान-साथ पर जुड़े होते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने सरकारी कर्मचारियों का आह्वान करते हुए कहा था कि हिन्दी ही देश में एक मात्र ऐसी भाषा है, जिसका प्रयोग संपर्क भाष के तौर पर किया जा सकता है, क्योंकि यह देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाती है।

राष्ट्र में भावनात्मक एकता स्थापित करने तथा उसके उत्थान व विकास में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है । भावात्मक एकता तभी संभव है, जब पूरे राष्ट्र में भावों के आदान-प्रदान में कोई कठिनाई न हो हो अर्थात आदान-प्रदान का कोई एक माध्यम हो। यह कार्य देशी भाषा ही कर सकती है इसलिए भावात्मक एकता का कार्य हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी ही कर सकती है। मैथिली शरणगुप्त ने भी अपनी भाषा पर बल दिया और कहा कि -

"जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है,
वह नर नहीं नरपशु निरा है और मृतक समान है।"

अतः स्वाभिमान एवं संविधान दोनों की अपेक्षा है कि हम मूल विचार, व्यवहार और हर प्रकार का सरकारी एवं निजी कार्य अपनी भाषा हिन्दी में ही ।

बी.एल शर्मा
सहायक प्रमुख, राजभाषा (सेवानिवृत)
हडको

साइबर धोखाधड़ी की घटनाएँ

वर्तमान डिजिटल युग में, साइबर धोखाधड़ी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। पिछले कुछ महीनों में, भारत में कई ऐसे मामलों की खबरें आई हैं जहां लोगों को विभिन्न तरीकों से ठगा गया है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं के बारे में।

1. फिशिंग अटैक

फिशिंग अटैक में धोखेबाज़ असली वेबसाइट का रूप लेकर लोगों से व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं। हाल ही में कई लोगों ने फर्जी ईमेल और एसएमएस के माध्यम से अपनी बैंक जानकारी साझा की, जिसके परिणामस्वरूप उनके खाते से पैसे उड़ाए गए।

2. पार्सल कस्टम्स क्लीयरेंस पार्सल

पीड़ित को कस्टम्स क्लीयरेंस में रोक दिए गए पार्सल के बारे में नोटिफिकेशन/कॉल प्राप्त होती है। संदेश में बताया जाता है कि पार्सल को अनडिक्लेयर या आपत्ति योग्य सामग्री या गलत दस्तावेज़ों जैसी समस्याओं के कारण रोका गया है। धोखेबाज़ तत्काल कार्रवाई करने का दबाव डालते हैं, यह बताते हुए कि पार्सल को छोड़ने के लिए तुरंत कदम उठाना आवश्यक है। वे चेतावनी देते हैं कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो कानूनी परिणाम, जुर्माना या यहां तक कि गिरफ्तारी हो सकती है। पीड़ित को कस्टम्स से पार्सल मुक्त करने के लिए एक शुल्क या जुर्माना अदा करने के लिए कहा जाता है। धोखेबाज़ पीड़ित को और अधिक धोखा देने के लिए वैध कस्टम्स प्राधिकरण, शिपिंग कंपनियों या कानून प्रवर्तन एजेंसियों से आने वाले नकली दस्तावेज़ भेज सकते हैं। कभी-कभी, वे पीड़ित का आधार कार्ड भी अन्य स्रोतों से प्राप्त कर लेते हैं। पीड़ित धोखाधड़ी के जुर्मानों का भुगतान करके वित्तीय नुकसान उठाते हैं।

3. ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी

ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन के साथ, धोखाधड़ी भी बढ़ी है। कई लोगों ने फर्जी वेबसाइटों से उत्पाद खरीदने का प्रयास किया और उनके पैसे डूब गए। इन वेबसाइटों पर दिखाए गए उत्पाद वास्तविकता में कभी नहीं आए।

4. क्लोनिंग

कुछ मामलों में, साइबर अपराधियों ने लोगों के मोबाइल नंबर को क्लोन किया। इसके बाद, उन्होंने OTP (वन-टाइम पासवर्ड) लेकर लोगों के बैंक खातों से पैसे निकाल लिए।

5. क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी

क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए लोगों को आकर्षित करने वाले फर्जी प्रोजेक्ट्स भी सामने आए हैं। निवेशकों को बड़े लाभ का लालच देकर, कई अपराधियों ने करोड़ों रुपये की ठगी की है।

बचाव के उपाय

- **सावधानी बरतें:** किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और अपने व्यक्तिगत जानकारी को साझा न करें।
- **दो-चरणीय प्रमाणीकरण:** अपने ऑनलाइन खातों के लिए दो-चरणीय प्रमाणीकरण सेट करें।
- **नियमित रूप से बैंक स्टेटमेंट की जांच करें:**अपने बैंक खातों की नियमित रूप से जांच करें ताकि किसी भी अनधिकृत लेनदेन का पता चल सके।
- तकनीकी सहायता मांगते समय या ऑनलाइन खरीदारी करते समय, भरोसेमंद स्रोतों का उपयोग करें और धोखाधड़ी वाली साइटों से बचने के लिए वैध वेबसाइटों को बुकमार्क करें। सुनिश्चित करें कि वेबसाइट HTTPS से शुरु होती है।

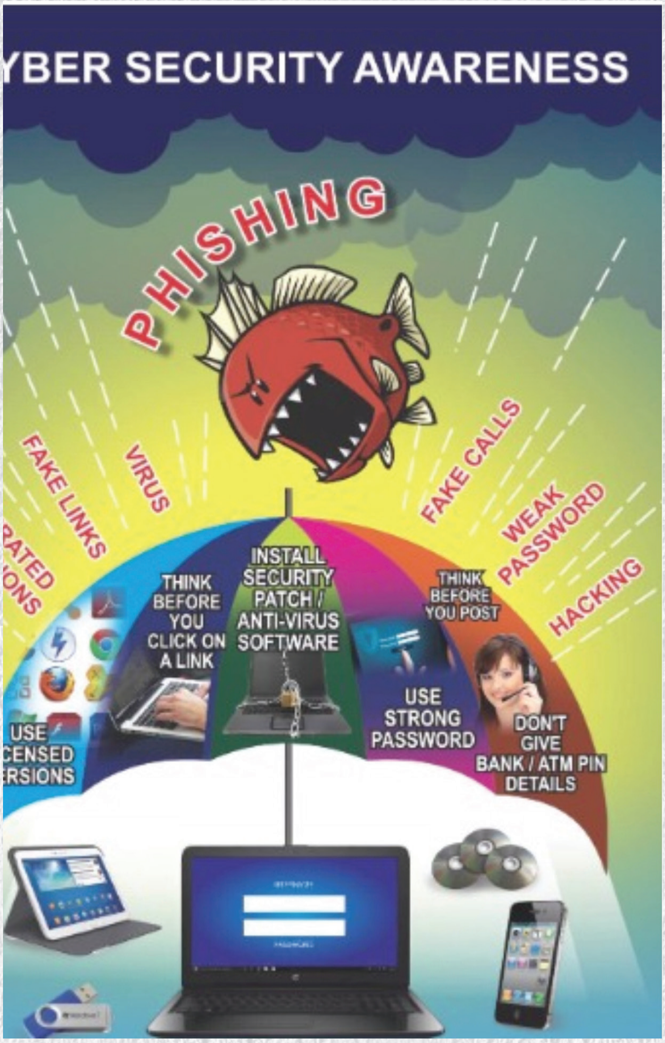
YBER SECURITY AWARENESS
PHISHING
FAKE LINKS
VIRUS
FAKE CALLS
WEAK PASSWORD
HACKING
RATED
ONS
THINK BEFORE YOU CLICK ON A LINK
INSTALL SECURITY PATCH / ANTI-VIRUS SOFTWARE
THINK BEFORE YOU POST
USE STRONG PASSWORD
DON'T GIVE BANK / ATM PIN DETAILS
USE
CENSED
RSIONS

निष्कर्ष

साइबर धोखाधड़ी एक गंभीर मुद्दा है, और इसके प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। तकनीकी प्रगति के साथ-साथ, हमें भी अपने डिजिटल सुरक्षा उपायों को मजबूत करना चाहिए। सावधानी बरतकर और सही जानकारी के साथ, हम इन धोखाधड़ी से बच सकते हैं। **तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करें या वेबसाइट का उपयोग करें: https://www.cyber-crime.gov.in** जितनी जल्दी शिकायत की जाएगी, समस्या के समाधान और पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी।

संदीप सूद
संयुक्त महाप्रबंधक, आईटी
(सीआईएसओ)
हडको

मातृभाषा व्यक्ति निर्माण की भाषा है

क
अ
उ
स
व
ण
उ
ि
त
इ
च
प

माँ, मातृभूमि और मातृभाषा किसी भी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसलिए कहा गया है- माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं। जिस प्रकार माँ का दुग्धामृत नवजात शिशु को भिन्न-भिन्न रुपों में सशक्तता प्रदान करता है उसी प्रकार मातृभाषा गर्भावस्था से लेकर बालक के विकासक्रम की विभिन्न अवस्थाओं तक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देती है। गर्भावस्था में ही बालक माँ के संवाद द्वारा कई शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सर्वविदित है कि महाभारत में वर्णित अभिमन्यु नामक पात्र ने माँ सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह जैसी कठिन युद्ध रणनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। माता जीजाबाई ने बाल्यावस्था में ही शिवाजी को महापुरुषों की अनेक गाथाओं के माध्यम से भारतवर्ष की सनातन संस्कृति और वीरता का पाठ पढ़ाया। आगे चलकर यही बालक भारत गौरव छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना गया। सत्य के प्रयोग नामक अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने भी लिखा है- मेरे मन पर यह छाप रही है कि माता साध्वी स्त्री थीं। वे बहुत श्रद्धालु थीं। बिना पूजा-पाठ के कभी भोजन न करतीं।... माता व्यवहार कुशल थीं। राज दरबार की सब बातें वे जानती थीं। रनिवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था। कभी-कभी माता जी मुझे भी अपने साथ दरबार गढ़ ले जाती थीं। “बा- माँसाहब” के साथ होने वाली बातों में से कुछ मुझे अभी तक याद हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा का निधन हुआ। उस समय भी अनेक समाचार पत्रों में यह समाचार छपा की हीराबा ने ही नरेंद्र मोदी को एक अच्छा मनुष्य बनने व राष्ट्र सेवा की शिक्षा दी। स्पष्टत: मातृभाषा व्यक्ति निर्माण की भाषा है। मातृभाषा माँ भाषा होती है, जिसे बालक सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। माँ ही बालक को सबसे पहले बिल्कुल साधारण एवं ठेठ भाषा में पिता, परिजनों एवं आसपास के प्रकृति- पर्यावरण आदि से परिचित करवाती है। बिना किसी पाठ्यक्रम के ही वह विभिन्न किस्से- कहानियों के माध्यम से, लाड एवं डांट- फटकार से उसके भावनात्मक विकास को आकार देती है। अपने जीवन में व्यक्ति भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है, आवश्यकता व समय के अनुसार वह उसे भूलता भी रहता है। लेकिन माँ की शिक्षाएं अथवा भाषा उसे मृत्यु पर्यंत याद रहती हैं, इसलिए माँ को बालक की पहली गुरु माना गया है। आज ज्ञान-विज्ञान एवं सूचना तकनीक का खूब विस्तार हो रहा है। अंग्रेजी को ही ज्ञान भाषा के रुप में अंगीकार करने की होड़ लगी हुई है। छोटे-छोटे अबोध बालकों को आरंभ से ही घरों में और फिर विद्यालयों में अंग्रेजी सिखाने के अनेकविध प्रयत्न जारी हैं। अनेक बार बिना विदेशी भाषा-ज्ञान के व्यक्ति उपेक्षित सा ही महसूस करता है। इस होड में क्या हमने अपनी मातृ भाषाओं की उपेक्षा नहीं की है? हमें अपनी मातृ भाषाओं के सौंदर्य को समझना और अंगीकार करना चाहिए। आज भी अनेक ग्राम,अंचलों व सुदूर क्षेत्रों में ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्हें मातृभाषा में ज्ञान और शिक्षा के द्वारा आगे लाया जा सकता है। मेरे सपनों का भारत नामक पुस्तक में गांधीजी ने मेरा अपना अनुभव एवं प्रांतीय भाषाएं शीर्षक से हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के महत्व को वर्णित किया है। उन्होंने लिखा है- 12 बरस की उम्र तक मैंने जो भी शिक्षा पाई वह अपनी मातृभाषा गुजराती में ही पाई थी... जिल्लत तो चौथे साल से शुरु हुई... हर एक विषय मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ा... यह अब मैं जरूर देखता हूँ कि जितना गणित, रेखागणित, बीजगणित, रसायनशास्त्र और ज्योतिष सीखने में मुझे 4 साल लगे,अगर अंग्रेजी के बजाय गुजराती में उन्हें पढा होता तो उतना मैंने एक ही साल में आसानी से सीख लिया होता... शिक्षा का माध्यम तो एकदम और हर हालत में बदला जाना चाहिए और प्रांतीय भाषाओं को उनका न्याय संगत स्थान मिलना चाहिए। ध्यातव्य है कि गांधी जी द्वारा

पढ़ाई के माध्यम के रूप में उनके अनुभव एवं प्रांतीय भाषाओं के विषय में उनके विचार आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। आज भी कितने ही विद्यार्थी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। आज भी कितने ही विद्यालयों में हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषा बोलने पर दंड के समाचार सुने जाते हैं। आज भी देश के लाखों नागरिक अंग्रेजी सीखने में ही अपनी बड़ी शक्ति का व्यय कर रहे हैं। गांधी जी ने बहुत स्पष्टता से लिखा- रुस ने बिना अंग्रेजी के विज्ञान में इतनी उन्नति की है। आज अपनी मानसिक गुलामी की वजह से ही हम यह मानने लगे हैं कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। क्या आज भी भिन्न-भिन्न रूपों में अंग्रेजी की मानसिक गुलामी जोरों पर नहीं है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति शीर्षक से इस विषय पर गंभीरता से विचार करती है। वहाँ लिखा है- यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा/ मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है।... जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/ मातृभाषा/स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्णित उक्त प्रविधान अब संकल्प रूप में क्रियान्वयन की स्थिति में हैं और मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी विषय को भी अब हिंदी एवं प्रांतीय भाषाओं में पढ़ाने का कार्य शुरू हो चुका है।

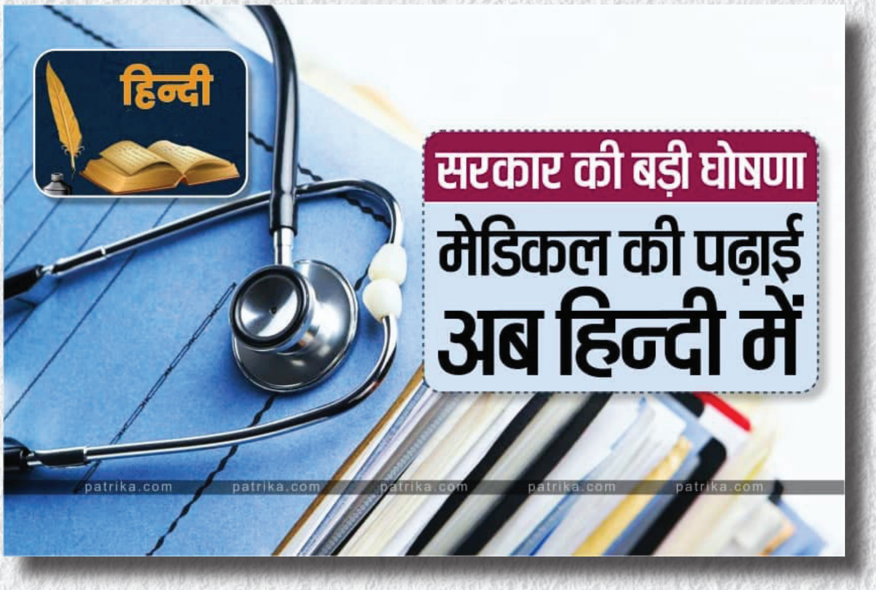

आज यह समझने की आवश्यकता है कि अंग्रेजी अथवा विदेशी भाषाएं केवल व्यवसायिक निर्माण कर सकती हैं किंतु देश प्रेम, दूसरों की सेवा, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवंतु सुखिन: जैसे ऊंचे मूल्यों से समन्वित व्यक्ति निर्माण का साधन तो मातृ भाषाएं ही हैं।

भारतवर्ष के संविधान में हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के विकास की बात लिखी है। आज यह भी समझने की आवश्यकता है कि हिंदी अथवा भारतीय भाषाएं एक दूसरे की शत्रु नहीं हैं। प्रत्येक भारतीय भाषा का अथवा स्थानीय बोली का अपना सौंदर्य है। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाएं दूसरी भाषा के शब्दों को भी ग्रहण करती हैं और समृद्ध होती हैं। हिंदी दिवस केवल हिंदी के प्रचार-प्रसार पर ही केंद्रित न रहे अपितु हिंदी के साथ-साथ सभी भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार में भी सहायक हो। आज जब हिंदी को राजभाषा बनाने की बात आती है तब सभी को खुले मन से उसे स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी,ऐसा प्रविधान है। तदनुसार यह आवश्यक है कि हिंदी राजभाषा बने। आज राष्ट्रीय एवं वैश्विक फलक पर हिंदी का विस्तार तेजी से हो रहा है। यह इस बात के भी संकेत देता है कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं को भी साथ लेकर बढ़ रही है। आज विकसित होते भारत के लिए यह आवश्यक है कि हिंदी एवं मातृ भाषाओं के माध्यम से व्यक्ति निर्माण के प्रयास हों। व्यक्ति निर्माण हो गया तो राष्ट्र निर्माण स्वयं ही हो जाएगा।

■ **डॉ. वेदप्रकाश**
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग
किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत में महिला सशक्तिकरण

पिछले कुछ दशकों से भारत सहित पूरी दुनिया में महिला सशक्तिकरण का विषय एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों ने अपनी रिपोर्टों में इस बात पर जोर दिया है कि लैंगिक मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह माना जाता है कि महिलाओं को अब समानता के लिए और इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव भी पूरी दुनिया में सदियों पुराने मुद्दे रहे हैं जो पुरुषों के साथ समानता के लिए महिलाओं की खोज एक सार्वभौमिक घटना सिद्ध करता है। महिलाओं ने शिक्षा, रोजगार, विरासत, विवाह, राजनीति और हाल ही में धर्म के क्षेत्र में भी मौलवी के रूप में काम करने के लिए पुरुषों के साथ समानता की मांग की है। महिलाएं अपने लिए परिवर्तन की वही रणनीतियाँ चाहती हैं जो सदियों से पुरुषों के पास हैं जैसे कि समान काम के लिए समान वेतन। समानता की उनकी खोज से कई महिला संघों के गठन तथा आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ है।

20वीं शताब्दी में दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति में अविश्वसनीय रूप से वृद्धि हुई है। भारत और अन्य जगहों पर 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह बहुत कम रहा है जब उन्हें ‘वस्तुओं’ की तरह माना जाता था जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकता था। भारत में लंबे समय तक महिलाएं अपने घर की चार दीवारों के भीतर रहती थीं। पुरुषों पर उनकी निर्भरता पूरी तरह से थी।

हम सभी जानते हैं कि अब लड़कियाँ लड़कों की तुलना में स्कूल में बेहतर कर रही हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं के वार्षिक परिणाम इस तथ्य को प्रकट करते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक डिग्री प्राप्त कर रही हैं, और हर क्षेत्र में नई नौकरियां कर रही हैं। महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में श्रमिकों, उपभोक्ताओं, उद्यमियों, प्रबंधकों और निवेशकों के रूप में बड़ी से बड़ी भूमिका निभा रही हैं। द इकोनॉमिस्ट, ‘वीमेन एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1950 में, काम करने की उम्र की केवल एक तिहाई अमेरिकी महिलाओं के पास वेतनभोगी नौकरी थी।

अब हम महिलाओं को लगभग हर क्षेत्र में देख सकते हैं: वास्तुकला, वकालत, वित्तीय सेवा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सेना, आईटी, अन्तरिक्ष यात्री इत्यादि। यहाँ तक कि आईएएस, आईपीएस जैसे शीर्ष पदों पर भी बाज़ी मार रही हैं। कुछ महिलाओं ने स्वय सहायता समूह संचालित कर आपनी जीविका उपार्जन का बेहतरीन साधन जुटाया है । इस नई पहल ने महिलाओं के हाथों में आर्थिक शक्ति भी दी है जिसके लिए वे पहले पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर थीं। अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस करती हैं। इसलिए, वे शिक्षा, विवाह आदि के बारे में व्यक्तिगत निर्णय ले रही हैं।

आज समाज में कामकाजी महिलाओं का एक नया स्वरूप उभर रहा है जिसमें दोनों साथी घर से बाहर काम करते हैं लेकिन घर के काम और बच्चों की देखभाल में समान रूप से भाग नहीं लेते हैं जैसा कि हम पश्चिमी परिवारों में देखते हैं। भारत में, पुरुष के पैतृक दृष्टिकोण में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। इस दिशा में कामकाजी पति-पत्नी को दृष्टिकोण में सुधार करने की आवश्यकता हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए कानूनी प्रावधान

भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले कुछ प्रमुख कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

सामाजिक-सांस्कृतिक सशक्तिकरण

- **भारतीय दंड संहिता (IPC):** इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या और एसिड हमले सहित महिलाओं के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने वाले विभिन्न खंड शामिल हैं।
- **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005:** घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं को सिविल मामलों के अधीन न्याय/ उपाय प्रदान किया जाता है और उन्हें सुरक्षा आदेश और निवास अधिकार प्राप्त करने का अधिकार देता है।
- **दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 1961:** दहेज देने या लेने को प्रतिबंधित करता है और उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान करता है।
- **सती (निवारण) आयोग अधिनियम, 1987:** सती की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाता है, जहां एक विधवा को अपने पति की चिता पर जलने के लिए मजबूर किया जाता है।
- **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006:** बाल विवाह और उससे जुड़े नुकसानों को खत्म करने के उद्देश्य से बालिकाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है।

आर्थिक सशक्तिकरण

- **न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948:** विभिन्न क्षेत्रों में सभी श्रमिकों, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं, के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करता है।
- **समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976:** लिंग के आधार पर मजदूरी और वेतन के मामलों में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, इसलिए कार्यस्थल में लैंगिक समानता के लक्ष्य को बढ़ावा मिलता है।
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961: प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व अवकाश और अन्य लाभ प्रदान करता है।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:** सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न को रोकने और निवारण के लिए एक प्रणाली का निर्माण करता है। इस प्रकार, यह कार्यस्थल में लैंगिक समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।

महिला सशक्तिकरण के उपाय

महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शासन की तरफ से चलाई गई हैं जिससे नारी जाति के उत्थान में मदद मिली है जो भारत में महिलाओं को एक अलग पहचान प्रदान करती है। महिला सशक्तिकरण के उपाय की कुछ योजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं –

- सुकन्या समृध्दि योजना
- बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना
- वन स्टॉप सेंटर
- लाड़ली लक्ष्मी योजना
- फ्री सिलाई मशीन योजना

उपसंहार

एक स्त्री पुरुष की जननी होकर भी पुरुष से कमजोर महसूस करती है क्योंकि पिछली कई सदियों से उसका शोषण किया जा रहा है जिसके कारण नारी अपनी शक्ति और अधिकारों को भूल चुकी है। और अपने साथ हो रहे दुराचार को बर्दाश्त करती चली आ रही है। परन्तु वर्तमान युग महिला युग है। अब उन्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए कई महिला सशक्तिकरण के उपाय भी किए जा रहे है। किन्तु अभी भी कुछ आदिवासी पिछड़े गांवों में कई सारी कुरीतियां या शिक्षा की कमी के कारण महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। अतः वहां तक पहुँच कर उन महिलाओं को भी महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करना होगा।

महाराम तंवर
परामर्शदाता

विरुद्ध आहार

खाद्य-भोजन का संपर्क एक गंभीर मुद्दा है लेकिन ज्यादा सतर्क नहीं है। इनमें से अधिकांश खाद्य-खाद्य इंटरैक्शन हानिरहित हैं, लेकिन उनमें से कुछ के बारे में जानना हमेशा बेहतर होता है।

विरुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ इसके विपरीत है। ऐसा लगता है कि कुछ प्रकार के भोजन के भोजन संयोजन में हो सकता है -

* विपरीत गुण

* ऊतकों पर विपरीत गतिविधियां

* किसी विशेष रूप में संसाधित होने पर शरीर पर कुछ अवांछित प्रभाव डाल सकता है

* कुछ निश्चित अनुपात में संयुक्त होने पर अवांछनीय प्रभाव डाल सकता है

* गलत समय पर सेवन करने से प्रभाव हो सकता है।

आयुर्वेद साहित्य ने विभिन्न प्रकार के विरुद्ध आहार का वर्णन किया है, [2] उन्हें संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:

1. देश (स्थान) विरुद्ध
2. कला विरुद्ध
3. अग्नि विरुद्ध
4. मात्रा (मात्रा) विरुद्ध
5. सतम्य (संपूर्ण) विरुद्ध
6. दोष विरुद्ध
7. संस्कार (बनाने की विधि) विरुद्ध
8. वीर्य (सामर्थ्य) विरुद्ध
9. कोष्ठ विरुद्ध
10. अवस्था (स्वास्थ्य की अवस्था) विरुद्ध
11. क्रम (अनुक्रम) विरुद्ध
12. परिहार विरुद्ध
13. उपाचार (उपचारकर्ता)

असंगति/विरोधी के उदाहरण (विरुद्ध-आहार)

1. **वीर्य विरुद्ध (शक्ति असंगति)** - मछली + दूध।
2. **संस्कार विरुद्ध (प्रसंस्करण असंगति) -** गर्म शहद।

3. **मात्रा विरुद्ध (खुराक असंगति)** - शहद + गाय का घी समान अनुपात में मिलाया जाता है।
4. **क्रमा विरुद्ध -** शहद लेने के बाद गर्म पानी।
5. **काल विरुद्ध** - (समय की असंगति) ग्रीष्म ऋतु में तीखा पदार्थ और शीत ऋतु में शीत पदार्थ।
6. **क्रमा विरुद्ध (आदेश असंगति) -** रात में दही का सेवन करना। भोजन के अंत में मधुर रस भोजन या द्रव्य और भोजन की शुरुआत में टिक्टा और कटु रस द्रव्य (खाद्य पदार्थ) लेना।
7. **सम्योग विरुद्ध (संयोजन असंगति) -** फलों का सलाद या दूध + केला।
8. **परिहार विरुद्ध (contraindication incomposition)-** गर्म चाय या कॉफी पीने के तुरंत बाद ठंडे पानी का सेवन करें।

समाप्ति

उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि विरुद्ध अहार आज की अनुचित आहार आदतों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे अनजाने में मरीजों को कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए, प्रेरक असंगत आहार कारकों को सूचीबद्ध करना और ऐसे एटियलॉजिकल कारकों से बचने के लिए रोगियों को प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। लेख आयुर्वेदिक आहार विज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए विभिन्न असंगत कारकों पर शोध करने के लिए एक नई शोध खिड़की भी खोलता है।

■ **डॉ आरिफ**
आयुर्वेदाचार्य

हडको में डिजिटल परिवर्तन: कागज़ी उपयोग में दृश्यमान कमी

हडको में डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया पिछले कुछ समय से प्रगति पर है, जिसमे अलग अलग माध्यमों का प्रयोग हडको अधिकारियों द्वारा पहले से ही आरम्भ हो चुका है | विशेषतः इसे शामिल हैं : ERP Modules, e-Office इत्यादि| इन applications के प्रयोग से हडको कार्यालय में दृश्यमान रूप से कागज़ी प्रयोग में कमी देखने को मिली है |

1. ईआरपी और ई-ऑफिस में डिजिटल परिवर्तन:

- **ईआरपी:** ईआरपी के कार्यान्वयन के साथ, कर्मचारी अपने एचआरएमएस से संबंधित अनुरोधों/प्रश्नों के लिए ईएसएस (कर्मचारी स्व-सेवा) पोर्टल तक पहुँच सकते हैं।
  - छुट्टी का अनुरोध (एचआरएमएस-ईआरपी):
    - मात्र पिछले 6 महीनों में ही, कर्मचारियों के योगदान से निम्नलिखित अवकाश अनुरोधों के लिए औसतन लगभग 7000 पृष्ठों की बचत हुई है:

छुट्टी का प्रकार	औसत पृष्ठ
सीसीएल-अनुरोध	23
सीएल-रद्दीकरण	53
सीएल-एफटी-अनुरोध	11
सीएल-अनुरोध	3751
CO-Comp off	75
CO-अनुरोध	55
ईएल-रद्दीकरण	23
ईएल-अनुरोध	727
एचपीएल-रद्दीकरण	15
एचपीएल-अनुरोध	1506
एमएल-अनुरोध	2
पीएल-अनुरोध	3
आरएच-रद्दीकरण	3
आरएच-अनुरोध	179
एससीएल-अनुरोध	108
एसटीएल-रद्दीकरण	8
एसटीएल-अनुरोध	428
कुल योग	**6970**

- **दावे और प्रतिपूर्ति – Claims & Reimburse**ment (HRMS-ERP): इस सबमॉड्यूल के प्रभावी उपयोग ने कागज़ के फॉर्म के उपयोग और बिलों की प्रतियाँ भेजने की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित (Replace) कर दिया है। यह उपयोगकर्ताओं को दावों के लिए ई-चालान/ई-बिल अपलोड करने में सक्षम बनाता है और कागज़ के चालान की आवश्यकता को काफी हद तक समाप्त कर देता है।
    - o पिछले 6 महीनों में, हडको ने कर्मचारियों को निम्नलिखित 20 प्रकार के दावों की प्रतिपूर्ति की है:

दावों का प्रकार	सहेजे गए पृष्ठ * (लगभग
परिचर प्रतिपूर्ति दावा	18
जन्मदिन का दावा	735
पुस्तकें दावा	132
संक्षिप्त मामला दावा	525
बिजली बिल दावा	26
मनोरंजन दावा	2694
अग्रिम दावा	776
आईपैड दावा	18
लैपटॉप और अन्य हार्डवेयर दावा	4056
लंच दावा	5979
मेडिकल दावा	3495
Misc दावा	3796
मोबाइल बिल भुगतान	5982
मोबाइल फ़ोन दावा	315
योग्यता दावा	54
निवासी फ़ोन बिल दावा	3186
छात्रवृत्ति दावा प्रपत्र	264
चश्मे का दावा	285
सुपरएनुएशन क्लेम फॉर्म	24
यूनिफार्म दावा प्रपत्र	144
कुल योग	**32504**

* Legacy Applications में, कर्मचारियों को अपने दावे प्रस्तुत करने तथा अपने चालान/बिलों का मैन्युअली/भौतिक रूप से निपटान करने के लिए लगभग 32500 पृष्ठों का प्रिंट लेना पड़ता।

❖ **ई-ऑफिस:** कर्मचारियों को फाइलों को भौतिक रूप से स्थानांतरित करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित करने में सक्षम बनाया गया।

- o पिछले 6 महीनों में रसीद बनाने के लिए हडको समस्त भारत में औसतन 2 पृष्ठ की रसीद से 21,766 पृष्ठ सहेजे गए हैं।

क्रम सं.	रसीद रिपोर्ट	जनवरी-जुलाई 2024	प्रत्येक रसीद के लिए औसतन 2 पृष्ठ
1	सीओ	6,835	13,670
2	आरओ	4,048	8,096
	कुल	**10,883**	**21,766**

- **पिछले 6 महीनों में, हडको में फाइल निर्माण और अग्रेषण के लिए:** ई-ऑफिस में 1913 फाइलें बनाई गई हैं, जिसमें फाइल निर्माण के लिए औसतन 4-पृष्ठ नोटिंग और 10-पृष्ठ सीपी की धारणा है और इसी प्रकार फाइल अग्रेषण के लिए 2-पृष्ठ नोटिंग और 5-पृष्ठ सीपी के साथ 40,733 फाइलें बनाई गई हैं।

CO/RO	बनाई गई फ़ाइल	नोटिंग	CP	उप कुल	अग्रेषित की गई फ़ाइल	नोटिंग	CP	उप कुल	कुल योग
CO	445	10,680	26,700	37,380	21,530	2,58,360	6,45,900	9,04,260	9,41,640
RO	1468	35,232	88,080	1,23,312	19,203	2,30,436	5,76,090	8,06,526	9,29,838
कुल	1,913	45,912	1,14,7 80	1,60,692	40,733	4,88,796	12,21,990	17,10,786	18,71,478

यह सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के प्रति हडको की प्रतिबद्धता को दर्शाता है’

- A4 आकार के कागज़ की एक शीट 4.3-4.7 ग्राम CO_2 उत्सर्जन कर सकती है और एक रीम (500 शीट) लगभग 2.3 किलोग्राम CO_2 उत्सर्जन कर सकती है, इसलिए 19,32,800 पेज (3866 रीम) ने 8.9 टन CO_2 उत्सर्जन किया होगा। इस प्रकार, CO_2 उत्सर्जन को बचाने के अलावा, हमने लगभग 240 से 250 पेड़ों को काटने / गिराने से बचाया है, क्योंकि 1 पेड़ लगभग 16 रीम कागज़ का उत्पादन कर सकता है। साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि इतनी संख्या में पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए आवश्यक प्रिंटर टोनर की बचत हुई है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली है।

■ **विजय एम सहारकर**
सहायक महाप्रबंधक, आईटी
हडको

Back Space
Go Green
Shift
Dele

हडको की प्रमुख गतिविधियाँ

ile Blood Collection Van
Rotary

Day 2024
d Drought Resilience"
Khan, New Delhi

World Environment Day 2024

एवं राजभाषा संबंधी उपलब्धियाँ

पखवाड़ा
29 सितम्बर 2023
मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)
दिल्ली-110003

न्दी पखवाड़ा
म्बर - 29 सितम्बर 202

प्रशिक्षण कम्प्यूटर लैब

स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी लोकगीतों का योगदान

स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लोकगीतों का विश्लेषण काफी रोचक रहा है | भक्ति काल के बाद इसमें कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न होते ही रहे हैं| यद्यपि कुछ रीतिमुक्त कवियों के माध्यम से लोकगीत अभी भी आगे ही बढ़ रहे थे कि आधुनिक काल के पुनर्जागरण काल के प्रभाव से भक्तिकाल की धार्मिकता और रीतिकाल की और जनसाधारण द्वारा केंद्र में आ गया। डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि “जागरण ने अध्यापकों लोक से जोड़ा, लोक को राष्ट्रीयता से ”[1] स्वाधीनता से पहले के लोग अधिकतर संस्कार और विश्वास पर आधारित होते थे| उनकी पहचान उनके व्यक्तित्व के आधार पर देखी जा सकती थी| प्रकाश शुक्ल ने कहा है कि “आधुनिक काल में पहली बार ‘लोक’ का प्रत्यक्षगत गुण स्पष्ट हुआ जिससे लोग जीवन के विविध का पता चलता है अब लोग यहाँ सामान्य आदमी के जीवन से जुड़ी ‘रोजमर्रा’ की गतिविधि के रूप में आता है जबकि पहले गतिविधि से लोक की पहचान संभव होती थी| क्रम का यह उलट जाना, मनुष्य का सीधी पाँव खड़ा हो जाना ही है। इसे भारतेंदु युग से अब तक देखा जा सकता है। ”[2] इन्हीं स्थितियों के बीच भारतेंदु का उदय हुआ | यह जा सकता है कि रीतिकालमें जिस तरह की विचारधारा और उसमें उत्पन्न भावनाएँअपना दम तोड़ रही थी। ऐसे समय में नवजागरण का जन्म हुआ। स्वाधीनता आंदोलन के कवियों ने नयी विचारधारा को रखा और इसका सूत्रपात भारतेंदु ने किया।

भारतेंदु द्वारा रचित ‘कवि वचन सुधा’ में उन्होंने भारतवर्ष की विकसित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय, विचार और महत्व को कविताओं के साथ-साथ लोकगीतों में भी व्यक्त किया | लोकगीतो का गाँव-गाँव में प्रचार प्रसार किया -

वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं।
वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं।
वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन, न रवानी है!
जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं, पानी है!

खूनी हस्ताक्षर / गोपालप्रसाद व्यास

“प्यारी झूलन पठारों झुकि गयो बदरा |
ओंढ़ों सुरुख चूनरि तापै श्याम चदरा ||
देखो बिसुरी चमके बरसै अदरा |
‘हरीचंद’ तुम बिन पिय अति कदरा |”3

भारतेंदु के अलावा उनके सभी समकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक साहित्य परख वर्णन देखा जा सकता है| चौधरी बद्रीनारायण, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त आदि ने लोकगीतों, लोकोक्तियों शतकों आदि लोकपरक विषयों की रचना से लोक साहित्य की महत्ता को सिद्ध किया है |

जीवन में घटित-घटनाओं पर आधारित कहावतें मुहावरे और लोकोक्तियां के साथ-साथ पहेलियाँ भी इन कवियों ने लोकजीवन और मानस को ही आधार बनाकर प्रस्तुत किया है| भारतेंदु और उनके साथियों ने जहाँ एक और साहित्यिक गीत लिखे वहीं दूसरी और विवाह-विदा और जेवनार के समय के समय दी जाने वाली गारी [गाली] का भी उल्लेख मिलता है | वीरेंद्रनाथ द्विवेदी ने कहा है कि “ भारतेंदु युग में लोक तत्वों का समावेश अपनी स्वाभाविक विशेषताओं के साथ हुआ यह युग लोक-सामग्रियों से पूर्णतया समृद्ध है | कथाएँ, लोकोपदानों से मंडित हैं | विविध भावों से युक्त पदों में लोक तत्वों की प्रेरणा है और विशेष करके लोकगीतों की सर्जना तो अपने मूल रुप में ही अलंकृत है | मुहावरे, कहावतें और पहेलियां भारतेंदु युग की विषयाभिव्यक्ति के प्राणतत्व आधार ही हैं | इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन के विश्वास, रीति-रिवाज, व्रत-पर्व-उत्सव आदि के चित्रण तो विषय क्रम में स्वत: स्फुरित होते गये है | इसलिए यह कहना कि यह लोक पक्ष की द्दष्टि से बड़ा समृद्ध है, गलत नहीं होगा। ”4 भारतेंदु हरिश्चंद्र को जहाँ एक और अपनी भाषा देश और उसके विकास के प्रति गहरा लगाव था वहीं दूसरी और महंगाई, अकाल और कर के विशेष में बहुत दोषारोपण दिखाई देते थे | भारतेंदु ने सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि –

“अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी;
पै धन विदेश चलि जात इहै अति ख्वारी |
ताहू पै महँगी काल रोग विस्तारी;
दिन-दिन दूने दुःख ईस डेट हा हा री |
सब के ऊपर टिक्क्स की आफत आई;
हा हा ! भारत दुर्दशा न देखी जाई |”5

इस काल में कवियों ने जन-भाषा को अपनाकर अपने विचार उसमें प्रस्तुत कर जन उपयोगी साहित्य के स्वरुप को भी गौरवान्वित किया है। डॉ. रामविलास शर्मा ने कहा है कि “भारतेंदु युग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह जनता का साहित्य है|उनकी भाषा न दरबारों की है, न सरकारी अफसरों और कचहरी के मुहरिरों की | वह जनता की भाषा है, जिसमें अत्यधिक ग्राम संपर्क के चिहन भले हो, नागरिक बनाओ सिंगार और टिप टॉप का अभाव है | उस पर अवधी और ब्रज भाषा की गहरी छाप है |”6

भारतेंदु का भाषा के प्रति सद्भाव था अपनी संस्कृति सभ्यता और उसके विकास के प्रति चिंतित और मनन भी करते रहते थे| इस युग में मुक्तक काव्य का ही रुप सर्वथा बिखरा हुआ था| भारतेंदु ने अपने युग में अंग्रेजी शासन का तो विरोध किया ही था साथ ही समकालीन लेखकों ने विदेशी वस्तुओं के प्रति भी अपना आक्रोश अनेक रुपों में लोगों के माध्यम से व्यक्त किया था -

“मारकीन मखमल बिना चलते कुछ नेहि काम |
परदेसी जुलहान के मानंहु मानंहु भये गुलाम ||
वस्त्र कांच,कागज,कलम,चित्र खिलौन आदि |
आवत सब परदेस सौ,नितहीं जहाजानि लादी ||”7

इस प्रकार द्वेदी युग में भाषा के स्वरुप में परिवर्तन गठन और व्याकरण के प्रति नवीनतम के समावेश से अपना महत्व है | इस युग में परंपरावादी और स्वच्छंदवादी दोनों ही प्रकार के लोकगीतों का विकास हुआ| महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में आदर्श, नैतिक, शुद्ध-वर्तनी एवं संस्कृत साहित्य के संस्कारों का प्रयोग कर अनेक रचनाएं लिखी जाने लगी |

वैदिक युग में कई कवियों ने प्राचीन कलम से भी लोकगीतों का महत्व और रचना की सत्यनारायण, बद्रीनाथ भट्ट, श्रीधर पाठक ने कजली, ठुमरी, होली और

ग़ज़ल आदि में अपनी कविताओं को नया स्वर दिया| डॉ. कृष्ण लाल ने इस विषय में अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं कि “काव्य-रूप की दृष्टि से आधुनिक गीतिकाव्य का प्रारंभ संभवत है गाँव में प्रचलित लोक गीतों से होता है | संयुक्त प्रांत के पश्चिमी प्रांतों में “लावनी” का बहुत है और साधारण है लावनी बाजू के दो अखाड़ों में बड़ा बढ़ी चला करती है | इसी प्रकार कव्वाली, कजली, बिरहा इत्यादि लोकगीत देश के विभिन्न भागों में प्रचलित हैं| आधुनिक गीती काव्य के रूप पर इन लोकगीतों का प्रभाव बहुत बड़ा है, विशेषकर लावनी का| लावनी मैं पाँच पंक्तियों के पश्चात एक चरण की पुनरावृत्ति हुआ करती है |”8 इसी संदर्भ में प्रस्तुत एक लोकगीत-

“वह सभा-चतुर जो बिगड़े काम सुधारै,
जब तलक बनै तब तलक न हिम्मत हारै |
जो राजा औ रैयत को दुःख होवै,
यह यंत्र विचारै दिनों को सुख होवै,
मंत्री वह है जिसमें वह पौरुष होवै
सब अंग पलै जन मुखिया मुख ज्यों होवै
सिद्धांत में साथै, विवेक मंत्र विचारै,
जब तलक बनै,तब तलक न हिम्मत हारै ||

इसी क्रम में संस्कार भी लोक में हर्षोल्लास और रीति-रवाज से मनाया जाता है| इसमें सगे- संबंधी और मित्रों आदि को निमंत्रण देकर गीत और खान-पान द्वारा ढाल से मनाया जाता है |

इस काल में ऋतुपरख लोकगीतों पर अधिक से अधिक रचनाएँ हुई है| बीसवीं सदी के कवियों ने प्रकृति का वर्णन दो रूपों में किया है| पहली परंपरागत रुप में और दूसरा प्रकृति के निरीक्षण कर आनंद का वर्णन किया है | कवि मैथिली शरण गुप्त ‘साकेत’ में उर्मिला के विरह वर्णन में षड- ऋतु का वर्णन इस प्रकार से किया है-

“ठेल मुझे न अकेली अंध अवनि गर्भ गेह में
आज कहाँ है उसमें हिमांशु-मुख की अपूर्व उजियाली |”9

इसी प्रकार शरद ऋतु के आगमन पर उर्मिला को पति लक्ष्मण के सुंदर एवं मनमोहक नेत्रों की याद आ जाती है-

“निरख सखी ये खंजन आये,
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाये |”10

छायावादी कवियों ने अपनी कविता का आधार ग्राम-जीवन और प्रकृति सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त किया है| इन कवियों ने लोक प्रवृत्ति के साथ ही लोकगीतों की संप्रेक्षणीयता और संवेदनीयता को भी अपनी रचना के केंद्र में रखा | इन्होंने मानवीय भावना, सीधी-साधी अभिव्यक्ति, प्रतीक-योजना, लाक्षाणीयता आदि विशेषताओं को अपने लोकगीतों एवं रचनाओं के द्वारा जन-सामान्य के सम्मुख रखा | छायावादी युग के कवियों ने जन-जीवन की भावनाओं का स्वरूप लोकगीत द्वारा ही व्यक्त किया है | इसमें प्रार्थना-गीत हो या प्रकृति-गीत, लोरी, चरखा-गीत, संस्कार गीत या अंधविश्वास के प्रति भाव हो सभी कवियों ने लोक में प्रचलित बातों, भावों और मान्यता की चर्चा अपनी रचनाओं में की है | कवियत्री महादेवी नहीं माना है कि-

“ प्रिय चितरंजन हे सजनि,
क्षण क्षण नवीं सुहागिनी मैं ||”11

वही पंत ने अपनी कविता में एक ओर लोकगीतों का परिचय देते हुए उसकी महत्ता को स्वीकार किया है तो वही कवि निराला ने अपनी कविताओं में प्रकृति का सुंदर एवं निराला चित्रण किया है | कवि जयशंकर प्रसाद में अपनी कृति 'कामायनी' में नायिका श्रद्धा के प्रति प्रेम-भाव का वर्णन तकली-चरख के माध्यम से करते हुए दिखाई देते हैं | इसमें नहीं तो मनु को अपना झोपड़ा दिखाती है जिसमें भौतिक सुख सुविधाओं हुआ है जैसे झूला, फूलों की सेज और खिड़कियों आदि का मनमोहक वर्णन दिखाई देता है |

प्रगतिवादी कवियों ने अपनी कविता का आधार नगरों और ग्रामों की जनता तक ही नहीं रखा अपितु आम व्यक्ति को अपनी रचनाओं में सर्वप्रथम स्थान दिया है| इसमें छायावादी कवि निराला और सुमित्रानंदन पंत ने अपनी अहम भूमिका निभाई है | आस्था, विश्वास और दृढ़ता के इस प्रगतिशील भाव को सहज भाव से सभी ने स्वीकार किया है | गाँव में बसी जनता को नहीं वाणी मिली | लोकगीतों का सीधा संबंध जनता के हृदय से होता है इसलिए लोकगीतों की शैलियों को अपनाकर प्रगतिवादी कवियों ने सामान्य जन-जीवन के अनेक चित्र प्रस्तुत किये | इस संदर्भ में शिवमंगल सिंह सुमन की पंक्तियां इस प्रकार से है-

> **“ताल तलैया भरे चंहु ओर**
> **ख्कोर हिलोर में डोले रे हिय |”12**

इसी प्रकार कवि ने होली रंग का भी भिन्न-भिन्न रूपों रंगने की बात कही गई है-

> **“ सुन सुरों की सहन आहट**
> **कृषक की टचकार**
> **घंटों की**
> **सुपरिचित टनटनाहट**
> **पंथ जागे**
> **खेत जागे**
> **बिज ने पलके उधारी**
> **और देखा**
> **झील की उर्मिल सतह पर**
> **रास के रसिया सरीखे**
> **झूमते शतदल |”13**

अतः कहा जा सकता है कि स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी लोकगीतो का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा | भारतेंदु युग, द्विवेदीयुगीन, छायावाद और प्रगतिवाद कवियों ने लोकगीतों में परंपरा रीति- रिवाज संस्कार से प्रभावित था | इस काल का जन साहित्य लोकगीत से प्रेरित एवं संचार करता है | यही कारण है कि इन कवियों का स्वर आज तक इन लोकगीतों में उल्लिखित हैं | इन्हें याद किए बिना स्वाधीनता आंदोलन को ना तो ठीक से समझा जा सकता है और न ही कोई राय निश्चित की जा सकती है यह कहना अनुचित नहीं होगा कि लोकगीत ही शिष्ट साहित्य का आधार है |

संदर्भ-सूची

1. डॉ. रामस्वरुप चतुर्वेदी : हिंदी साहित्य व् संवदेना का विकास, पृ.198
2. श्रीप्रकाश शुक्ल : साठोत्तरी हिंदी कविता में लोक सौंदर्य,पृ.95
3. ब्रज रत्नाकर-भारतेंदु ग्रंथावली,भाग-2,पृ. 487
4. वीरेंद्र नाथ द्विवेदी -आधुनिक हिंदी कविता में लोकतत्व,पृ.103
5. रूद्रकाशिकेम : भारतेंदु ग्रंथावलीनाटक भारत दुर्दशा,पृ.134
6. डॉ.रामविलास शर्मा : भारतेंदु युग,पृ.156
7. डॉ. कृष्ण मोहन सेक्सना : भारतेंदु युगीन नाटी साहित्य में लोकतत्व,पृ.7
8. डॉ.श्रीकृष्ण लाल-आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास,पृ.107
9. मैथिलीशरण गुप्त : साकेत- नवम सर्ग, पृ.287
10. वही,पृ.299
11. महादेवी वर्मा : सांध्यगीत ,पृ.237
12. गुलाब राय : काव्य के रुप,पृ.144
13. सुमित्रानंदन पंत-रंगमहल,पृ.259

■ **डॉ. राजकुमारी शर्मा**
दिल्ली विश्वविद्यालय

ब्रह्म में भ्रम

भारतीय विद्वान 'शब्द' को 'ब्रह्म' अर्थात् ईश्वर का रुप मानते हैं। 'शब्द' को 'नाद' भी कहते हैं, जिसका 'ब्रह्म' की तरह कोई आकार नहीं होता| वह भी उसकी तरह सर्वत्र व्यापक होता है। इसलिए शब्द का अशुद्ध उच्चारण सीधा-सीधा ईश्वर का अपमान है।

अर्थवान शब्द की अपार शक्ति होती है। यदि मंत्र का उच्चारण अशुद्ध किया जाए, तो वह सुफल देने के स्थान पर विनाश तक कर देता है। कहा जाता है कि कुम्भकर्ण अपनी तपस्या के फल के रूप में वरदान माँगते समय इंद्रासन माँगना चाहता था, किंतु उसके मुँह से 'इ' के स्थान पर 'नि' अर्थात 'निंद्रासन' शब्द निकल गया| परिणामस्वरूप वह छह महीने सोने लगा।

कई बार अशुद्ध शब्द के प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है और लेने के देने पड़ जाते हैं। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास विवाह से पूर्व महामूर्ख थे। उनका विवाह धोखे से एक विदुषी राजकुमारी विद्योत्तमा से करा दिया गया| विवाह के उपरांत जब दोनों पति-पत्नी एक कमरे में बैठे थे, तो ऊँट की आवाज सुनकर कालिदास ने उष्ट्र के स्थान पर उट्र कह दिया| इससे पत्नी को उनकी मूर्खता का पता चल गया| क्रोधवश उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था।

इस प्रकार हमारी छोटी-सी चूक के कारण बहुधा अपरिहार्य स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं| इसीलिए संत कबीर ने कहा है-

बोली एक अमोल है, जो कोय बोलि जानि|
हिये तराजू तौलि के, तब मुख बाहर आनि||

वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि शब्द सौरमंडल में विचरण करते रहते हैं। हमें अपने शब्दों का प्रयोग सोच-समझकर करना चाहिए। यथासंभव शब्द का शुद्ध उच्चारण करके वातावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए!

कुछ तथाकथित उदारवादियों का कहना है कि शब्दों की शुद्धता के लिए क्यों अड़ें, बात समझ आनी चाहिए, शब्द चाहे अशुद्ध क्यों न हों, किंतु यदि उदार बनना है, तो ज़रूरतमंदों की मुफ़्त सेवा कीजिए, सड़क पर पड़े असहाय घायल की सहायता

कीजिए, किसी गरीब को रोज़गार के अवसर दीजिए| शब्दों के अशुद्ध प्रयोग में उदारता दिखाना सर्वथा अनुचित है।

स्वतंत्रता की सार्थकता **बंधन युक्त स्वतंत्रता** में है| बंधनहीनता स्वच्छंदता और फ़िर अराजकता को जन्म देती है| शब्दों का मनमाना प्रयोग भी भाषा की गरिमा को नष्ट करता है| वर्तनी अशुद्धि 'देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर|' अतः हमें इस ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा|

हमारी हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि हम जैसा बोलते हैं, वैसा लिखते हैं| यदि अशुद्ध बोलेंगे, तो अशुद्ध ही लिखेंगे। कहा भी गया है-

इसलिए हिंदी को यथाश्रुत भाषा एवं श्रुति-वाक्-लेखन पद्धति पर आधारित भाषा कहते हैं।

भाषायी कौशल हैं- सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना

और हिंदी की विशेषता है-यथा सुनना -> यथा बोलना -> यथा लिखना -> यथा पढ़ना।

अतः हमें सभी भाषायी कौशलों में शब्दों की शुद्धता पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

आजकल तथाकथित अत्यधिक पढ़े-लिखे लोगों में ईश्वर अर्थात ब्रह्म में भी भ्रम होने लगा है; साथ ही ब्रह्म स्वरूप शब्दों में भी विभिन्न स्तरों पर भ्रम हो रहा है-

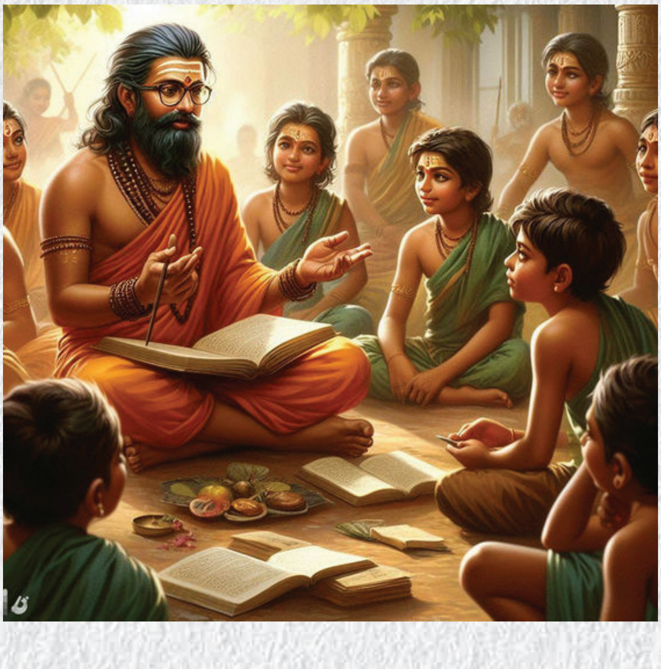

1. **वर्ण में भ्रम –** अैसा - एसा, अूपर, झोड़ूँगा, बटाया ('त' की घुंडी को बढ़ा देने के कारण 'ट'बन गया), भरका (बरखा), भड़ती जाती है (बढ़ती), हात (हाथ), दीया भुजा दो (बुझा), अ भ(अब), मंदपसंद (मनपसंद), मुझसे यह भोज सहा नहीं जाता (बोझ), मझाक मत करो (मज़ाक), सभलोग (सबलोग), डेर सारा (ढेर), ढ़ेर लगा ता (ढेर लगा था), जा रए हैं (रहे), चाह-चाए (चाय), जा रिया है (रहा), देखबाल (देखभाल), एसे- ऐसे (ऐसे), केसे (कैसे), धोके खाए हैं (धोखे), हनुमान जी दूध बनकर गए (दूत), शांतनु की पत्नी गंगा ने साथ पुत्र बहा दिए (सात), पान सो (पाँचसौ), प्रलै (प्रलय), पढ़हाती है (पढ़ाती), बाई (भाई), चड़ाई (चढ़ाई), समक्षाया (समझाया), अद्धापिका (अध्यापिका), ढ़ाबा (ढाबा) आदि|

2. **मात्रा में भ्रम –** (अ) ह्रस्व-दीर्घ-लोप –रितु- ऋितु (ऋतु), दिया-दीया – दिए जल उठे (दीए), खीलाया (खिलाया), कीसि (किसी), नहिं (नहीं), प्रस्तूत (प्रस्तुत), रूपया (रुपया), पक्तिंयां-पंकतीयाँ (पंक्तियाँ) मेहक (महक), रेहने दो (रहने), मैरा (मेरा), मरी-मारी चाची जी (मेरी), पेहचान (पहचान), गैहरा-घैरा (गहरा), बैह जाना (बह) , बहौत(बहुत), छौड़ के (छोड़कर), महिलाऐं (महिलाएँ), अंगद ने कहा- माता सीता को लोटा दो (लौटा), ठोस पुचाना (ठेस पहुँचाना), टोट गया (टूट), दुसरों (दूसरों), क्रिपया (कृपया), स्त्रष्टि (सृष्टि), मात्रभूमि के लिए बलिदान (मातृभूमि), पूँछ लो (पूछ), काँट दिया (काट), श्रृंगार (श्रृंगार), श्रृंखला (श्रृंखला), साँस (सास) ने एक सास (साँस) में सारा सोस (सॉस) खा लिया, गृहणी (गृहिणी), ग्रहकार्य (गृहकार्य), परिक्षा (परीक्षा) आदि।

   (आ) चंद्रबिंदु और अनुस्वार में भ्रम – वह हँस (हंस) को देखकर हंस (हँस) पड़ा, पँजाबी (पंजाबी), साँसद (सांसद), सँसार (संसार), शुभकामनाएं(एँ), आंसू (आँ), जाएंगे (जाएँगे), धुंआ (धुआँ) आदि|

3. **वर्ण-संयोग में भ्रम** – उत्ना, बल् कि, पिच्छे, त्ता-प्त = त्र – पत्रा (पत्ता), तत्र(तप्त), पत्ता चला है, स्त्रोत-स्तोत्र, सहस्त्र (सहस्र), गधांश (गद्यांश), विधार्थी (विद्यार्थी), उद्देश्य (उद् देश्य), पत्रा (पन्ना), विभित्र (विभिन्न), द्र= द् + ^, समुद^ (समुद्र), द्रद (दर्द), दरिट्र (दरिद्र), आर्शीवाद (आशीर्वाद), कृप्या (कृपया), अंतर्राष्ट्रीय (अंतरराष्ट्रीय) आदि।

4. **लाघव में भ्रम** – जंता (जनता), सुंकर (सुनकर), स्त्रोज (सरोज), मान्ते थे (मानते थे), हाली में (हाल ही में), उस जगा पर (जगह) आदि।

5. **संधि में भ्रम**– अत्याधिक(अति+अधिक=अत्यधिक), अतिश्योक्ति (अतिशय+उक्ति = अतिशयोक्ति) आदि|

6. **उपसर्ग में भ्रम** – अनाधिकार (अनधिकार), सहपरिवार (सपरिवार), उज्चल-प्रज्ज्चल (उज्ज्चल-प्रज्चल) आदि।

7. **प्रत्यय में भ्रम** – महत्व (महत्त्व), चमत्कारिक (चामत्कारिक), परिवारिक (पारिवारिक), विवाहिक (वैवाहिक), भूगोलिक (भौगोलिक) आदि।

8. **भाववाचक संज्ञा में भ्रम** – महत्तवता (महत्त्व या महत्ता), सौन्दर्यता (सौंदर्य या सुंदरता) आदि।

9. **वचन परिवर्तन में भ्रम** – दवाईयाँ (दवाइयाँ), लकड़ीयाँ (लकड़ियाँ) आदि|

10. **गिनती में भ्रम**– छः (छह), छठवाँ (छठा), सतारह (सत्रह), अठरह (अठारह), चौंतालीस (चौवालीस), नभ्भे (नब्बे) आदि।

11. **स्थान में भ्रम** – चिन्हित (चिह्नित या चिह् नित), शुध् द (शुद्ध या शुद् ध), श्रध् दा(श्रद्धा या श्रद् धा), प्रसिध् द (प्रसिद् ध), बुधि् द-बुदि्ध (बुद् धि) आदि|

12. **अंग्रेज़ी के कारण भ्रम** - बाघ (बाग़), अखबर (अक़बर), कनव (कण्व), करण (कर्ण), विधुर (विदुर), अदित्या (आदित्य), अनन्या (अनन्य), भीमा (भीम), रामा (राम), कृष्णा (कृष्ण), कुतिल (कुटिल), कुरुस (कुरु), सुदहा (सुधा) आदि।

13. **sms की भाषा के कारण भ्रम** – कांद (कांड), डाल-दाल-ढाल, -लोता (लोटा), दर-डर आदि।

14. **कंप्यूटरीकृत वर्तनी में भ्रम** - सच् चाई (सच्चाई), प्रयत् न (प्रयत्न) आदि।

शब्दों में भ्रम के कारण वाक्य भी भ्रमयुक्त बन जाते हैं, जैसे-

काल में बाघ मैं गुम रा ता।

वर्तनी अशुद्धि स्वादिष्ट खीर में एक कंकड़ और रुचिकर मनभावन भोजन में एक बूँद विष के समान है| अतः इस ओर अत्यधिक सजग रहना चाहिए। पड़ोसियों तथा अतिथियों का सम्मान करते-करते अपने माता-पिता का सम्मान करना न भूलें। अपनी भाषा अपनी है। इसका सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। ध्यान रहे, इसके सम्मान में कहीं कोई कमी न आए। शब्द ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही रहे; भ्रम कभी न बने।

■ **डॉ0 सुधा शर्मा 'पुष्प'**
पूर्व वरिष्ठ अध्यापिका
हिंदी विभाग,दिल्ली पब्लिक स्कूल,
राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली

हिंदी की समृद्धि में मातृभाषाओं की भूमिका

प्रतिवर्ष हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह एवं हिंदी पखवाड़ा आदि के माध्यम से हिंदी की स्थिति और अन्य पक्षों को लेकर एक लंबी चर्चा होती है। यह भी सत्य है कि हिंदी आज राष्ट्रीय और वैश्विक फलक पर लगातार मजबूत हो रही है, किंतु हमें यह समझना होगा कि हिंदी की समृद्धि में मातृभाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतवर्ष की विभिन्न भाषाएं व बोलियाँ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, उनमें गहरा संबंध है।

देश में अनेक लोग ऐसे हुए हैं जिनकी शिक्षा-दीक्षा मातृभाषा में हुई, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय और वैश्विक फलक पर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में देश का नेतृत्व किया। स्वामी विवेकानंद मूलतः बंगला भाषी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय और वैश्विक फलक पर भारतवर्ष के वेद और अध्यात्म का संदेश फैलाया। महात्मा गांधी मूलतः गुजराती थे, जिन्होंने ब्रिटेन से वकालत की शिक्षा लेने के बाद राष्ट्रीय और वैश्विक फलक पर समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए खूब काम किया। स्वर्गीय अब्दुल कलाम आजाद मूलतः तमिल भाषी थे। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक स्थान पर हुआ, उनकी प्रारंभिक शिक्षा तमिल में हुई। आज देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानता है। स्पष्ट है कि जब कोई व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र अपनी सनातन परंपराओं,श्रेष्ठ जीवन आदर्शों और मातृभाषा का चिंतन-वंदन करता है तो वह उन्नति की ओर अग्रसर होता है। मातृभाषा आत्मबल की उन्नति करती है। उन्नत आत्मबल वाला व्यक्ति अथवा राष्ट्र ही शिखर पर पहुँचता है। लंबी पराधीनता ने जनसामान्य के आत्मबल को कमजोर किया। विडंबना यह रही की आजादी के बाद कई दशकों तक भी उस टूटे हुए आत्मबल के निर्माण की दिशा में प्रयास नहीं हुए। पिछले कुछ वर्षों में शीर्ष नेतृत्व द्वारा विभिन्न रुपों में आत्मबल निर्माण के प्रयास हुए हैं। मातृभाषा चिंतन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषाओं में शिक्षा की विभिन्न सम्भावनाओं के साथ क्रियान्वित हो रही है। मातृभाषा में व्यवहार और शिक्षा किसी के बहिष्कार से परे स्वयं के स्वीकार की दिशा में जाना है। मातृभाषा वह है जिसे बालक सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है और फिर परिजनों के साथ उसका विकास करता है। इसके लिए उसे किसी प्रकार का अनावश्यक प्रयास नहीं करना पड़ता। सीखने की यह प्रक्रिया प्रतिदिन खाते-पीते, हंसते- रोते निरंतर चलती रहती है। विद्यालय में सीखा हुआ अथवा युवावस्था की बहुत सी बातें व्यक्ति भूल सकता है, लेकिन माँ की लोरियाँ,कहानियाँ और माँ के द्वारा अपनी निज भाषा में दिए गए संस्कार उसे आजीवन याद रहते हैं। इसी निज भाषा की ताकत

को पहचानते हुए ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी की उन्नति शीर्षक व्याख्यान में 1877 में कहा था- “निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल...।” यह वह समय था जब आधुनिकता के नाम पर कुछ लोगों में अंग्रेजी का आकर्षण पैदा हो रहा था। भारतेंदु द्वारा संकल्पित यह निज भाषा हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाएँ ही थी, जिनकी उन्नति के बिना सुख-दुख, ज्ञान-विज्ञान, प्रेम-विवेक, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास और व्यक्तित्व विकास संभव नहीं है। अनेकता में एकता के सूत्र, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास के द्वार निज भाषा की उन्नति से ही जुडते- खुलते हैं। मातृभाषा प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिवार,समाज, प्रदेश और देश से जोड़ती है, उनके बीच समरसता स्थापित करती है। ऋग्वेद में कहा गया है- “माता भूमि पुत्रोंहम् ...। अर्थात् यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। ऐसा ही भाव मातृभाषा में भी विद्यमान है। सन् 1918 में हिंदी साहित्य समिति इंदौर के अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था- “आज अंग्रेजी सर्वव्यापक भाषा है, पर यदि अंग्रेज सर्वव्यापक न रहेंगे तो अंग्रेजी भी सर्वव्यापक न रहेगी। हमें अब अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करके उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए...।” सन् 1946 में उन्होंने हरिजन नामक पत्र में भी लिखा था- “मेरी माँ की भाषा में कितनी ही कमियाँ हों, फिर भी मैं उससे अपनी माता की छाती की तरह चिपटा रहूँगा। वही मुझे प्राणदायक दूध दे सकती है।

भारतवर्ष सनातन ज्ञान परंपरा का केंद्र रहा है। विदेशी दासता के दौर में अनेक रूपों में ज्ञान की इस सनातन परंपरा को नष्ट करने के प्रयास होते रहे। ब्रिटिश दौर में मैकाले की शिक्षा नीतियों ने समूची भारतीय शिक्षा व्यवस्था को भिन्न-भिन्न रूपों में ध्वस्त किया। राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक, वीर परंपरा, संत परंपरा, त्याग, सेवा भाव एवं जीवन मूल्य जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण बातें शिक्षा से अलग हटा दी गई। स्वतंत्र भारत में भी शिक्षा नीतियों में हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा। अंग्रेजी अच्छे ज्ञान और अच्छी शिक्षा का पर्याय बनती चली गई। हमारी शिक्षा नीतियाँ बालक अथवा मनुष्य को एक संसाधन के रूप में देखती रही। वह उसे

पढे चलो बढे चलो
ए
आ
अं
ई
उ
इ
ओ
औ
ऊ
अ
ऐ
अक्षर
अः

अच्छा व्यवसायी और बाजार के अनुरुप तो बनाती रही, किंतु मातृभाषा, परहित का भाव और भारत भाव से वह अधिकांशतः दूर होता चला गया। आज भारतवर्ष भिन्न-भिन्न रुपों में विकास के मार्ग पर अग्रसर है। नया भारत, समर्थ भारत और सशक्त भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यह नितांत आवश्यक है कि मातृभाषा शिक्षा एवं संस्कार का माध्यम बने। युवा भारत मातृभाषा के चिंतन के साथ-साथ उसके वंदन के लिए भी दृढ़ संकल्पित हो। सन् 1886 में एक पत्र में विदेशी विद्वान फ्रेडरिक पिकाट ने लिखा है- “मैं संपूर्ण रुप से जानता हूँ कि जब तक किसी देश में निजभाषा अक्षर सरकारी और व्यवहार संबंधी कामों में नहीं प्रवृत्त होते हैं तब तक उस देश का परम सौभाग्य हो नहीं सकता।” क्या इस प्रकार के विभिन्न वक्तव्यों पर आज गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता नहीं है? ध्यातव्य है कि भारतवर्ष जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। आज भी विभिन्न प्रदेशों में साक्षरता के आंकड़े कम हैं। आज भी शिक्षा एवं साक्षरता की दृष्टि से महिलाओं और आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों की स्थिति चिंताजनक है। आज वर्ष 2022 में भी विद्यालय और महाविद्यालयों से कई बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसका बड़ा कारण अंग्रेजी माध्यम की कठिनता है। विभिन्न अध्ययन एवं शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि बालक अपनी मातृभाषा में अधिक सीखता है और सरलता से सीखता है। मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में काम और मातृभाषा का व्यवहार संपूर्ण साक्षरता की दिशा में भी कारगर सिद्ध हो सकता है। सकारात्मक यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा व्यवस्था में बहुभाषा और मातृभाषा पर केंद्रित है। यह जहाँ एक ओर भारत केंद्रित है वहीं दूसरी ओर बालक केंद्रित भी है। यहाँ “बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति” शीर्षक में लिखा है- “यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा/ मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है... जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/ मातृभाषा/ स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा होगी।” राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं नए भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ विश्वविद्यालयों ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी विषयों को भी हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ाना शुरू किया है। पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती होगी, किंतु संकल्प से उसमें भी सफलता मिलेगी।

मातृभाषा में वह शक्ति है जिसके सहारे बालक नैसर्गिक रूप से ज्ञानात्मक और विकासात्मक अवस्थाओं तक आसानी से पहुँच सकता है। विभिन्न देशों में उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनका व्यवहार उनकी अपनी भाषाओं में ही होता है। मातृभाषा दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेने का समय होना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषाओं के व्यवहार में सम्मान महसूस करें। देशी-विदेशी सभी भाषाओं में ज्ञान का भंडार है, उन्हें सीखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन पहला सम्मान अपनी मातृभूमि और अपनी मातृभाषा के लिए आवश्यक है। मातृभाषा के बिना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नति अधूरी है।

■ **डॉ. अंजु रानी**
लेखक एवं कहानीकार, दिल्ली

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल के साथ)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र को 100% के राज्य/संध राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र को 90% के राज्य/संध राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र को 55% के राज्य/संध राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण	65%	55%	30%
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण आशुलिपि)	100%	100%	100%
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल हैं, की खरीद	100%	100%	100%
11	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	100%	100%	100%

Annual Programme for 2024-25 for use of Hindi

S.NO.	DETAILS OF WORK	‘A’ REGION	“‘B’ REGION	‘C’ REGION
1	Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)	1. From A to A 100% 2. From A to B 100% 3. From A to C 65% 4. From Region A 100% to Offices/ Individuals in States/ UTs of A&B region	1. From B to A 90% 2. From B to B 90% 3. From B to C 55% 4. From Region B 90% to Offices individuals to States/UTs of A&B region	1. From C to A 55% 2. From C to B 55% 3. From C to C 55% 4. From Region C 55% to Offices individuals to States/UTs of A&B region
2	Letters received in Hindi to be answered in Hindi	100%	100%	100%
3	Noting in Hindi	75%	50%	30%
4	Training Programme through Hindi Medium	70%	60%	30%
5	Recruitment of employees utilized for Hindi Typing & Stenographers	80%	70%	40%
6	Dictation in Hindi/Direct Typing o Key-Board (self and by the Assistant)	65%	55%	30%
7	Hindi Training (Language, Typing/ Stenography)	100%	100%	100%
8	Preparatino of Billingual Training Material	100%	100%	100%
9	Expenditure for the purchase of Hindi books etc., incljuding digital material i.e., Hindi e-books, CD/DVD, Pen Drive inclduing amount incurred on translation in Hindi from English and regional Languages out of the total Library grant excluding journals and standard reference bookds	50%	50%	50%
10	Purchase of all electronic equipment including computers having billingual i.e. Hindi and English working facility	100%	100%	100%
11	Website bilingual	100%	100%	100%
12	Citizen Charter and display of Public interface information board bilingual	100%	100%	100%

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
13	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अघिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति	वर्ष में 2 बैठकें		
	ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन	(वर्ष में 2 बैठकें प्रति छमाही एक बैठक)		
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन	(वर्ष में 4 बैठकें प्रति तिमाही एक बैठक)		
15	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	40%	30%	30%
		(न्यूनतम अनुभाग) सार्वजनकि क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40% "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।		

S.NO.	DETAILS OF WORK	‘A’ REGION	“‘B’ REGION	‘C’ REGION
13	(i) Inspectin by Ministries/Department/ Offices of their offices located outside their Headquarters by the officers (DS/JS) and officers of OL sections. (% of Offices)	25% (minimum)	25% (minimum)	25% (minimum)
	(ii) Inspections of sections at Headquarters	25% (minimum)	25% (minimum)	25% (minimum)
	(iii) Joint inspections by the officers concerned &U those of the Departments of Official Language of Foreign based Undertakings/Offices etc., owned or controlled by the Central Governments	At least one inspection in a year		
14	Meetings regarding Official Language			
	(A) Hindi Salahakar Samiti	02 meetings in a year		
	(B) Town Official Language Implementation Committee	02 meetings in a year (One meeting in every six months)		
	Official Language Implementation Committee	04 meetings in a year (one meeting in every quarter)		
15	Translations of Code, Manual, Forms, Procedural literrature	100%	100%	100%
16	Sections of the Ministries/Departments/ Offices/Banks/Undertaings where entire work to be done in Hindi.	40%	30%	30%
		(Minimum Sections) 40% in ‘A’ Region, 25% in ‘B’ Region and 15% in ‘C’ Region work may be done in Hindi for thsoe Public Sector Undertakings/ Corporations where there is no concept fo sections.		

काश...

काश तुम भी साथ होते
हम यूं ही तन्हा न होते
मौसमों की मार और
दर्द सारा हम ही लेते
काश तुम भी साथ होते।

दौड़ती भागती जिंदगी में
साथ तुम्हारा हम ही देते
भीड़ होती पास फिर भी
दरिया दिल तो हम ही होते
काश तुम भी साथ होते।

आ भी जाओ लौटकर जो
इंतजार में हम गुम ना होते
साथ होते काश तुम जो
हम यूं ही तन्हा न होते
काश तुम भी साथ होते
काश तुम भी साथ होते।।

■ **ज्ञानस्वरूप ठाकुर**
उप प्रबंधक वित्त, हडको

आत्मनिर्भर नारी

कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता हैं कि मैं कौन हूँ मेरा वजूद क्या हैं? मैं क्या थी और मैं क्या हूँ और क्या हो गई ?

ये चंद शब्द मेरे कानों में और मस्तिष्क में हमेशा से घूमते रहते थे।

एक दिन मैं अपनी कार लेकर ऑफिस से घर की तरफ जा रही थी, अचानक मैंने देखा कि लाजपत नगर की लाल बती पर एक महिला ऑटो रिक्शा चला रही हैं तब मैंने सोचा कि जहाँ केवल पुरुष ही ये काम किया करते थे वही काम आज महिलाएं भी अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए बखूबी कर रही हैं वो भी बहुत साहस से, चेहरे पर बिना किसी शिकन या थकन के, ये सोचते सोचते मैं आगे बढ़ी और मैंने अपनी कार पेट्रोल पम्प पर रोंकी। मैंने अपनी कार में पेट्रोल भरवाया और वहां भी मेरी नजर अचानक थम सी गई। मैंने देखा कि पेट्रोल पम्प पर एक औरत ने ही मेरी कार में पेट्रोल भरा उसको देखकर मेरे में और हिम्मत आई कि आज पेट्रोल पम्प पर भी महिलाएं काम करने लगी हैं इसी सोच के साथ में घर कि और रवाना हो गई तभी मेरी कार लाल बती पर रुकी और ग्रीन लाइट होते ही मेरी नजर लेडी ट्रैफिक पुलिस पर पड़ी जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैफिक का संचालन कर रही थी। तब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि आज एक महिला किसी पुरुष से कम नहीं। वो आज पुरुषों से कदम से कदम मिलाकर उनसे भी बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई हैं और जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। आज एक औरत इस समाज में एक माँ, एक बहन और एक पत्नी का फर्ज बखुबी अदा कर रही है आज एक महिला इस समाज में बहूत आगे जा चुकी हैं एक डॉक्टर, पायलट, इंजिनियर, सेना, मेट्रो अन्तरिक्ष विज्ञानिक के तौर पर नई ऊँचाईयों तक पहुच चुकी हैं और समाज में एक बहूत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं ये शक्ति ही तो हैं जो एक नारी को कुदरत से जन्म से मिली हुई हैं और इस समाज को और सम्पूर्ण जगत को नारी की इस शक्ति का सम्मान करना चाहिए।

■ **आशा कुनाल भगत**
हिंदी नोडल अधिकारी
हडको

गणतन्त्र दिवस – मेरा अनुभव

"आदि हूँ, में अंत हूँ, में प्रारंभ हूँ, में अनंत हूँ, मैं संगीत हूँ, मैं नृत्य हूँ
मेरे बिना अधूरे हो तुम, मैं भारत के विकास की प्रहरी हूँ...
मैं शक्ति हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं हर चेहरे की मुस्कान हूँ, मैं हर घर का कल्याण हूँ,
मैं अमृत काल का अमृत हूँ, मैं अमृत काल के हवन का कृत्य हूँ,
हाँ, मैं नारी हूँ, विकसित भारत की बराबर की भागीदारी हूँ ...."

भारत को अपने हृदय में संजोए, देश की प्रगति में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष योगदान देने वाले, देश के कोने कोने से आये तमाम भारतवंशियों को, जो आज अपने आप को गौरवान्वित व रोमांचित महसूस कर रहे हैं, 75वें गणतंत्र की शुभकामनाएं...."

यह शब्द देश की राजधानी के हृदय पथ से, भव्य पथ अर्थात् कर्तव्य पथ से उद्घोषित हो रहे थे। अवसर था, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस की परेड का, जिसका थीम था - विकसित भारत और विकसित भारत की विकसित नारी। इस बार नारी शक्ति के सर्वस्व, सर्वत्र, कुशल नेतृत्व के परचम, राष्ट्र निर्माण, भारत के गौरव की गाथा में नारी के अद्भुद सहयोग का, साक्षी बनने का पल था।

आईये, अब आपको इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी से अवगत करवाती हूँ। **मौका था हमारे 75वें गणतंत्र दिवस का** इस वर्ष आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सरकार की विभिन्न लाभकारी व कल्याणकारी योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्व-निधि योजना इत्यादि, के कई लाभार्थियों को भारत के विभिन्न राज्यों से गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, जो की हडको का प्रशासनिक मंत्रालय है, द्वारा हडको को इन लाभार्थियों की देख-रेख हेतु कार्य सौंपा गया। इसी कार्यक्रम के सुचारु आयोजन के लिए मेरे साथ-साथ, हडको के कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। सभी अधिकारियों को विभिन्न राज्यों से आने वाले मेहमानों की उचित देखभाल करने के उद्देश्य से, अलग अलग ग्रुपों में विभाजित किया गया, मुझे झारखण्ड राज्य से आने वाले पी एम ए वाई (PMAY) एवं नगर निगम (MUNCIPAL CORPORATION) के लाभार्थियों की आवभगत हेतु कार्य सौंपा गया। इन सभी लाभार्थियों के उनके गंतव्य स्थान से आने-जाने के लिए उचित यातायात की व्यवस्था, उत्तम होटलों में ठहरने की व्यवस्था, बढ़िया खान-पान की व्यवस्था, तथा उन सभी को गणतंत्र दिवस की परेड दिखाने इत्यादि के समस्त प्रबंध हडको द्वारा उच्च स्तर पर किए गए।

26 जनवरी अर्थात् गणतंत्र दिवस के दिन सुबह 5 बजे सभी अतिथियों को उनके होटल से मेट्रो द्वारा राजीव चौंक मेट्रो स्टेशन ले जाया गया, जिसके लिए मेट्रो-पास/टिकेट का प्रबंध भी हडको द्वारा किया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर, पुलिस द्वारा कई चरणों पर कड़ी चेकिंग के पश्चात्, कर्तव्य-पथ पर पहुँच कर, सभी लाभार्थियों को उनके लिए, मंत्रालय द्वारा आरक्षित स्थानों पर बिठाया गया, सभी मेहमानों से बात करने पर ज्ञात हुआ कि गणतंत्र दिवस की परेड देखने का उनका यह पहला मौका था, जिसके लिए वे अत्यंत उत्साहित दिख रहे थे।

इससे पहले कि गणतंत्र दिवस की परेड के आगे के द्रश्य का वर्णन किया जाये, आइये आपको कर्तव्य पथ की एक झलक से अवगत करवाती हूँ। सलामी मंच के सामने केसरिया, श्वेत व हरे रंग से भारत का मानचित्र उकेरा गया था तथा फ़ूलों की पंखुड़ियों से लिखा गया था- समृद्ध भारत, सशक्त भारत.

शंख नाद के साथ परेड का आरम्भ हुआ। महामहिम माननीय राष्ट्रपति मुर्मू के साथ, भारत द्वारा आमंत्रित फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमेनुअल मैक्रोन, की बग्गियो के काफिला को कर्तव्य पथ पर देखते ही सभी स्तब्ध रहे गए। उसके बाद माननीय गृह मंत्री, तदोपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी व अन्य गणमान्य अतिथि भी सलामी मंच के स्थान पर पहुंचे।

परेड का प्रारंभ फ्रांस के 30 कलाकारों के बैंड से हुआ जिनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा लगा, परमवीर चक्र विजेता, अशोक चक्र से सम्मानित बच्चे, भारत की उचित सामयिक शक्ति का प्रदर्शन. पहली बार रोमांच से सराबोर, आकर्षक परिधानों में, असाधारण तीव्रता, देश के प्रति समर्पण, कर्तव्यपरायणता और अनुशासन के साथ, जल, थल और वायु सेना के महिला दस्ते, कदम से कदम मिलकर मार्च करते दिखाई दिए। आकर्षक परिधानों में हिम वीरांगना, भारत-तिब्बत सीमा बैंड, आई टी बी पी का महिला बैंड, सीमा सुरक्षा बैंड, शांति, सेना और न्याय के मोटो के साथ, दिल्ली पुलिस का बैंड, कर्तव्य पथ जहाँ गिद्दा करती मुटियार के साथ थिरका, तो वहीं, मोटरसाइकिल पर हैरतअंगेज साहसिक करतब करती महिला शक्ति के साथ गरजा। उसके पशचात रोमांच, उत्साह, उमंग से भरपूर बीएसएफ, सी आर पी एफ़ के महिला दस्ते ने कर्तव्य पथ पर उपस्थित सभी भारतियों को स्तब्ध कर दिया। शुन्य के आविश्कार से डिजिटल विश्व में छलांग, पंचागों के खगोलीय गणित से चन्द्रमा की सफलता, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतियों का सम्मानजनक रुतबा, विश्व शक्ति की डगर पर बढते कदम, शौर्य संतुलन की मिसाल – नारी शक्ति का अद्धुद योगदान।

मंत्रमुग्ध कर देने वाली देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता और प्रगति को प्रदर्शित करती, विभिन्न राज्यों, केंद्र

शासित प्रदेशों, मंत्रालयों व विभागों की मनमोहक झांकियां कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने से गुजरीं। राम की झाँकी, डिजिटल झाँकी, विदेश मंत्रालय की झाँकी, जी 20- वासुदेव कुटुम्बकम् की झाँकी, डी आर डी ओ की झाँकी, जिसमें रक्षा, भूमि, वायु, समुद्र की प्रहरी, मिसाइल, इत्यादि के क्षेत्र में महिलाओं के प्रयास व उनकी भागीदारी को दर्शाया गया। महिलायों द्वारा ऊर्जा से संचालित विकसित भारत की संकल्प यात्रा को देख हम सव रोमांचित हो उठे. भारतीय नौसेना की झाँकी में भी सभी भूमिकाओं और रैन्क्स में नारी शक्ति का प्रवेश। सच में, वहाँ उपस्थित जन समूह रोमांचित, गर्मजोशी से सराबोर था।

राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत 1500 नृत्यांगनाओं के नृत्य प्रदर्शन ने वहां उपस्थित सभी दर्शाकगणों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिनका सन्देश था – एक भारत, श्रेष्ठ भारत. इसमें एनसीसी, एनएसएस, विदेश मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय के महिला कलाकारों द्वारा मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, मणिपुरी, उडीसी, कत्थक इत्यादि का प्रदर्शन किया गया।

अंत में, वायु विचलन करते उन्नत विमान, कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित भारतीय सेना के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन. वास्तव में भारत की उन्नति और प्रगति और सम्रद्ध सांस्कृतिक विरासत की, मैं, आज इस कर्तव्य पथ से साक्षी बनी. ऐसे पलों में हम संकल्प लेते हैं कि "हे वन्दनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, हे न्याय बंधु, निर्भय निर्बंधनिय भारत, पानी पल्लव, अल्चनिय भारत, नूरा, मर्मत्व सारा तुझ में समां रहा है, भारत हमारा कैसा सुन्दर सुहा रहा है, भारत हमारा कैसा सुन्दर सुहा रहा है.....

सभी लोगों में उत्साह था. सभी इस पल को जी लेना चाहते थे. इस पल को यादों में बसा लेना चाहते थे. परेड समाप्त होने के बाद, प्रधानमंत्री जी सभी दर्शकों से मिलने लगे. दर्शक अपना हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री जी का अभिवादन कर रहे थे व प्रधानमंत्री जी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे. हमारे लाभार्थी माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्य व अपने अतिथि थे. प्रधानमंत्री जी ने उन देशवासियों का सम्मान किया, जिन्होंने कर्तव्य पथ के निर्माण का कार्य किया था. प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये देशवासी हैं, आम जन हैं, ये देश सेवा करते हैं. तो जनभागीदारी को बढावा देते हुए अपने मेहमान के तौर पर इन्हें बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि जब भी विजय का समय होता है, विनय का भी होता है. सच यह परस्पर प्रगाढ़ और स्नेह के पल थे.

इस विशेष दिन का हिस्सा बनने के लिए, मै, हडको का आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने मुझे मेरे जीवन में पहली बार गणतन्त्र दिवस का, कर्तव्य पथ से, साक्षी बनने का मौका दिया।

ये मेरे लिए कभी न भूलने वाले पल थे। खैर, परेड समाप्त होने के बाद हम अपने सभी लाभार्थियों के साथ होटल वापिस आ गए। अगले दिन, सभी मेहमानों को प्रधानमंत्री संग्रहालय, सफदरगंज टोम्ब व तालकटोरा स्टेडियम भ्रमण के लिए ले जाया गया। भारत के माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी जी सहित, कई उच्च स्तरीय पदाधिकारियों ने सभी लाभार्थियों से भेंट की। उनको भारत सरकार से मिलने वाली सभी लाभकारी योजनाओं से अवगत करवाया गया और भविष्य में भी कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वित होने का आश्वासन दिया गया, सभी लाभार्थी, मंत्री जी से साक्षात्कार कर अत्यंत खुश हुए। उन्होंने माननीय मंत्री जी को यह भी बताया कि सरकार की इन सभी लाभकारी योजनओं से उनके जीवन का स्तर काफी सुधर गया है. आज स्वनिधि योजना से, अपने लघु रोजगार को शुरु कर, एक सुखद जीवन यापन कर रहे हैं. उज्ज्वला योजना से

उनके रहने का स्तर सुधर गया है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना से कई लोगों को पक्के मकान मिल रहे हैं. सभी लाभार्थियों ने हृदय से माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आभार प्रकट किया तथा सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर उन सबको दिल्ली बुलाकर परेड दिखाने के लिए व उन सभी के लिए आने जाने, रहने इत्यादि की उत्तम सुविधाएँ देने हेतु भी धन्यवाद दिया।

कार्यक्रम के अंतिम दिन, सभी लाभार्थी मेहमानो को उनके गन्तव्य स्थानों पर पहुँचने हेतु, रेलवे स्टेशन, एअरपोर्ट, बस अड्डों पर समयानुसार पहुंचा दिया गया। इस प्रकार हमारी ड्यूटी सफलतापूर्वक पूरी हो गई।

SPECIAL AWARD FOR TEAM EFFORTS
TEAM Republic Day

हडको के वार्षिक समारोह में, हम सभी अधिकारियों को, इस कार्यभार को संतुष्टि व सफलता पूर्वक निभाने हेतु बहुत ही सुन्दर ट्राफी व एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गय। हडको द्वारा इस कार्य हेतु मुझे सक्षम समझने के लिए, मैं हडको का धन्यवाद देना चाहूंगी। सच, ये मेरे जीवन की सुखद स्मृति व अत्यंत ही यादगार अनुभव रहेगा...

■ अनिता ग्रोवर
वरिष्ठ प्रबंधक,प्रशासन
हडको

जीवन में खेलों का महत्त्व

वर्तमान जीवनशैली में आज मनुष्य जब अनेक रोगों से ग्रस्त हो रहा है। ऐसे समय में खेलों का महत्त्व स्वयमेव स्पष्ट हो जाता है। खेलों द्वारा न केवल हमारी दिनचर्या नियमित रहती है बल्कि ये हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, मोटापा तथा हृदय रोग जैसी बीमारियों की संभावनाओं को भी न्यून करते हैं। इसके अतिरिक्त, खेल द्वारा हमें स्वयं को चुस्त-दुरुस्त रखने में भी मदद मिलती है, जिससे हम अपने दायित्वों का निर्वहन सक्रियतापूर्वक कर पाते हैं।

“मैंने वाटरलू के युद्ध में जो सफलता प्राप्त की उसका प्रशिक्षण ईटन के मैदान में मिला।”

नेपोलियन को पराजित करने वाले एडवर्ड नेल्सन की यह पंक्ति खेल के महत्त्व को बयां करने के लिये पर्याप्त है। खेल न केवल हमें स्वस्थ रहने में योगदान देकर सक्षम बनाते हैं बलकि वर्तमान युग की संकीर्णता वादी सोच के विरुद्ध हमें निष्पक्ष, सहिष्णु तथा विनम्र बनाकर एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में बदलते हैं। खेलों की महत्ता को दुनिया के प्रत्येक समाज व सभ्यता में स्वीकृति मिली है। रामायण, महाभारत से लेकर ग्रीको-रोमन दंत-कथाओं में होने वाले खेलों का जिक्र इस बात का प्रमाण है। पुनः ओलंपिक की प्रारंभिक शुरुआत यह स्पष्ट करती है कि खेलों को संस्थानिक महत्त्व मिलता रहा है।

एक अच्छा जीवन जीने हेतु अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत जरुरी है। जिस प्रकार शरीर को अच्छा और स्वस्थ रखने के लिये व्यायाम की आवश्यकता होती है उसी प्रकार खेलकूद का भी स्वस्थ जीवन हेतु अत्यधिक महत्त्व है। खेल, बच्चों और युवाओं के मानसिक तथा शारीरिक विकास दोनों ही के लिये अति आवश्यक है। नई पीढ़ी को किताबी ज्ञान के साथ-साथ खेलों में भी रुचि बढ़ाने की जरूरत है।

परंपरागत रुप से भारत के मध्यम वर्ग की धारणा रोजगार के लिहाज से खेलों के प्रति नकारात्मक रही है। खेलकूद को मनुष्य के बौद्धिक विकास व रोजगार प्राप्ति में बाधक मानते हुए कहा जाता था कि, “पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे तो होगे खराब।” परंतु बदलते समय के साथ यह साबित हो गया कि खेल मनुष्य के विकास में बाधक नहीं वरन् सहायक हैं। बगैर शैक्षणिक उपलब्धि के भी सचिन तेंदुलकर द्वारा अर्जित यश, सम्मान, धन लोकप्रियता आदि इस बात के सुंदर उदाहरण हैं। सचिन तेंदुलकर द्वारा देश का सर्वोच्च सम्मान ‘भारत रत्न’ प्राप्त करना, वर्तमान परिदृश्य में खेलों की महत्ता को दर्शाता है। आज सचिन ही नहीं बलकि सुशील कुमार, सानिया मिर्ज़ा, अभिनव बिन्द्रा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम व महेंद्र सिंह धोनी जैसे नामों ने सफलता व समृद्धि एवं शान और शौकत के जो आयाम गढ़े हैं, उसके समक्ष संस्थागत शिक्षा का प्रश्न गौण हो जाता है।

सरकार खेल में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित करती है, अर्जुन एवं द्रोणाचार्य जैसे पुरस्कार इसी श्रेणी के खेल रत्न पुरस्कार है जो भारत में खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु सरकार द्वारा खिलाड़ियों और गुरुओं को प्रदान किये जाते हैं। हमारे देश की कई महिलाओं जैसे- पी.टी. उषा, मैरी कॉम, सायना नेहवाल एवं सानिया मिर्ज़ा ने दुनिया भर में खेल में काफी नाम कमाया है और देश को गौरवान्वित किया है। खेलों को भारतीय संस्कृति एवं एकता का प्रतीक भी माना जाता है। खेल हमारी प्रगति को सुनिश्चित कर जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। आज सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में खिलाड़ियों के लिये नौकरियाँ पाने के कई अवसर है। रेलवे, एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, ओ.एन.जी.सी., आई-ओ-सी- जैसी सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ टाटा अकादमी, जिंदल ग्रुप जैसे निजी समूह भी खेलों व खिलाड़ियों के विकास व प्रोत्साहन हेतु प्रतिबद्ध है। इसके अलावा आई.पी.एल., आई.बी.एल., एच.सी.एल., जैसी लीगों तथा स्थानीय क्लबों के स्तर पर भारी निवेश ने खिलाड़ियों के विकल्प को बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें बेहतर मंच व अवसर उपलब्ध कराया है। इसे देखते हुए अब कहा जा सकता है कि - **“खेलोगे-कूदोगे तो बनोगे नवाब।”**

इससे यह स्पष्ट होता है कि खेल से न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि रोजगार एवं यश तथा सम्मान भी प्राप्त होता है। खेल द्वारा राजनैतिक लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। कई देशों में

यह देखने में आया है कि खेलों का अप्रत्यक्ष रूप से संबंध देश के विकास से भी होता है। वर्तमान समय में लोगों के खेलों के प्रति नजरिये में काफी बदलाव आया है। खेल हमें विभिन्न प्रकार से शिक्षित भी करते हैं, इससे मानवीय मूल्यों का विकास होता है साथ ही खेलों द्वारा सामूहिक चेतना का भी विकास होता है क्योंकि खेल की मूल भावना यही होती है कि अकेले नहीं बल्कि समूह में खेलना, खेल द्वारा नेतृत्व करने की कला का भी विकास होता है, खेल से रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिलता है।

खेलों के संदर्भ में अगर नकारात्मक पहलू की बात की जाए तो आज के समाज में मनोरंजन के नए साधनों और कॅरियर की भाग-दौड़ ने खेल के मैदानों में होने वाली भाग-दौड़ को कम कर दिया है। बच्चे हों या युवा, लगातार मोबाईल पर गेम खेलना या सोशल साइट्स पर घंटों समय व्यतीत करना आज लोगों की आदत बनती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप युवा और छात्र आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेल के मैदानों से गायब ही रहता है।

इस प्रकार तमाम वजहों से खेल अपनी उच्च भावना और उद्देश्यों के साथ लोगों के बीच पहुँच ही नहीं पा रहा हैं। वहीं वर्तमान युग के नए खेल व मनोरंजन के तरीके अपनी प्रकृति के अनुरूप लोगों में एकाकीपन तथा मानसिक तनावों को जन्म दे रहे हैं।

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में खेलों का महत्त्व निर्विवाद है। ये न केवल जीवन में गति व लय का संचार करते हैं, बल्कि हमें जीवन का महत्त्वपूर्ण पाठ भी पढ़ाते हैं।

■ मयंक मोहन
प्रशिक्षु

राजभाषा उत्कर्ष योजना: वर्ष 2023 में पुरस्कृत विजेता

हडको में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा उत्कर्ष योजना विद्यमान है जिसके अंतर्गत हिन्दी में सरकारी कामकाज करने के लिए योजना के अंगों के अंतर्गत नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। इस योजना में कैलेण्डर वर्ष के आधार पर पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। हिन्दी पखवाडा के दौरान विजेताओं के नाम घोषित किए गए तथा उन्हें अध्यक्ष महोदय की ओर से प्रमाणपत्र देते हुए पुरस्कार राशि जारी की गई। पुरस्कार वितरण संबंधी सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से हैः-

राजभाषा उत्कर्ष योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं की सूची

हिन्दी टिप्पण लेखन योजना

क्रम सं.	कार्मिक का नाम व पदनाम (सर्वश्री/सुश्री)	कर्मचारी कोड सं.	मुख्यालय/ कार्यालय	प्राप्त पुरस्कार	प्राप्त पुरस्कार की राशि
1	अरविन्द कुमार नारंग, प्र. (आईटी)	4295	मुख्यालय	प्रथम	5000/-
2	धरित्री मेधी, उप प्र. (वित्त)	4151	गुवाहाटी	प्रथम	5000/-

हिन्दी पत्राचार योजना

क्रम सं.	कार्मिक का नाम व पदनाम (सर्वश्री/सुश्री)	कर्मचारी कोड सं.	मुख्यालय/ कार्यालय	प्राप्त पुरस्कार	प्राप्त पुरस्कार की राशि
1	अशोक कुमार लालवानी, संयु. म.प्र. (वित्त)	4265	देहरादून	प्रथम	5000/-
2	मोनिका शांतैया, उप प्र. (वित्त)	4653	रायपुर	प्रथम	5000/-

हिन्दी ई-मेल लेखन योजना

क्रम सं.	कार्मिक का नाम व पदनाम (सर्वश्री/सुश्री)	कर्मचारी कोड सं.	मुख्यालय/ कार्यालय	प्राप्त पुरस्कार	प्राप्त पुरस्कार की राशि
1	अरविन्द कुमार नारंग, प्र. (आईटी)	4295	मुख्यालय	प्रथम	2000/-
2	बलराम सिंह चौहान, प्र. (आईटी)	4330	देहरादून	प्रथम	2000/-
3	मोहम्मद अली खान, उप प्र. (आईटी)	4734	रायपुर	प्रथम	2000/-
4	राणा मोसाहारी, वरि. प्र. (सचि.)	4386	गुवाहाटी	प्रथम	2000/-

पारंगत परीक्षा में उत्तीर्ण

क्रम सं.	कार्मिक का नाम व पदनाम (सर्वश्री/सुश्री)	कर्मचारी कोड सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	प्राप्त पुरस्कार	प्राप्त पुरस्कार की राशि
1	मधुकर उगेमुगे, क्षेत्रीय प्रमुख (प्रभारी)	4624	भुवनेश्वर	प्रथम	10000/-
2	फागु चरण मुर्मू, सहायक महाप्रबंधक (सचि.)	1053	भुवनेश्वर	तृतीय	4000/-
3	आशीष गोयल, वरि. प्रबंधक (प्रशा.)	4697	चंडीगढ़	प्रथम	10000/-
4	गौरव शर्मा, प्रबंधक (प्रशा.)	4556	चंडीगढ़	प्रथम	10000/-
5	अरविंदर शर्मा, वरि. प्रबंधक	4642	चंडीगढ़	द्वितीय	7000/-

हिन्दी लॉग बुक लेखन योजना

क्रम सं.	कार्मिक का नाम व पदनाम (सर्वश्री/सुश्री)	कर्मचारी कोड सं.	मुख्यालय/ कार्यालय	प्राप्त पुरस्कार	प्राप्त पुरस्कार की राशि
1	कुलदीप मान, वरि. ड्राईवर	4688	मुख्यालय	प्रथम	2000/-
2	कैलाश चन्द मीना, वरि. ड्राईवर	4632	मुख्यालय	प्रथम	2000/-
3	जगवीर सिंह, वरि. ड्राईवर	4634	मुख्यालय	प्रथम	2000/-
4	राजकुमार, वरि. ड्राईवर	4692	मुख्यालय	प्रथम	2000/-
5	कृष्णादास मानिकपुरी, वरि ड्राईवर	4660	रायपुर	प्रथम	2000/-

राजभाषा कीर्तिमान पुरस्कार

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	प्राप्त पुरस्कार
1	देहरादून	प्रथम
2	तिरुवनंतपुरम	प्रथम

मेधावी प्रतिभा योजना

क्रम सं.	कार्मिक का नाम व पदनाम (सर्वश्री/सुश्री)	कर्मचारी कोड सं.	तैनाती का स्थान	छात्र/छात्रा का नाम	प्राप्त पुरस्कार	प्राप्त पुरस्कार की राशि
1	मनोज वसंत देवधर, म.प्र. (वित्त)	4244	मुख्यालय	हर्ष देवधर	प्रथम	5000/-
2	विजेन्द्र देव पुरी, वरि. प्र. (सचि.)	4506	मुख्यालय	यशसवी पुरी	प्रथम	5000/-
3	मंजु कपूर, वरि. प्र. (सचि.)	4539	मुख्यालय	चिन्मय कपूर	प्रथम	5000/-
4	डौली जोशी, प्र. (आईटी)	4384	मुख्यालय	देवांश जोशी	तृतीय	2000/-
5	कीर्ति बंजारे, उ.प्र. (प्रशा.)	4644	रायपुर	आयुष कुमार बंजारे	द्वितीय	3000/-
6	के. एम. चंदा, क्षेत्रीय प्रमुख	4619	गुवाहाटी	कृतिका चंदा	प्रथम	5000/-
7	प्रीति सी. एस., संयु .म.प्र .(विधि)	4487	तिरुवनंतपुरम	अमन कृष्णा एस	प्रथम	5000/-

डौली जोशी
प्रबंधक, आईटी
हडको

कंप्यूटर का जादू

कागजों की भीड़ में खोया था मन,
हर कागज ने किया त्रासदी का वर्णन।
पहले फाइलें ढेरों होती थीं,
काम में बहुत देरी होती थी।

अब आया कंप्यूटर का ज़माना,
हर काम हुआ सहज, हर चीज़ है आसान।
न समय की बर्बादी, न कागज की भीड़,
कंप्यूटर ने सबको नई राह की पहचान दी|

बस एक क्लिक में संसार समेटा,
पुरानी धूल से मुक्त हुआ डेटा।
कंप्यूटर से हर काम हुआ चुटकी में,
हर मुश्किल अब सुलझी पलभर में।

आसान हुआ अब सबका काम,
टेक्नोलॉजी से जुड़ा हर इंसान।
अब हमारा ऑफिस हुआ स्मार्ट,
कंप्यूटर ने दिया हर काम को नया स्टार्ट।

कंप्यूटर के संग चला अब संगठन,
हर काम होगा जल्दी, सत्य है कथन।
अब कोई गलती नहीं, सब काम पक्का,
कंप्यूटर ने कर दिया सब कुछ सच्चा।

नई सोच, नई उमंग,
संस्था में आया प्रगति का रंग।
कंप्यूटरीकरण से मिला नया आधार,
संस्था का भविष्य अब हुआ साकार।

■ **हेमलता शर्मा**
संयुक्त महा प्रबंधक, आईटी
हडको

सावन महीने का महत्व

श्रावण मास का प्रत्येक दिन बेहद फलदायी है, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार के दिन विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत करता है उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही, उस व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की कमी भी नहीं रहती है।

इस साल 4 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी समाप्ति 31 अगस्त को होगी। हिन्दू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है और ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में सावन के दिनों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है और भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र, चंदन, शहद आदि अर्पित किये जाते हैं। माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं।

इस महीने का विशेष महत्व क्यों है।

दांपत्य जीवन: सावन के महीने में पति-पत्नी को साथ मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से दांपत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होते हैं।

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से

अभिषेक करें। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती को केसर से बनी खीर का भोग लगाएं। इससे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है।

मनोकामना पूर्ति: सावन के महीने में प्रतिदिन 11 व 21 बिल्वपत्रों पर चंदन से 'ॐ नम: शिवाय' लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसे मान्यता है कि इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।

रोजगार-कारोबार: सावन के किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी की पायल चढ़ाएं। इससे नौकरी व व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं और इसमें तरक्की होती है।

श्रावण मास में भगवान शिव के जुड़े कुछ उपायों से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामना पूर्ण होती है।

मंजू बाला
प्रबंधक, आई टी
हडको

हमारे बुजुर्ग

बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान, हमारे समाज की धरोहर हैं, हम उन्हें छोड़कर इतिहास बोध से कट जाते हैं और इतिहास बोध से कटे समाज जड़ों से टूटे पेड़ जैसे सूख जाते हैं। जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता उस परिवार में सुख, संतुष्टि और स्वाभिमान नहीं आ सकता।

हमारे पालन-पोषण, विकास और कल्याण के लिए हमारे बुजुर्ग अपना सर्वस्व दान कर देते हैं। यदि हम परिवार में स्थायी सुख, शांति और समृध्दि चाहते हैं तो परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करें, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि समाज में निरंतर हो रहे परिवर्तन से कभी हमारे परिवार की शान कहे जाने वाले हमारे बड़े-बुजुर्ग आज परिवार में अपने ही अस्तित्व को तलाशते नजर आ रहे हैं। तिनका-तिनका जोड़कर अपने बच्चों के लिए आशियाना बनाने वाले ये पुरानी पीढ़ी के लोग अब खुद आशियाने की तलाश में दरबदर भटक रहे हैं।

पके हुए अंगूर जब किशमिश बन जाते है उनकी कीमत चार गुना हो जाती है। ज्ञान , सूझबूझ और जीवन के सुख दुख के धूप से सिके हुए बुजुर्गों के अनुभव सेहत के लिए कितने लाभकारी है बिल्कुल स किशमिश की तरह

बुजुर्गों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। वे हमारे परिवार और समाज की रीढ़ हैं, और हमारे जीवन को अनेक प्रकार से समृद्ध करते हैं। जैसे:

1. **ज्ञान और अनुभव का भंडार:** बुजुर्गों के पास जीवन का खजाना होता है। । वे हमें जीवन जीने के तरीके, चुनौतियों का सामना करने, और सही निर्णय लेने के बारे में सिखा सकते हैं।
2. **स्नेह और मार्गदर्शन का स्रोत:** बुजुर्ग हमेशा हमारे लिए स्नेह और समर्थन का स्रोत होते हैं। वे हमें बिना शर्त प्यार करते हैं और हमारी सफलता के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैंऔर हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करते हैं।
3. **सांस्कृतिक मूल्यों का वाहक:** बुजुर्ग हमारी संस्कृति और परंपराओं के वाहक होते हैं। वे हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और हमें अपनी संस्कृति के बारे में सिखाते हैं।
4. **समाजिक स्थिरता का आधार:** बुजुर्ग समाज में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे युवा पीढ़ी को नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सिखाते हैं।

माता-पिता,
बुजुर्गों के प्रति
सम्मान
सांस्कृतिक तप

5. **प्रेरणा का स्रोत:** बुजुर्ग अक्सर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। उन्होंने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हार नहीं मानी है। वे हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और दृढ़ संकल्प रखना महत्वपूर्ण है।
6. **बड़े-** बुजुर्गों का जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही घर सुरक्षित महसूस होता है।बड़े - बुजुर्गों का घर पर रहने से ही आप बेफिक्र हो जाते हैं कि बच्चे घर पर आराम से होंगे और सुरक्षित भी।

बुजुर्ग हमारे जीवन में रत्न हैं। सभी बुजुर्ग समान नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनूठा अनुभव और दृष्टिकोण होता

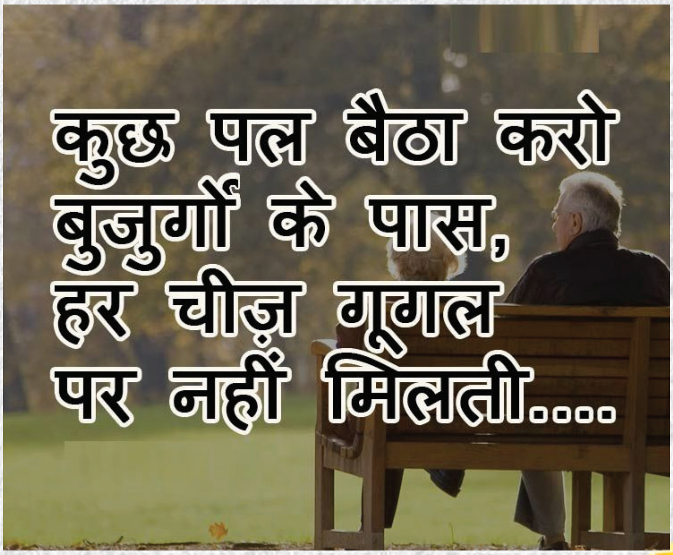

है। हमें सभी बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए, चाहे हम उनकी सभी रायों से सहमत न हों।

मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः- इस पंक्ति को बोलते हुए हमारा शीष श्रद्धा से झुक जाता है और सीना गर्व से तन जाता है। माता पिता हमारे साक्षात ईश्वर है। इसीलिए तो भगवान गणेश ने ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करने की बजाय अपने माता पिता शिव- पार्वती की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य होने का अधिकार हांसिल कर लिया था, किसी जमाने में जिनकी आज्ञा के बगैर घर का कोई कार्य और निर्णय नही होता था। जो परिवार में सर्वोपरि थे। और परिवार की शान समझे जाते थे आज उपेक्षित, बेसहारा और दयनीय जीवन जीने को मजबूर नजर आ रहे है यहां तक कि तथा कथित पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को आधुनिक मानते है , अपने आपको परिवार की सीमाओं में बंधा हुआ स्वीकार नही करते हैं और सीमाऐं तोड़ने के कारण पशुवत व्यवहार करना सीख गये हैं वे अपने माता पिता व अन्य बुजुर्गों को "रुढ़ीवादी", "सनके हुये" तथा "पागल हो गये ये तो" तक का सम्बोधन देने लगे है। तिनका-तिनका जोड़कर आपके लिए आशियाना बनाया और आज आप नये आशियाने के लिऐ उन पर भावनाओं से लबालेज उनके आशियाने को बेच देने का दवाब बना रहे है, वे केवल इसी झूठी आशा के सहारे यह सब करते रहे कि आप कामयाब होगें और उन्हें सुख देंगे और आपकी कामयाबी पर वो इठलाते फिरेंगे।

वृद्धावस्था मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है और हमें उनसे बहुमूल्य शिक्षा प्राप्त होती है। उनका अनुभव हमें सभ्यता, नैतिकता, और धैर्य की सीख देता है। वे अपने जीवन के अनुभवों से हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का मुकाबला कर सकते हैं और खुद को समर्पित रख सकते हैं। कुछ परिवारों में बुजुर्गों को ना तो देवता समझा जाता है और ना ही इन्सानों जैसा व्यवहार किया जाता है बस बुजुर्ग उपेक्षित, बेसहारा और एकान्तवास में रहकर ईश्वर से अपने बूलावे का इन्तजार मात्र करते रहते हैं।

वृद्धों की लगातार बढ़ रही संख्या की वजह से आज सरकार को हर जिले में वृद्धाश्रम खोलने की ज़रूरत महसूस हो रही है। यहां यह बात सोचने पर मज़बूर करती है कि क्या हमारे माता-पिता की ज़िम्मेदारी सरकार की है; हमारा उनके प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं। जब उन्होंने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा तो हम इतने स्वार्थी कैसे हो जाते हैं कि बिना कुछ सोचे- विचारे निःसहाय अवस्था में उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। जबकि हम सब को पता है कि वृद्धावस्था में बुजुर्गों को कई प्रकार की

शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इससे भी कहीं अधिक ज़रूरत, बुढ़ापे में व्यक्ति को भावनात्मक सहारे की होती है। वे चाहते हैं कि घर के अन्य युवा सदस्य उनके साथ बैठें; उनसे सलाह लें; उन्हें समय दें, और जब उन्हें यह सब नहीं मिलता है तो वे अपनी भावनाएँ किसी के साथ साझा नहीं कर पाते और अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। परिवार में अपनी अहमियत को न समझे जाने के कारण वे हताश एवं उपेक्षित जीवन जीने को विवश होते जा रहे हैं।

हालाँकि, यह सच है कि आज भी भारत में बहुत से बुजुर्ग लोक-लाज के डर से अपने बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से हिचकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अपने ही बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे तो परिवार का नाम खराब होगा; जमाना क्या कहेगा; बच्चे हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएँगे इत्यादि। वहीं, कुछ ज़ागरूकता की कमी के चलते चुपचाप बच्चों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को सहते रहते हैं। अगर इस समस्या से निजात पाना है तो हमारे बुजुर्गों को अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी।

युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि वृद्ध व्यक्ति समाज के लिये संपत्ति की तरह हैं, बोझ की तरह नहीं, और इस संपत्ति का लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका अपने माता- पिता को साथ रखे उनके मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखे; तो देश में एक भी वृद्धाश्रम की ज़रुरत नहीं पड़ेगी। हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है वरना कल हम भी किसी वृद्धाश्रम में पड़े होंगे। इसी संदर्भ में युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए दिनेश दिग्गज ने लिखा है-

‘बहुत सेल्फी लेते हो, जरा मुस्कराया करो,
अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो,
अरे जमाने के तजुर्बे गूगल पर नहीं मिलेंगे,
मिले जो वक्त, बुजुर्गों के पास बैठ जाया करो।

वहीं नीचे दी गई ये बेहतरीन पंक्तियाँ भी बुजुर्गों की अहमियत को बखूबी बयां करती हैं-

तू इन बूढ़े दरख्तों की हवाएँ साथ रख लेना
सफ़र में काम आयेंगी दुआएँ साथ रख लेना

इस बात का उल्लेख करना ज़रूरी है कि बुजुर्गों को भी अपनी परंपरागत हठधर्मिता को छोड़ते हुए नई पीढ़ी के युवाओं के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने बेटे-बहुओं के साथ अपनी राय साझा करें, किंतु उन पर अपनी राय थोपें नहीं।

चूँकि यह सामाजिक के साथ-साथ एक भावनात्मक मुद्दा है इसलिए इसका हल केवल सरकार द्वारा बनाए गए कानूनी प्रावधानों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इसके लिये चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही स्कूलों में व घरों में बड़े-बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहने की शिक्षा दी जाए। उनमें नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए। महामारी की तरह फैल रही इस सामाजिक समस्या को आपसी सामंजस्य के ज़रिये ही जड़ से खत्म किया जा सकता है।

■ पूनम गुप्ता
वरिष्ठ प्रबंधक, आई टी, हडको

जलवायु परिवर्तन

जीवन स्तर के विकास के लिए जब भी हम अर्थव्यवस्था या पर्यावरण के प्रतिकूल तरीके अपनाते हैं, तो हम वास्तव में प्रकृति से कुछ ऋण ले रहे होते हैं। यह ऋण बढ़ता रहता है जब तक कि प्रकृति इसे वसूलने नहीं लगती। अंततः जब हम इस प्राकृतिक ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होते जाते हैं, तो प्रकृति वैश्विक तापमान में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि, समुद्र के स्तर में वृद्धि और हिमनदों के पिघलने जैसे उपाय करना शुरु कर देती है।

हाल ही में हुए वायनाड, केरल के लैंड स्लाइडिंग की त्रासदी की कल्पना कीजिए। मृतकों को ले जाते हुए Ambulances की कतारें थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसी अनगिनत खबरें हमें रोज़ मर्रा ही पर्वतीय एवं समुद्री इलाकों से देखने, पढने को मिल रही हैं, जिसके बारे में लगभग हम सभी परिचित हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव

जीवाश्म ईंधन - कोयला, तेल और गैस - वैश्विक जलवायु परिवर्तन में अब तक का सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैं, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 75 प्रतिशत से अधिक और सभी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग 90 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं। जब ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पृथ्वी को ढक लेता है, तो वे सूर्य की गर्मी को फँसा लेते हैं। इससे Global Warming और जलवायु परिवर्तन होता है। दुनिया अब रिकॉर्ड किए गए इतिहास में किसी भी बिंदु की तुलना में तेज़ी से गर्म हो रही है। समय के साथ गर्म तापमान मौसम के पैटर्न को बदल रहा है और प्रकृति के सामान्य संतुलन को बाधित कर रहा है। यह मनुष्यों और पृथ्वी पर जीवन के सभी अन्य रूपों के लिए कई जोखिम पैदा करता है।

तापमान में बढ़ोतरी - हाल के 10-वर्ष की अवधि (2014-2023) के लिए वैश्विक औसत तापमान के आधार पर, पृथ्वी अब पूर्व-औद्योगिक युग (1850-1900) की तुलना में लगभग 1.2°C अधिक गर्म है। 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें वैश्विक औसत सतही तापमान पूर्व-औद्योगिक आधार रेखा से 1.45°C अधिक था। 2011-2020 की अवधि भूमि और महासागर दोनों के लिए रिकॉर्ड पर सबसे गर्म दशक थी।

वास्तव में जलवायु परिवर्तन का समूहों और क्षेत्रों पर अनुपातहीन प्रभाव पड़ता है। आम तौर पर निम्न-आय और हाशिए पर रहने वाले समुदायों तथा विकासशील देशों में रहने

वाली असुरक्षित आबादी जलवायु परिवर्तन से अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इन समूहों के पास जलवायु के परिवर्तन से तालमेल बनाने और इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए संसाधन सीमित और बुनियादी ढांचा निम्न-स्तर का होता है।

आम तौर पर उच्च आय वाले लोगों के पास जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए काफी संसाधन होते हैं। इसमें जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे में निवेश, बीमा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी शामिल हैं। जबकि निम्न-आय वाले लोगों और समुदायों के पास इन चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन न होने के कारण वे सबसे अधिक असुरक्षित हैं। वे हमेशा से पर्यावरण प्रदूषण और इससे होने वाले खतरों का अनुपातहीन बोझ उठा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन मौसम की चरम घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि करता है और मौजूदा पर्यावरणीय समस्याओं को बदतर बनाकर पर्यावरणीय अन्याय को भी बढ़ा देता है।

स्वाभाविक सा प्रश्न है कि किसकी आजीविका मिट्टी और पानी की गुणवत्ता पर सबसे अधिक निर्भर करती है; उत्तर 'निश्चित रूप से 'हमारे भारत का किसान' है। दुनिया भर से निकल रहा औद्योगिक कचरा भी इस तरह की पर्यावरण क्षति करता है। जहां पानी और मिट्टी ज़हरीली हो, वहां के छोटे और मध्यम किसानों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। कृषि, मत्स्य पालन और अन्य जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में यह परिवर्तन आजीविका को बाधित कर सकता है। इन उद्योगों पर निर्भर निम्न आय वाले लोगों के पास नए और अधिक जलवायु अनुकूलित नौकरियों की तरफ जाने के अवसर भी सीमित होते हैं। फलस्वरुप नौकरियों की कमी और गरीबी में वृद्धि अवश्यंभावी है।

नवीकरणीय (Renewable) और स्वच्छ स्त्रोतों से प्राप्त उर्जा तक पहुंच चिंता का एक और विषय है। नवीकरणीय और स्वच्छ स्त्रोत काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके उपयोग से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है और यह जलवायु परिवर्तन को थामने का काम करता है। यहां भी कई निम्न आय वाले परिवारों के पास किफायती और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों तक पहुंच की कमी है जिसके कारण उन्हें जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे जलवायु में परिवर्तन तेज़ होता है। स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में समता से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है।

जलवायु परिवर्तन में सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नियमन, नीति निर्माण और शासन-प्रशासन के उसके अधिकार असमानताओं को कायम रख सकते हैं। यदि नीति निर्माण के समय समता के सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा गया तो जलवायु नियम-कायदे जाने-अनजाने में अमीरों और गरीबों को भिन्न ढंग से प्रभावित करेंगे। इस संदर्भ में जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक 'ए थ्योरी ऑफ जस्टिस' में कहा है कि "यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि सभी (जलवायु) नीतियों को ऐसे तैयार किया जाए जिससे समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति को भी लाभ हो।" जलवायु परिवर्तन और असमानता को एक साथ संबोधित करने के लिए ऐसी नीतियां और रणनीतियां लागू करना होगा जो पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समता दोनों को समान रूप से प्राथमिकता देती हों। इसमें कमज़ोर समुदायों में जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे में निवेश करना, स्वच्छ ऊर्जा, भोजन और पानी तक पहुंच प्रदान करना और स्थायी आजीविका विकल्पों को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है। इसके लिए पर्यावरण नीति का न्यायसंगत और समावेशी होना भी आवश्यक है।

खाद्य उत्पादन से विभिन्न तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। वनों की कटाई और कृषि और चराई के लिए भूमि की सफाई, गायों और भेड़ों द्वारा पाचन, और फसल उगाने के लिए उर्वरकों और खाद का उत्पादन और उपयोग सभी उत्सर्जन का कारण बनते हैं, जैसा कि कृषि उपकरण या मछली पकड़ने वाली नावों को चलाने के लिए ऊर्जा का उपयोग, आमतौर पर जीवाश्म ईंधन के साथ होता है। भोजन की पैकेजिंग और वितरण से भी उत्सर्जन होता है।

अधिकांश परिवहन जैसे कारें, ट्रक, जहाज और विमान जीवाश्म ईंधन, जैसे गैसोलीन, डीजल और केरोसिन पर चलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, एक ग्रीनहाउस गैस छोड़ते हैं। सड़क वाहनों का हिस्सा सबसे बड़ा है, लेकिन जहाजों और विमानों से उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा जो प्रचुर मात्रा में हैं और लगातार भरती रहती हैं, सुरक्षित, स्वच्छ और टिकाऊ दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, **सूरज की रोशनी, हवा और पानी** ऐसे स्रोत हैं जो लगातार भरते रहते हैं।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रमुख मुद्दों का कार्यान्वयन प्रगति पर है| शुद्ध शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emissions) का लक्ष्य हासिल करना, कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में कमी करना, गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, कार्बन तीव्रता में भी अधिक से अधिक कमी करना आदि।

जलवायु परिवर्तन को कम करके एक स्थायी दुनिया की दिशा में व्यक्तिगत स्तर पर योगदान:

आख़िरकार हमें यह नहीं सोचना कि देश ने हमारे लिए क्या किया अपितु यह सोचना कि हम देश के लिए क्या कर सकते है - व्यक्तिगत स्तर पर काम करके भी **ग्लोबल वार्मिंग** को नियंत्रित करने में अपना योगदान देने की कोशिश एक एहम भूमिका निभा सकती है। कुछ नए तरीकों को आजमाकर अपने घर, कार्यस्थल और पड़ोस से शुरुआत । निजी वाहनों का उपयोग कम करके और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना । जूट बैग और पुन: प्रयोज्य वस्तुएं जैसे अधिक से अधिक पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना। **सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बाय बाय** करना । घर से अपनी पानी की **Reusable बोतल** साथ रखना ।

आज केवल वही खरीदें जिसकी हमें आवश्यकता है । दिखावे की दुनिया से बाहर निकलना। सोशल मीडिया अभियानों के उपयोग के माध्यम से समुदाय को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूक करने और उन्हें सड़कों और समुद्र में कूड़ा न फेंकने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास । अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मदद से, अपने समाज में वृक्षारोपण अभियान आदि आदि ।

जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और अब समय आ गया है कि हर कोई इसके बारे में बात करना शुरू करे। यह परिवर्तन प्राकृतिक रूप से या मानवीय क्रियाओं के कारण तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव है। जलवायु परिवर्तन से लड़ना सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक है, क्योंकि यदि इसके परिणाम अतिवादी (Extreme) हो गए तो मानवता का कोई भविष्य नहीं बचेगा।

■ **पूनम बी राजपाल**
हिंदी नोडल अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रबंधक, आई टी
हडको

अनुवाद की भूमिका

अर्थ

किसी भाषा में कही या लिखी गयी बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद (Translation) कहलाता है। अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आया है |

प्राचीन युग में अनुवाद

प्राचीन युग में मुख्यतः तीन प्रकार की रचनाओँ के अनुवाद प्राप्त होते थे। क्योंकि इन तीन क्षेत्रों में ही प्रायः ग्रन्थों की रचना होती थी। वें क्षेत्र - साहित्य, दर्शन और धर्म। संस्कृत के रामायण और महाभारत ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनका व्यापक स्तर अनुवाद हुआ।

आधुनिक युग में अनुवाद

आधुनिक युग में अनुवाद के माध्यम से प्राचीन युग के महान ग्रन्थ अब विभिन्न भाषा भाषियों को उपलब्ध होने लगे हैं।

आधुनिक युग में अनुवाद का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्साशास्त्र, प्रशासन, कूटनीति, विधि, जनसम्पर्क (समाचार पत्र इत्यादि) तथा अन्य अनेक क्षेत्रों के ग्रन्थों और रचनाओं का अनवाद भी होने लगा है।

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक तथा साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर पर बढ़ते हुए आदान-प्रदान के कारण अनुवाद कार्य की अनिवार्यता और महत्ता की नई चेतना प्रबल रूप से विकसित होती हुई दिखती है। जब भी दो देशों के राष्ट्रपति मिलते है तो उनके साथ एक अनुवादक भी होता है।

विश्व संस्कृति में अनुवाद का महत्त्व

विश्व की सभ्यताओं और संस्कृतियों के विकास में अनुवाद की विशेष भूमिका रही है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार समूचे एशिया में अनुवाद की जीवंत परंपरा का परिणाम है।

विश्व भर में गीता तथा उपनिषद के ज्ञान का अनुवाद अपने ढंग से किया जाता रहा है। पंचतंत्र के लघु संग्रहों का अनुवाद अरबी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में हुआ है।

व्यावसायिक क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका

वर्तमान युग में अनुवाद ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में विकसित हुआ है जहाँ इज्जत, शोहरत एवं पैसा तीनों हैं। संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के बाद से केन्द्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों में राजभाषा विभाग की स्थापना हुई है जहाँ अनुवाद कार्य में प्रशिक्षित हिन्दी अनुवादक एवं हिन्दी अधिकारी कार्य करते हैं। आज रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद सबसे आगे है।

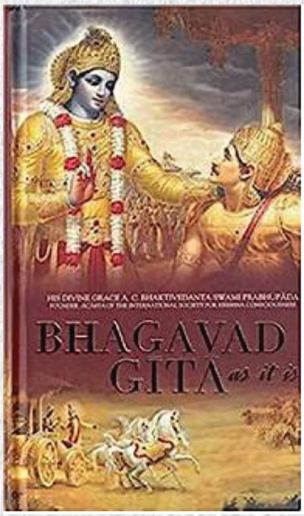

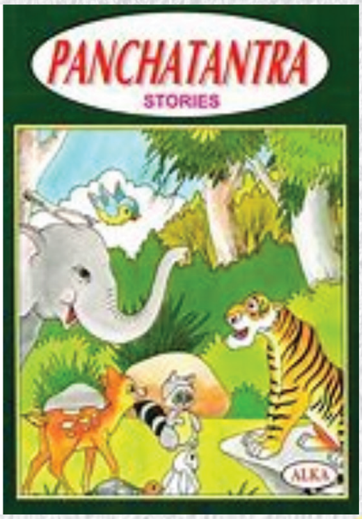

मीडिया और सिनेमा के क्षेत्र में अनुवाद का महत्त्व

आज कोई भी समाचारपत्र, रेडियो और टीवी चैनल ऐसा नहीं है, जिसमें हमें अनुवाद की जरुरत महसूस न होती है। सिनेमा भी अनुवाद का सहारा लेकर बुलंदियों को छू रहा है। पिछले कुछ वर्षों से हिंदी में अंग्रेजी से डब की गई अनेक फिल्में प्रदर्शित हुई है। जुरासिक पार्क, टाइटेनिक आदि फिल्में इसका बहुत बड़ा उदाहरण है।

STAFF SELECTION COMMISSION
NOTIFICATION
Junior Hindi
Translator
Apply Now

स्लमडॉग मिलियनेयर, आरआरआर आदि फ़िल्मों ने ऑस्कर में भी भारत की एक अलग पहचान बनाई है | स्लमडॉग मिलियनेयर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित आठ ऑस्कर पुरस्कार जीते | आरआरआर का गाना नाटू नाटू ने ऑस्कर जीत कर पहला भारतीय फिल्मी गाना बनकर इतिहास रच दिया है।

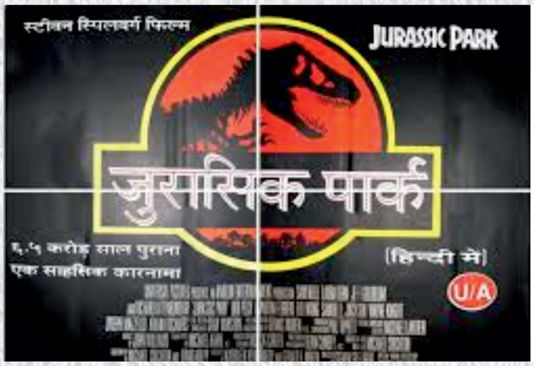
स्टीवन स्पिलबर्ग फिल्म
JURASSIC PARK
जुरासिक पार्क
६.५ करोड़ साल पुराना
एक साहसिक कारनामा
(हिन्दी में)
U/A

THE TITANIC

उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने से अब विदेशी फिल्म निर्माता भारत में फिल्म निर्माण करेंगे जिससे देश में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे |

डबिंग के क्षेत्र में अनुवाद का महत्त्व

फिल्मों की कई भाषाओं में डबिंग अनुवाद के द्वारा ही होती है। डबिंग एक भाषा से दूसरी भाषा में किए गए अनुवाद को दर्शकों तक पहुँचाने का माध्यम है। आज डबिंग का महत्व मनोरंजन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, चाहे वह कार्टून फिल्म हो, ऐनिमेशन फिल्म हो, फीचर फिल्म हो या कुछ और 'जंगल बुक' का मोगली 'जंगल- जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है' हिंदी में गाते हुए बच्चों के समक्ष टेलीविजन पर आता था तब वे टेलीविजन से ऐसे चिपक जाते थे कि उन्हें अपनी मुंह मांगी हुई कोई वस्तु मिल गई हो।

आज बच्चों को आनन्द 'टोम एंड जेरी' जैसे अन्य कार्टून फिल्म या एनिमेशन फिल्म को अपनी भाषा में देखकर मिलता है। डबिंग के माध्यम से ही डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनलों की पहुँच भारत के कोने-कोने में है।

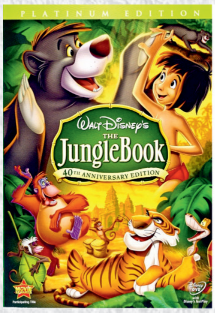
PLATINUM EDITION
Walt Disney's
THE
JungleBook
40th ANNIVERSARY EDITION

TOM and JERRY

अनुवाद के सॉफ्टवेयर

गूगल ट्रांसलेट और अन्य सॉफ्टवेयर जो विश्व की किसी भी भाषा का अन्य भाषा में अनुवाद कर सकते है।

कंठस्थ

ट्रांसलेशन मेमोरी पर आधारित यह सिस्टम भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग के लिए विकसित किया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदीसे अंग्रेजी में अनुवाद संभव है।

TRANSLATE.GOOGLE.COM AI चैटबॉट सक्षम सॉफ्टवेयर है|

अरविन्द कुमार नारंग
प्रबन्धक, आई टी
ऋण लेखा विभाग
हडको

हिन्दी भाषा का विकास

विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या लगभग तीन हजार से भी ऊपर मानी जाती है। भाषाओं को वर्गीकृत करते हुए भाषावैज्ञानिकों ने ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द समूह आदि को आधार बनाया है। पारिवारिक सम्बन्धों के आधार पर भाषाओं का, जो वर्गीकरण किया गया वह ‘भाषा परिवार’ के नाम से जाना जाता है। विश्व की सभी भाषाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग बारह भाषा परिवारों की संकल्पना मिलती हैं, जिनमें से भारोपीय परिवार एक मुख्य परिवार माना जाता है। भारोपीय परिवार की दस शाखाएँ मानी गई हैं। इसमें भारत, ईरानी शाखा के अन्तर्गत भारतीय आर्याभाषा, ईरानी और दरदी उपशाखाएँ आती है। भारतीय आर्यभाषाओं को समझने के लिए काल की दृष्टि में तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है पहला प्राचीन भारतीय आर्यभाषाएँ, इसमें संस्कृत को रखा गया है। दूसरा मध्य भारतीय आर्यभाषाएँ, इसमें पाली(पालि), प्राकृत और अपभ्रंश को रखा गया है। तीसरा आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में हिन्दी, बंगाला, मराठी आदि को रखा गया है। इसी आधुनिक भारतीय आर्यभाषा में हिन्दी का विकास लगभग 1000 ई. (एक हजार) के आस-पास हुआ।

‘हिन्दी’ शब्द की व्युतपति और अर्थ

हिन्दी शब्द की व्युत्पति के विषय में भाषावैज्ञानिकों तथा हिन्दी विद्वानों ने अलग-अलग मत दिए हैं। हिन्दी शब्द का सम्बन्ध हिन्दू या हिन्द आदि शब्दों से माना जाता है और भारतीय परम्परावादी संस्कृत पंडित मूल शब्द ‘हिन्दु’ ही मानते हैं। जबकि हिन्दु शब्द में ‘ह’ संस्कृत शब्द नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इसका प्रयोग हुआ नहीं मिलता। भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कि, “मुझे इसका प्राचीनतम प्रयोग सातवीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ ‘निशीथपूर्णी’ में प्रथम बार मिला है।” इस दृष्टि के ‘हिन्दु’ शब्द मूलरूप से संस्कृत भाषा के शब्द ‘सिन्धु’ का फारसी रुपांतरण है। हमारी प्राचीन ‘स’ ध्वनि ईरान की अवेस्ता आदि में ‘ह’ उच्चरित होती रही है। ‘सिन्धु’ और ‘सप्तसिंधवः’ आदि शब्द अवेस्ता में हिन्दु और हप्तहिन्दव आदि मिलते हैं। ‘हिन्दु’ शब्द के विकास के साथ ही इसमें ध्वनिक विकास भी हुआ और इसमें ‘इ’ पर बलाघात होने के कारण अंत्य ‘उ’ लुप्त हो गया और इसी प्रकार यह ‘हिन्दु’ शब्द ‘हिन्द’ हो गया। आगे चलकर हिन्द शब्द में ईरानी के विशेषणार्थक प्रत्यय ‘ईक’ जुड़ने से हिन्दीक शब्द बना, जिसका अर्थ था ‘हिन्दी का’ इसी हिन्दीक का विकास और ‘क’ के लुप्त हो जाने पर ‘हिन्दी’ शब्द का जन्म हुआ।

हिन्दी का काल विभाजन

हिन्दी के काल विस्तार की बात कि जाए तो हिन्दी का काल विस्तार एक हजार ईसवी से आज तक है और आगे भी रहेगा। इस लोक प्रचलित भाषा की समय-समय पर शब्दों तथा अन्य प्रयोगों के आधार पर कई शाखाएँ और उपशाखाएँ फूटती रही हैं। हिन्दी के विकास को तीन काल खंडों में विभाजित कर सकते हैं। 1. आदिकाल, 2. मध्यकाल और 3. आधुनिककाल

1. आदिकाल

आदिकाल में अपभ्रंश 'भाषा' का प्रयोग मौखिक और लिखित भाषा के रुप में हो रहा था। साथ ही कुछ प्राकृत तथा संस्कृत में भी लेखन इसी युग में हुआ। साहित्य में अपभ्रंश का प्रयोग होने के साथ-साथ बोलचाल में आधुनिक आर्यभाषाएँ और हिन्दी की बोलियाँ अपना स्वरुप ग्रहण करने लगी थी। कृष्ण कुमार गोस्वामी लिखते हैं कि, "इस काल में अपभ्रंश तथा प्राकृत का प्रभाव हिन्दी पर था और उस समय हिन्दी का स्वरुप निश्चित रुप से स्पष्ट नहीं हो पाया था। इस काल में मुख्य रुप से हिन्दी की वहीं ध्वनियाँ (स्वर एवं व्यंजन) मिलती हैं, जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी।" आदिकालीन हिन्दी भाषा पर अपभ्रंश भाषा का ही अधिक प्रभाव था। धीरे-धीरे भाषा के विचार के साथ अपभ्रंश शब्द रुप कम होते चले गए या बिल्कुल ही अप्रचलित होकर रह गए। इससे हिन्दी भाषा पहली बार अपनी पैरों पर खड़ी होती दिखाई दी। अप्रभ्रंश के बाद खड़ी बोली हिन्दी ही पूर्ण रुप से लिखित और मौखिक दोनों ही रुपों में दिखाई देने लगी। यहाँ भाषा का स्वरुप, क्रियाओं परसर्गो आदि का प्रयोग बढ़ा और नपुंसक लिंग का प्रयोग समाप्त प्राय हो गया। वाक्य रचना में भी शब्द का क्रम निश्चित होता चला गया। इस प्रकार हिन्दी का प्रथम पड़ाव शुरु हो गया और हिन्दी लोगों के बीच मौखिक तथा लिखित दोनों रुपों में अपना स्थान बनाने में सहायक हुई।

2. मध्यकाल

भाषा की दृष्टि के मध्यकाल में अपभ्रंश भाषा बहुत दूर रह गई थी और आधुनिक भारतीय भाषाएँ अपना व्यक्तित्व निखार रही थी। अब भारत के हर छोटे-बड़े क्षेत्र में लोकप्रिय बोलियों में लेखन सृजन का कार्य शुरु हो गया था। इन्ही बोलियों में साहित्य सर्जन होने के कारण यह बोलियाँ भाषात्मक रुप ले रही थी। 1225 ई. के लगभग और अमीर खुसरों के समय तक दिल्ली तथा आस-पास खड़ी बोली हिन्दी का स्वच्छ रुप उभर चुका था और बोलचाल की भाषा के रुप में ये पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुकी थी। मध्यकाल में ही निर्गुण निराकारवदी, संत कवियों की रचनाओं में खड़ी बोली का पूरा पुट मिलता है। साथ ही हिन्दी भाषा में फारसी, अरबी, तुर्की आदि आगत विदेशी शब्दों की संख्या अधिक होने लगी थी। भाषा की दृष्टि से यह युग अपनी क्षेत्रीय अथवा जनपदीय बोलियों का स्वर्ण युग था। इन्ही बोलियों में साहित्य रचना होने के कारण यह बोलियाँ भाषा बन गई, जो आगे चलकर हिन्दी की सहायक बनी।

3. आधुनिक काल

आधुनिक युग खड़ी बोली का ही रहा है। यद्यपि इसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली का मिश्रित रुप भी प्रचलन में रहा है। ब्रजभाषा अधिकांशतः पद्य की ही भाषा रही, गद्य में इसका प्रयोग नगंय ही रहा। अंग्रेजी शासन की स्थापना के समय ही खड़ी बोली हिन्दी का विस्तार बड़े पैमाने पर होने लगा था।

आधुनिक काल के आरंभ में खड़ी बोली हिन्दी उर्दू, फारसी के शब्दों के नजदीक रही। सन् 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और इसमें हिन्दी तथा उर्दू के अध्यापन और व्याकरण लेखन का कार्य शुरु करवाया। उस समय अंग्रेजी शासन के कारण खड़ी बोली हिन्दी में अंग्रेजी शब्दों का भी मिश्रण होने लगा था। स्वतंत्रता के बाद खड़ी बोली हिन्दी के साथ अंग्रेजी भी शासन व जनसाधारण की भाषा बन गई और इसमें सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में काम जोरों से होने लगे, जो वर्तमान में जारी हैं।

■ **डॉ. नीरज भारद्वाज**
सहायक आचार्य
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

सुन्दरकाण्ड की महिमा

श्री रामचरित मानस के सभी काण्डों के नाम का अर्थ समझ पाना कठिन नहीं है। जैसे प्रथम काण्ड का नाम ‘बाल-काण्ड’ जो सरलता से समझा जा सकता है कि इसमें प्रभु राम की बाल-लीलाओं का वर्णन है, ‘अयोध्या –काण्ड’ में अयोध्या की भूमि, राज्य को लेकर सारा विवरण है। ‘अरणय-काण्ड’ में प्रभु राम के दण्यकारण्य में निवास करते हुए वन की लीला है। ‘किष्किन्धा–काण्ड’ में किष्किन्धापुरी से संबंधित कथा है। ‘लंका-काण्ड’ में लंका की भूमि पर युद्ध का विवरण है। इसी प्रकार ‘उत्तरकाण्ड’ रामायण का उपसंहार है। इसमें रामायण में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर है, इसलिए इसे ‘उत्तर-काण्ड’ कहा गया। इस प्रकार रामायण के ‘सात’ में से ‘छः’ काण्डों का नामकरण सरलता से समझ आता है । लेकिन सातवें काण्ड का नामकरण ‘सुन्दरकाण्ड’ कुछ विचित्र तथा अद्भुद प्रतीत होता है। यह नामकरण केवल ‘तुलसीदास जी’ ने ही नहीं अपितु ‘महर्षि बाल्मीकि द्वारा भी प्रयोग किया गया है। यदि ‘तुलसीदास जी’ चाहते तो इस काण्ड का नया नाम रख सकते थे । किन्तु उन्हें भी यह नाम इतना प्रिय लगा कि उन्होंने ‘सुन्दरकाण्ड’ नाम ज्यों का त्यों रख दिया।

रामचरित मानस के सभी काण्डों में ‘सुन्दरकाण्ड’ सबसे अधिक जनप्रिय है। जन श्रृद्धा की दृष्टि से तथा विषय की गंभीरता से यह काण्ड बहुत महत्वपूर्ण है। साधारण मनुष्य के मन में अनगिनत कामनाएं विद्यमान होती हैं। सुन्दरकाण्ड द्वारा इन सभी कामनाओं की पूर्ति की जाती है। जिस प्रकार गीता में निष्काम कर्मयोग की महिमा का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार रामचारित मान में भी निष्कामता की महिमा का वर्णन किया गया है।

अगर कोई बड़ा व्यक्ति अमर्यादित कार्य करे तो उसे देखकर बुरा लगता है पर वहीं छोटे बच्चे की चंचलता को देखकर माता-पिता तथा गुरु प्रसन्न होते हैं। रामचरितमानस का अभिप्राय है कि वृत्ति अगर हनुमान जी की तरह हो तो सर्वश्रेष्ठ है पर यदि

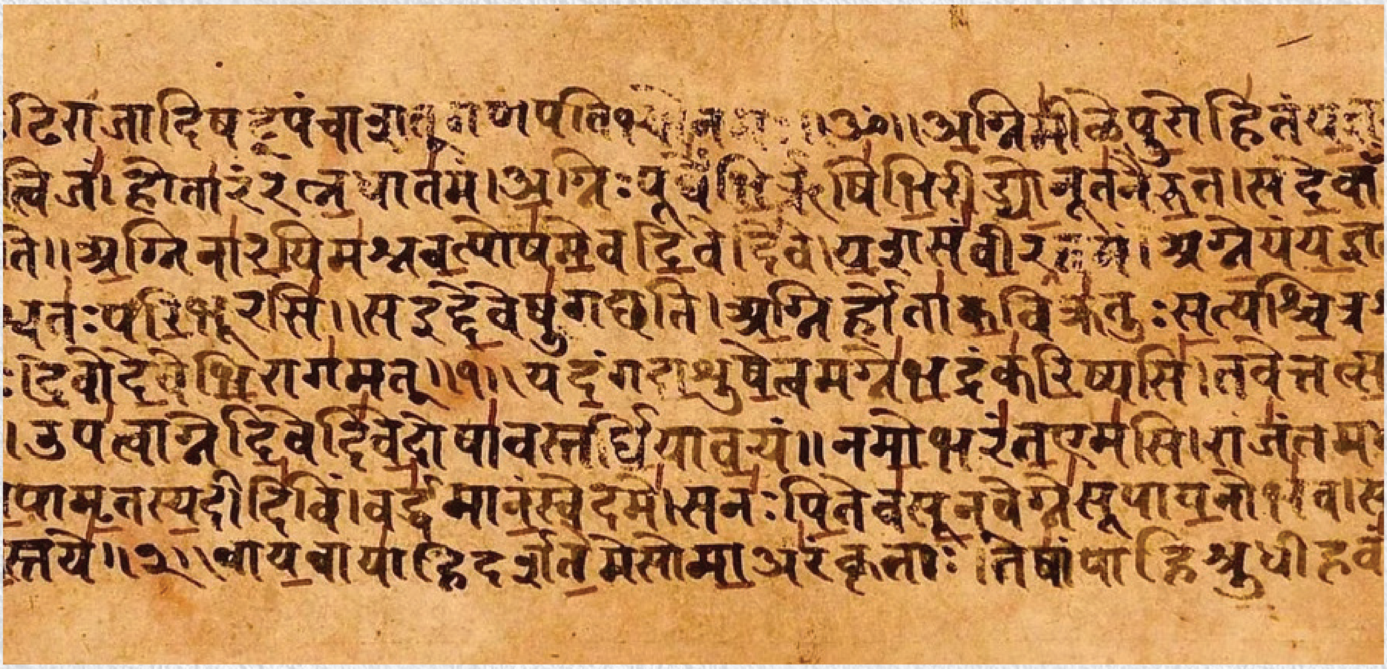

ऐसा न हो सके तो उस सकामता की वृति को ऐसा मोड दे देना चाहिए जिससे वह निष्कामता की वृति में परिवर्तित हो जाए। रामचरित मानस में वर्णन है कि भगवान राम पर्वत पर आसीन है, और चार व्यक्ति उनके पास बैठे दिखाई दे रहे हैं। 'सुग्रीव' की गोद में भगवान राम का सिर है, विभिषण भगवान राम के कान के पास बैठे हुए हैं तथा 'हनुमानजी' और 'अंगदजी' चरण दबा रहे हैं। इस प्रकार चार व्यक्ति भगवान के निकट हैं। इनमें से दो व्यक्ति साकाम हैं तथा दो निष्काम अंगदजी और हनुमान जी निष्काम हैं। सुग्रीव तथा विभीषण साकाम हैं भगवान राम ने अनोखा काम किया कि साकाम को तो सिरहाने और बगल में बिठाया और निष्काम को पैरों पर इससे भगवान राम सभी को यह आश्वासन दे रहे हैं कि मेरे पास जो साकाम व्यक्ति भी आता है तो सकामता के कारण उसे कम नहीं मानता वरन पूरा सम्मान देता हूँ ।

'सुन्दरकाण्ड' की यही विशेषता है जिस कारण यह काण्ड जन-प्रिय है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस काण्ड में मुख्य देवता 'श्री हनुमानजी' तथा 'जनकनंदनी' 'श्रीसीताजी' हैं । सत्य यह है कि श्री हनुमानजी की भूमिका में जितनी विविधताएं तथा विलक्षणताएं हैं वह शायद ही किसी अन्य में दिखाई दे । समाज में बहुधा देखा जाता है कि जो व्यक्ति निष्काम होता है वह साकाम व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखता है लेकिन श्री हनुमानजी महाराज इसके अपवाद है। उपनिषद में एक प्रसंग के अनुसार जब हनुमान जी से पूछा गया है कि व्यक्ति को साकाम रहना चाहिए या निष्काम? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं नहीं चाहता कि सभी व्यक्ति निष्काम बन जाए किन्तु हमारे प्रभु से कुछ मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए लोगों के मन में जो कामना हो, वो मुझसे कहें । क्योंकि मैंने यही व्रत लिया है जो भी राम भक्त होगे मैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करुंगा। सुन्दरकाण्ड में अनगिनत समस्याएं जो व्यक्ति के जीवन में आती है उनका समाधान दिया गया है। सुन्दरकाण्ड सुनने की यही सुन्दर शैली है कि पहले वक्ता स्वयं उसमें डूबे और फिर गोताखोर की तरह रहस्यमयी मोती लाकर श्रोता को दे। सुन्दरकाण्ड ऐसा काण्ड है जहां वक्ता कथा के बीच डूब जाता है । इस काण्ड में एक ओर यदि विभीषण को राज्य मिला तो हनुमानजी को भक्ति मिली। इसका अभिप्राय है कि सुन्दरकाण्ड के द्वारा सकाम की कामना पूर्ण होती है तथा निष्काम को सेवा एवं भक्ति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए वह इस सुन्दरकाण्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकता है ।

सुशील कुमार शर्मा
ए जी एम (प्र.), सेवानिवृत
एम टी एन एल

मेरी भाषा मेरा गौरव

कोई कहे कि भाषा क्या है तो हम इसी सोच में पड़ जाते हैं कि भाषा तो हमारा सभी कुछ है लेकिन उसको ठीक शब्दों में परिभाषित कैसे करें? भाषा का सटीक अर्थ और उसकी सार्थक परिभाषा किन्हीं शब्दों में नहीं की जा सकती बल्कि उसे तो हमारी भावनाओं और जीवनपर्यत अनुभवों के सार से समझा जा सकता है। भाषा एक ऐसी सहज प्रक्रिया या साधन है जो हमारे पास बालपन से ही स्वाभाविक रुप से आ जाती है। एक छोटा सा बालक जब इस संसार में आँख खोलता है तो सबसे पहले वह किलकारी मारकर जिस आवाज़ के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करता है, वह भी भाषा ही होती है। भाषा वह है जिसे एक नन्हा बालक अपनी तुतलाती हुई आवाज़ में ऊबड़-खाबड़ शब्दों को मेल जोड़कर कुछ कहता है। भाषा वह है, जिसे बड़ा होता हुआ बच्चा अपनी माँ-पिता और अन्य परिवारजनों के बीच रहकर सीखता समझता है और फिर अपनी आवाज़ में उसी सीखे हुए साधन को स्वर देकर व्यक्त करता है। भाषा वह है जिसके माध्यम से वही बालक अपनी विद्या ग्रहण करता है । भाषा ही वह साधन है जिससे वही छोटा सा बालक अपनी मति से भावानुसार पूरे समाज से अपना संबंध बनाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा एक नन्हे से शिशु की पूरी युवावस्था से लेकर उसके जीवनकाल का वह माध्यम और साधन है जो उसे समाज और परिवार में एक संपन्न व्यक्तित्व के रुप में पहचान दिलाती है तथा उसका स्थान निर्धारित करती है। क्योंकि व्यक्ति का पूरे समाज के साथ-साथ उसके निजी परिवार में क्या स्थान है यह भी उसकी भाषा से ही निर्धारित होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अपशब्दों भरी भाषा का प्रयोग करेगा तो निश्चित ही उसे हर कहीं घृणित भाव से ही देखा जायेगा, वहीं अगर कोई व्यक्ति मीठी वाणी के साथ सहज और स्तरीय भाषा का प्रयोग करेगा तो उसे हर कहीं सम्मान और प्रेम मिलेगा । ये तो रही भाषा की एक भावमय व्याख्या । अब हम भाषा को लेकर अन्य तात्विक पक्षों को लेकर भी कुछ बातें समझ लें।

भाषा मनुष्य के विकास में एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण घटक है। भाषा व्यक्ति के समूचे संचार और सामाजिक संबंधों का आधार है। भाषा से ही व्यक्ति विचार, भावनाओं और जानकारियों को एक-दूसरे के साथ साझा करने में सक्षम बनता है । भाषा से समाज में परस्पर सहयोग और मित्रता के भाव का संचार होता है, जो समाज की सामूहिक प्रगति और सामाजिक संरचनाओं के विकास में सहायक होता है। भाषा से ही संपूर्ण ज्ञान का संचार

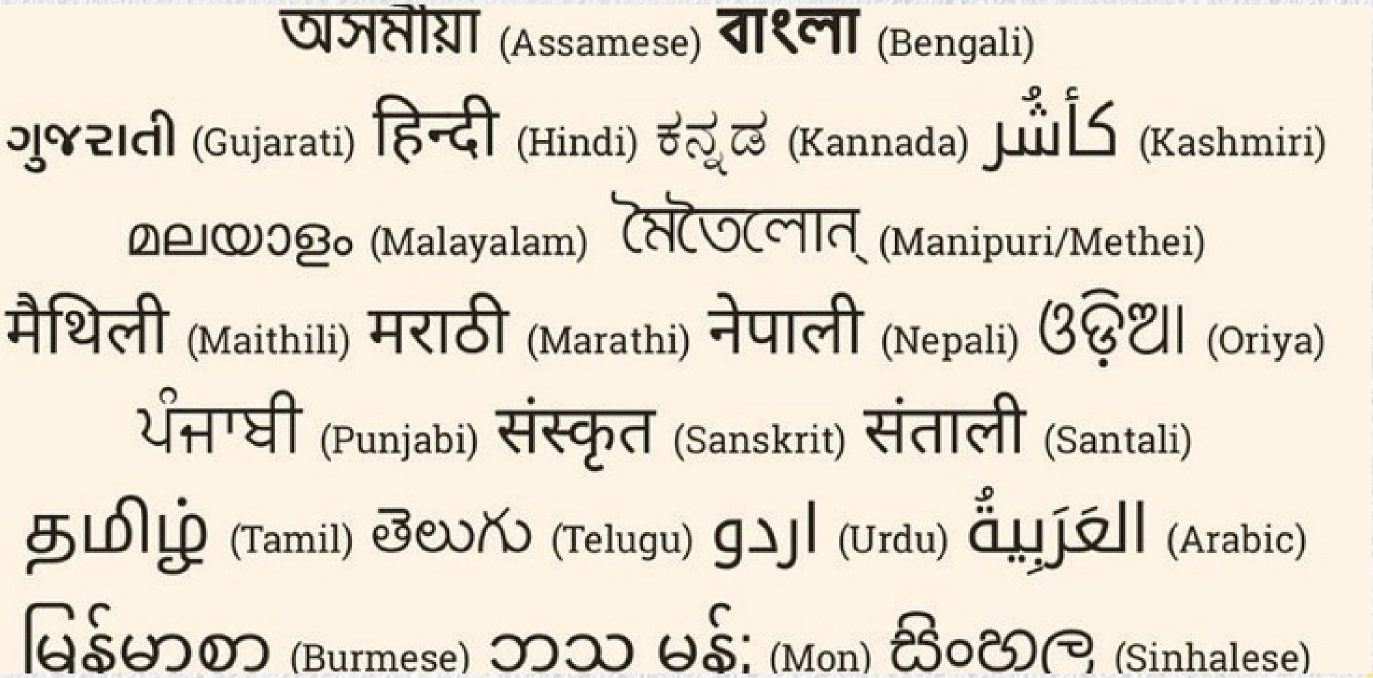
অসমীয়া (Assamese) বাংলা (Bengali)
ગુજરાતી (Gujarati) हिन्दी (Hindi) ಕನ್ನಡ (Kannada) كأشُر (Kashmiri)
മലയാളം (Malayalam) মৈতৈলোন্ (Manipuri/Methei)
मैथिली (Maithili) मराठी (Marathi) नेपाली (Nepali) ଓଡ଼ିଆ (Oriya)
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) संस्कृत (Sanskrit) संताली (Santali)
தமிழ் (Tamil) తెలుగు (Telugu) اردو (Urdu) العَرَبِيَّة (Arabic)
မြန်မာစာ (Burmese) ဘာသာ မန်: (Mon) සිංහල (Sinhalese)

संभव बन पाता है। भाषा ही वह माध्यम है जिससे ज्ञान और अनुभव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित होते हैं । हम ऐसा मान सकते हैं कि भाषा से विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का विकास हुआ है क्योंकि भाषा के विकास और उसके जन-जन तक पहुँचने में ज्ञान और अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचने में सुविधा मिली है और इस तरह सभ्यता तथा संस्कृति समय के साथ समृद्ध बनती गयी है । भाषा से मनुष्य के चिंतन-मनन शैली का विस्तार संभव बना है। भाषा से मानव मस्तिष्क के सोचने और विचार करने की क्षमता का विकास हुआ है क्योंकि मनुष्य के पास अपने विवेचनों को व्यक्त करने का साधन 'भाषा' रूप में मौजूद था । व्यक्ति अपने जटिल विचार, तर्क और विचारधाराओं को भाषा में ढालकर अधिक व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करने में सक्षम बना है । भाषा से हमारे चिंतन और विश्लेषण की नयी-नयी परतें खुलती हैं और मनुष्य विकास के पथ पर नयी संभावनाएं खोज लेता है। भाषा ने हमारी संस्कृतियों की अस्मिता और विशेषताओं को संजोने में अहम भूमिका निभाई है। भाषा कहीं न कहीं हमारे सांस्कृतिक गौरव से जुड़ी धरोहर है जो हमें अपने मूल्यों, परंपराओं और रीति-रिवाजों को संग्रहित करने में सहायक होती है । वहीं हमारे शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी भाषा का अत्यधिक योगदान है । भाषा की सहायता से व्यक्ति नये-नये शोध करता है और उस शोध से प्रसूत सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान को व्यवस्थित करके उसे देश और समाज में संप्रेषित करता है। शोध एवं अनुसंधान में भाषा नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देती है । जिस तरह भाषा ने मानव समाज के विकास में एक मौलिक भूमिका निभाई है, वह वास्तव में हमारे लिए एक ऐसा साधन बन गयी है जिसके बिना हमारा जीवन बिन जल का कूप है। भाषा हमारे जीवन का अनिवार्य और अभिन्न हिस्सा है, जिसके बिना हमारा रोज़मर्रा जीवन अधूरा या शून्य है । लेकिन भाषा में भी कई विस्तार और रुप हैं। उदाहरण के लिए, हर क्षेत्र और इलाके की अपनी अलग बोली या भाषा है। अगर हम भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात करें तो संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ आती हैं, जो कि इस प्रकार हैं: 1. हिंदी; 2. अंग्रेज़ी; 3. असमिया; 4. बांग्ला; 5. बोडो; 6. डोगरी; 7. गुजराती; 8. हिंदी; 9. कन्नड़; 10. कश्मीरी; 11. कोंकणी; 12. मैथिली; 13. मणिपुरी; 14. मराठी; 15. नेपाली; 16. ओड़िया; 17. संथाली; 18. सिंधी; 19. तमिल; 20. तेलुगू; 21. उर्दू; 22. संस्कृत

इनके अतिरिक्त भी भारत में बहुत सी अन्य उपभाषाएँ और बोलियाँ हैं जिनकी अपनी क्षेत्रीय विशेषता और सांस्कृतिक पहचान है । भारत की भाषाओं की विविधता यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि और संपन्न ऐतिहासिक विरासत को दर्शाती हैं । विभिन्न भाषाई जनगणनाओं के अनुसार भारत में लगभग 122 प्रमुख भाषाएँ और 1599 बोलियाँ हैं। यह सचमुच में एक बड़ा आकड़ा है जो हमें भारत भूमि की सांस्कृतिक विविधता से अवगत करवाता है। आश्चर्य की बात है कि सभी भारतीय भाषाएँ एक दूसरे से किसी न किसी न रूप में मेल खाती हैं, जैसे असमिया और बांग्ला भाषा के अक्षरों की बनावट एक समान प्रतीत होती है तो वहीं हिंदी के अक्षर कहीं न कहीं पंजाबी, गुजराती भाषा के अक्षरों की बनावट से मेल खाते हैं। वहीं, भारतीय भाषाएँ कई भाषाई परिवारों में भी विभाजित हैं, जैसे इंडो-आर्यन, द्रविड़, तिब्बत-बर्मन एवं अन्य। इतना ही नहीं, इन भाषाई परिवारों के बीच भी कई समानताएँ और भिन्नताएँ हैं जिनका अध्ययन भाषा विज्ञान विषय के अंतर्गत संभव है । हालाँकि, भारतीय भाषाएँ अलग-अलग लिपियों का उपयोग करती हैं, जैसे हिंदी के लिए देवनागरी, तमिल के लिए तमिल लिपि, और बांग्ला के लिए बांग्ला लिपि। लिपि प्रयोग से ही सभी भाषाओं के अक्षर और उनकी बनावट के तरीके में अंतर आता है। हमारी प्रत्येक भारतीय भाषा विस्तृत सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। जिस प्रकार विभिन्न भाषाओं में सृजित कई बोलियाँ हमारी कितनी ही क्षेत्रीय विविधताओं को प्रकट करती हैं उस तरह यह कहना ही उचित होगा कि हमारे पास अपनी भाषा का होना, हमारे लिए एक जातीय गौरव का होना दर्शाता है । भाषाई विविधता का एक सरल उदाहरण हमें हिंदी भाषा की विभिन्न क्षेत्रीय बोलियाँ में देखने को मिलता है, जैसे: अवधी, ब्रज, एवं भोजपुरी भाषा । हमारी भारतीय भाषाएं हमारी गौरवशाली इतिहास परंपरा की परिचायक हैं । यह हमारी अपनी भाषाएँ ही हैं जिन्होंने हमें आधुनिक समय में भी हमारी जातीय पहचान को बचा कर रखा है। अतः भाषा का होना सीधे तौर पर हमारे अस्तित्व का होना है जिसे हम भविष्य में भी कभी नकारकर, उससे अलग नहीं हो सकते हैं।

■ **वैशाली कटारिया**
शोधार्थी, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

संसार में क्या लाये थे

लाये थे यहाँ क्या तुम, और क्या ले जाओगे।
रोते हुए आये थे, सोते हुए जाओगे॥

जो हुआ आज अच्छा कल भी अच्छा होगा।
जग में कर्मों का फल सबने अपना भोगा॥

इस काल चक्र की चाल, तुम समझ न पाओगे।
लाये थे यहाँ क्या तुम और क्या ले जाओगे॥

क्या पैदा किया तुमने जो तुमने खोया हो।
सब लिया यही पर था, ज्यों बीज ये बोया हो।

कर कर्म प्यार मन से जीवन तर जाओगे।
लाये थे यहाँ क्या तुम, और क्या ले जाओगे॥

जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था।
तेरे सब कर्मों की रह जायेगी बस गाथा॥

होगा कल किसका ये तुम जान न पाओगे।
लाये थे यहाँ क्या तुम, और क्या ले जाओगे॥

आशा एक छोटी सी, मैं प्यार करूं उनसे।
तन-मन हो लीन ईश्वर, कहता हूँ ये मन से॥

परछाई जो भी हो तुम पकड़ न पाओगे।
लाये थे यहाँ क्या तुम, और क्या ले जाओगे॥

इस नश्वर काया का, तन भर से नाता है।
बिसरा कर मन ईश्वर गुन इसके गाता है॥

जब ईश्वर अपना लें, फिर क्यों यहाँ आओगे।
a लाये थे यहाँ क्या तुम और क्या ले जाओगे॥

■ डॉ. ओ. पी. शर्मा

हडको

hudco

A NAVRATNA CPSE

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
CIN: L74899DL1970GOI005276
कोर-7-ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
टेलीफोन: 91-11-24649610, फैक्स: 91-11-24625308, वेबसाइट: www.hudco.org.in